ब्रस्पतिवार,
१३ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १३ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चमड़े के पट्टे आदि

*२४५. **सरदार हुक्म सिंह** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे देश में प्रामाणिक प्रकार के चमड़े के पट्टे, पिकिंग बैंड और रोलर के चमड़े बनाये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो १९५१-५२ में इनका कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ था और इनका कितने मूल्य का आयात हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यद्यपि ये वस्तुयें हमारे यहां भी बनाई जा रही हैं, परन्तु अभी इनकी प्रामाणिक क़िस्म बननी आरम्भ नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न का प्रथम भाग उत्पन्न नहीं होता । आयात का जहां तक प्रश्न है, आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९५१-५२ में आयात	रुपये (लाख में)
चमड़े के पट्टे	७३.२५
पिकिंग बैंड	१२.१९
रोलर के चमड़े	९.१०

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने किसी समय चमड़ा-उद्योग के साथ इन वस्तुओं को यहां बड़े पैमाने पर उत्पादित करने का प्रश्न उठाया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । कानपुर टैनरी लिमिटेड, नेशनल टैनरी कम्पनी, कलकत्ता, वेस्ट इंडिया टैनरीज, बम्बई, लेदर टैक्सटाइल्स, अहमदाबाद और मेसर्स गार्डन वुडरोफ लेदर वर्क्स, पल्लावरम, मद्रास प्रामाणिक प्रकार के चमड़े के पट्टे अदि बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और वे इस विषय में प्रयोग कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : हमारे देश में इस उद्योग के विकसित न होने में क्या कोई विशेष कठिनाइयां हैं ? क्या इसका कारण उचित चमड़े का न मिलना है या कार्यकुशलता का अभाव ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में यह चमड़े की क़िस्म से सम्बन्धित मामला है । हमारे यहां का चमड़ा ज़रा ज़्यादा फैलता है, इसलिए वह अधिक विश्वसनीय नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : योजना आयोग की रिपोर्ट में चमड़ा उद्योग को क्या स्थान दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिए ।

आसनसोल साइकिल फैक्टरी

*२४६. **सरदार हुक्म सिंह** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

क्या आसनसोल स्थित साइकिल और साइकिल के पुर्जे बनाने वाली फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ?

() साइकिलों के उत्पादन में उसकी अधिकतम क्षमता क्या है या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । (ख) फैक्टरी की प्रस्तावित क्षमता आठ घंटे प्रति-दिन की एक पारी के आधार पर १००,००० साइकिलें प्रति वर्ष हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस समय वह कितना उत्पादन कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ तो कर दिया है परन्तु अभी प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए वहां जो कुछ माल बनाया गया है या तैयार किया गया है, वह विशेष अधिक नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस फैक्टरी में इंग्लैण्ड का कुछ पैसा लगा है या वह केवल टैक्निकल सहायता ही दे रहा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है । पर मैं समझता हूं कि जहां तक पैसा लगने का प्रश्न है, कुछ ऐसी बात है अवश्य ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सन् १९५२ में किसी और फैक्टरी ने भी साइकिल के पुर्ज़े बनाना आरम्भ किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि हिन्द साइकिल, बम्बई द्वारा साईकिलें बनाई जा रही हैं । ट्यूबों के इलावा, जो आयात की जाती हैं, वह कम्पनी सब कुछ अपने यहां बनाती है । इसके अतिरिक्त टी. आई. साइकिलें, मद्रास द्वारा भी उत्पादन हो रहा है । उन्हें ट्यूब तथा कुछ अन्य पुर्जे आयात करने होते हैं परन्तु भारत में काफी पुर्जे बनने लगे हैं और इस क्षेत्र में दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है ।

श्री टी० के० चौधरी : आसनसोल फैक्टरी की साइकिलें हिन्द साइकिल, बम्बई की साइकिलों के मुकाबिले में कैसी हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि आसनसोल फैक्टरी की साइकिलें अभी बाजार में नहीं आई हैं ?

श्री वी० पी० नायर : क्या इस फर्म में कुछ विदेशी पूंजी लगी है; यदि लगी है तो किस अनुपात में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इसकी सूचना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : एक फैक्टरी आगरे में स्थापित की जाने वाली थी । क्या उसमें भी साइकिलें बनने लगी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है मेरी पुस्तक में आगरे की फैक्टरी का जिक्र नहीं है । शायद वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इसे लिखना भूल गया है ।

निष्क्रांत सम्पत्ति विवाद

*२४७. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि निष्क्रान्त सम्पत्ति विवाद को मध्यस्थ-निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाये ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस पर पाकिस्तान सरकार ने क्या विचार प्रगट किये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान उस बक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जो मैंने ५ नवम्बर, १९५२ को श्री ए० एम० टोमस द्वारा पूछे गए

तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में दिया था ।

(ख) हमारे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री डा० कुरेशी द्वारा कराची में प्रकाशित "डौन" को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने इस योजना का मज़ाक उड़ाया है और उसे नामंजूर कर दिया है ?

श्री ए० पी० जैन : वह तो बहुत से वक्तव्य देते रहे हैं । मैंने वह वक्तव्य भी देखा है जिसे माननीय सदस्य निर्दिष्ट कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : तो फिर क्या सरकार पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा करेगी या प्रतिकर देने के प्रश्न पर आगे कार्यवाही करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : साधारण शिष्टता के अनुसार, जब हम कोई प्रस्ताव करते हैं तो हमें उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या उत्तर प्राप्त होने के बारे में कोई समय-अवधि निश्चित करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है । अगला प्रश्न ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, प्रश्न संख्या २४७-ए के विषय से सम्बन्धित तीन प्रश्न और हैं । क्या मैं यह प्रार्थना कर सकता हूं कि उन्हें सबको साथ ले लिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : कौन कौन से हैं ?

श्री एस० सी० सामन्त : २६२-ए, २७३-ए और २७९-ए ।

अध्यक्ष महोदय : तो इस प्रश्न के अलावा तीन और हैं । क्या माननीय मंत्री के लिए यह सुविधाजनक होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां । मैं चारों को साथ ले लूंगा और यदि आप अनुमति दें.....

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले माननीय सदस्यों से अपने प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं एक व्यापक प्रकार का उत्तर दूंगा जिसमें इन सारे प्रश्नों को शामिल कर लिया जायेगा ।

आसाम भेजे गये अधिकारी-दल की रिपोर्ट

*२४७-ए. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अधिकारियों का जो दल आसाम में बाढ़ से होने वाली हानि को रोकने के उपायों को ढूंढने तथा उन पर विचार करने के लिए नियुक्त किया था, क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से सुझाव किये गये हैं ?

बाढ़ नियंत्रण

*२६२-ए. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी प्रार्थनायें आई हैं, कि डिबरूगढ़ में नदियों की बाढ़ से होने वाली क्षति को स्थायी रूप से रोकने के सम्बन्ध में जो योजना बनाई गई हो या बनाई जाये उसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां बाढ़ रोकने के लिए तुरन्त उपाय किये जाने चाहियें ?

(घ) पंचवर्षीय योजना में बाढ़-नियंत्रण के लिए कौन-कौन सी योजनायें शामिल की गई हैं; वह किन किन राज्यों के बारे में हैं और कितने कितने क्षेत्रों के लिए ?

आसाम भेजी गई अधिकारी-समिति

*२७३–ए. **श्री बेली राम दास** : (क) प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आसाम राज्य को हर वर्ष बाढ़ों के आने से जो नुकसान होता है उसके बारे में उपाय ढूंढ निकालने के लिए वहां अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति भेजी गई थी ?

(ख) उक्त समिति ने क्या सिफ़ारिशें की है ?

(ग) सरकार द्वारा इन सिफ़ारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के बारे में क्या सुझाव रखे गये थे ?

आसाम में बाढ़

*२७९-ए. **श्री एस० सी० सामन्त** : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४७ से १९५२ तक प्रत्येक वर्ष में आसाम में कितनी बार बाढ़ें आईं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने बाढ़ रोकने के लिए क्या सिफ़ारिशें की हैं;

(ग) इन वर्षों में सम्पत्ति की अनुमानत: कितनी हानि हुई; तथा

(घ) इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए, राज्य को सामान्यत: जो धन दिया जाता है उसके अलावा और कितना मंजर किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जैसा सदन को विदित है, आसाम राज्य में हाल ही के वर्षों में कई बार बाढ़ आ चुकी है जिससे वहां बहुत नुकसान हुआ है। अगस्त १९५२ में, संसद् में यह घोषणा की गई थी कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का एक दल बाढ़ से उत्पन्न हुई समस्याओं पर विचार करने आसाम जा रहा है। यह भी घोषणा की गई थी कि यह दल आसाम में भूमि के कटाव पर तथा विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई सीमान्त व्यापार एवं सीमान्त सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर और संचरण में हुई गड़बड़ों पर भी विचार करेगा। यह दल, जिसके नेता गृह मंत्रालय के सचिव थे और जिसमें वित्त, यातायात तथा सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालयों के प्रतिनिधि थे, २६ जुलाई और १७ अगस्त के बीच आसाम गया और इसने गोलपाड़ा, गारो पहाड़ियां, खासी तथा जैन्तिया पहाड़ियां तथा लखीमपुर के जिलों का भ्रमण किया। इसने उत्तर पूर्वी फ़्रन्टियर एजेन्सी के कुछ हिस्सों पर भी, जहां १९५० के भूकम्प में बहुत नुकसान हुआ था, उड़ान की। इस काल में उसने डिबरुगढ़ नगर में भूमि के कटाव की विशेष समस्या का अध्ययन किया और राज्य के अन्य भागों में बांध बांधने तथा नालियां बनाने के विषय पर तथा संचरण की समस्या पर भी विशेषत: पहाड़ी क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के सम्बन्ध में उसने विचार किया। इसके बाद अधिकारियों ने आसाम सरकार से बातचीत की और भारत सरकार को अपनी सिफ़ारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश की।

२. दल की मुख्य सिफ़ारिशें यह थीं :—

(क) डिबरूगढ़ में लगभग चार मील लम्बी पत्थर की एक दीवार बनाई जाये; भूमि का कटाव रोकने का एक यही स्थायी उपाय था। इस दीवार की लागत, लगभग एक करोड़ रुपये होगी, जिसमें ज़मीन को प्राप्त करने के लिए जो कीमत देनी होगी, वह शामिल नहीं है। इस लागत का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार को इकट्ठे अनुदान द्वारा दिया जाना चाहिए और शेष पचास प्रतिशत बग़ैर ब्याज के ऋण से लिया जाना

चाहिए, जो डिबरूगढ़ के लोगों पर लगाये जाने वाले कर से पूरा किया जाये ।

(ख) इस कार्य को आरम्भ करने के लिए सबसे पहले वहां के पानी के बारे में पूरे-पूरे आंकड़े इकट्ठे किये जायें ताकि भूमि के कटाव तथा बाढ़ को रोकने के बारे में एक दीर्घ-कालीन योजना तैयार की जा सके । इसके लिए एक नदी अन्वेषण विभाग खोला जाये जिसका अध्यक्ष एक एक्जेक्यूटिव इंजीनियर हो जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

(ग) सारे आसाम का परिमापन किया जाये और यह कार्य कोपिली घाटी से शुरू किया जाये जहां कुछ समय हुआ थोड़ा सा परिमापन कार्य हुआ था ।

(घ) बांध बांधने और नालियां बनाने की बहुत सी योजनाओं को, जिन्हें आसाम सरकार द्वारा पहले ही तैयार किया जा चुका है और जिनकी लागत लगभग १ करोड़ रुपये है, 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इन्हें केन्द्र द्वारा सहायता भी दी जानी चाहिए ।

(ड़) राज्य में संचरण-साधनों का विकास होना चाहिए । तेज़पुर से उत्तर-लखीमपुर वाली आसाम सड़क को सारे मौसमों में काम आने वाली सड़क बनाया जाये; इसके लिए चार पुल बनाये जाने चाहिये । इन पुलों की लागत का आधा खर्च केन्द्र द्वारा उठाया जाये । पहाड़ी जिलों में भी कई सड़कें (जिन पर अगले पांच वर्षों में लगभग ढाई करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है) बनाई जायें ।

३. दल ने सीमान्त सुरक्षा में वृद्धि करने तथा पहाड़ी क्षेत्रों की आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से अन्य सिफ़ारिशें भी की हैं ।

४. भारत सरकार ने तथा आसाम सरकार ने मुख्य सिफ़ारिशों को सामान्यतः मान लिया है । केवल यह तय नहीं हुआ है कि डिबरूगड़ की दीवार पर जो लागत आयेगी उसका कितना प्रतिशत भाग इकट्ठे अनुदान के रूप में दिया जाये । इस बीच, सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने का काम आरम्भ कर दिया गया है । आसाम सरकार ने प्रस्तावित नदी अन्वेषण विभाग को स्थापित करना मंजूर कर लिया है; विभाग के लिए कुछ कर्मचारियों को चुन लिया गया है और पंजाब में उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जारही है । डिबरूगड़ के लिए विस्तृत योजनायें बनाने के विचार से एक एक्जेक्यूटिव इंजीनियर की अध्यक्षता में एक नया विभाग (डिवीज़न) खोला जा रहा है । आसाम सरकार द्वारा सड़कें बनाने के बारे में जो कार्यक्रम बनाया गया है उसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है; केवल कुछ बातों पर फ़ैसला होना है । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आसाम सरकार द्वारा बांध बांधने और नालियां बनाने के बारे में तैयार की गई योजनाओं की भारत सरकार जांच कर रही है । कुछ अन्य योजनायें भी तैयार की जा रही हैं ।

५. कुछ सिफ़ारिशों के क्रियान्वित करने पर जो खर्चा आयेगा, उसके निश्चित आंकड़े अभी निकाले जा रहे हैं । इसके अलावा, जो दीर्घकालीन उपाय सुझाये गये हैं, उन्हें आसाम की पंचवर्षीय योजना में, जो योजना आयोग की जल्दी ही तैयार होने वाली रिपोर्ट में शामिल है, सम्मिलित करना होगा । पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने के कार्यक्रम की अर्थ-व्यवस्था केन्द्र द्वारा दिये गये विकास-अनुदानों में से की जायेगी । प्रस्तावित परिमापन-कार्य में जो खर्चा होगा उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने काफी रुपया उपलब्ध करा दिया है । उसने नदी अन्वेषण विभाग का

खर्चा उठाना भी मंजर कर लिया है; उसमें आसाम सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनका खर्चा वह न उठायेगी । विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लेने पर आर्थिक सहायता के बारे में अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा ।

६. सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है । कुछ समय पूर्व तक इस सम्बन्ध में नुकसान के आंकड़े नियमित रूप से नहीं रखे जाते थे और जहां जहां बड़ी नदियों में बाढ़ आने से बहुत नुकसान होता था वहीं उसको रोकने के लिए उपाय किये जाते थे । इस प्रकार आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कई भागों में बांध बनाये गये हैं । बाढ़ रोकने की समस्या पर अब आवश्यक रूप से बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के साथ साथ ही विचार किया जाता है क्योंकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका बड़े बड़े बांध बनाना ही है जिनमें कि बाढ़ का पानी इकट्ठा किया जा सके ।

डा० राम सुभग सिंह: इस बांध को बनाने का काम कब आरम्भ होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ठीक ठीक तारीख तो नहीं बता सकता । वास्तव में, कार्य शुरू होने से पहले अन्य प्रारम्भिक कार्यवाहियां की जानी हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : प्रधान मंत्री ने जो बड़ी बड़ी योजनायें पढ़ कर सुनाई हैं उनके पूरा होने में कितना समय लग जायेगा ? क्या वे अगली बार बाढ़ आने से पहले पूरी हो जायेंगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद मैं इस सम्बन्ध में कुछ बतला चुका हूं कि कुछ योजनाओं में कितना समय लगेगा किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वयं योजना को अन्तिम रूप देने में ही काफी समय लग जाने की संभावना है। वस्तुतः इसमें वर्षों लग सकते हैं । डिबरूगढ़ को ही लीजिये । ब्रह्मपुत्र में चार मील लम्बी पत्थर की दीवार खड़ी करना एक बहुत बड़ा काम है; मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लग जायेगा ? हाल ही में मैं डिबरूगढ़ गया था; वहां अस्थायी रूप से जो कुछ उपाय किये गये थे उनसे शहर को बचाने में काफी सहायता मिलती थी । वे कोई स्थायी उपाय तो हैं नहीं परन्तु फिर भी उनसे भूमि का कटाव काफी कम हो गया है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए कोई विशेष योजना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे ज्ञात नहीं । यदि कोई है तो मैं समझता हूं वह कोई खास बड़ी योजना नहीं होगी ।

श्री बेलीराम दास : क्या बाढ़ रोकने के लिए आसाम में कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सारी योजना बाढ़ रोकने को दृष्टि में रखकर ही तैयार की गई है । मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं सम्पूर्ण दामोदर योजना, जो एक बहुत बड़ी योजना है, इसी कार्य के लिए है ।

श्री एस० सी० सामन्त : वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने पर, क्या उस कार्यवाही में, जो की जा रही है या की जायेगी, कोई विशेष परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहले तो वित्त आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत ही नहीं की हैं । हमें क्या मालूम कि वह क्या सुझाव रख रहे हैं ? दूसरे, इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा अभिप्राय यह था कि वित्त आयोग यह सिफ़ारिश करेगा कि राज्य को कितना रुपया दिया जाये । क्या उस समय आसाम राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर विचार किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें इस प्रश्न पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए विचार करना होगा । अनुदान और ऋण देने में हम पूरी सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि वित्त आयोग कोई सिफारिश करता है, तो यह दूसरी बात है, कि उस पर विचार किया जाये या नहीं ।

श्री सरमा : इन सिफारिशों की क्रियान्विति वास्तव में कौन करेगा, केन्द्रीय सरकार या आसाम सरकार ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं, दौनों ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : हाल ही में, पता लगा है कि पाकिस्तान सरकार ने खासी पहाड़ियों में एक हद बांध दी है जिससे वहां से जो नारंगी और आलू पहले पाकिस्तान भेजे जाते थे, अब वहां न भेजे जा सकें । नारंगी के बारे में यह स्थिति बिगड़ती जा रही है । इसको दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कैसिंग....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सरमा : क्या सरकार अपने विशेषज्ञों से यह कहेगी कि डिबरूगढ़ को बचाने के बारे में स्थानीय लोगों की राय को भी ध्यान में रखा जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम स्थानीय विशेषज्ञों के अनुभव का हमेशा लाभ उठाना चाहते हैं । परन्तु वे इस विषय में बिल्कुल असफल रहे हैं और हमसे ही काम संभालने के लिए कहा गया है ।

कनाडा में बसने वाले भारतीय

*२४८. **डा० रामसुभग सिंह** : **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन भारतीयों की, जो कनाडा के नागरिक हो गये हैं, पत्नियों और बच्चों को कनाडा जाने और वहां बसने की अनुमति है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां । कनाडा में के ऐसे नागरिक की, जिसने कनाडा वैध रूप से प्रवेश किया हो और जो वहां का निवासी हो पत्नी या पति को तथा उसके २१ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कनाडा जाने और वहां बसने की अनुमति है बशर्ते कि :

(१) वे कनाडा प्रव्रजन अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करते हों; और

(२) कनाडा में बसने-सम्बन्धी प्रबन्ध वहां के अधिकारियों की राय में संतोषजनक हों ।

डा० रामसुभग सिंह : क्या कनाडा के उन नागरिकों के, जिनके वंशज भारतीय थे, निकट सम्बन्धियों की, जैसे भाइयों और बहिनों को, वहां जाने की अनुमति है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, कोटे के अन्दर रहते हुए ।

डा० रामसुभग सिंह : क्या उन व्यक्तियों को, जो कनाडा की ऐसी लड़कियों से जिनके वंशज भारतीय थे, विवाह करना चाहते हैं, कनाडा जाने में कठिनाई हो रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, एक ऐसा प्रश्न आगे भी आ रहा है ।

निर्यात के लिय काली मिर्च

*२४९ **श्री सी० आर० इय्युन्नी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली मिर्च को विदेशों को निर्यात करने से पहले क्या कोई परीक्षण किया जाता है कि वह प्रामाणिक प्रकार की है या नहीं; तथा

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

वाणिज्य, मंत्री (श्री करमरकर): जी हां। ऐसी सूचना है कि व्यापारी लोग निर्यात करने से पहले काली मिर्च को साफ कर लेते हैं ताकि विदेशी आयात कर्त्ता संघ जिस किस्म की चीज़ मांगता हो वही उन्हें मिले।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या काली मिर्च के प्रामाणिक प्रकार के न होने के कारण गत वर्ष उसके निर्यात में कमी हुई है ?

श्री करमरकर : जी नहीं। इस कारण काली मिर्च के निर्यात में कमी नहीं हुई है।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या त्रावन-कोर-कोचीन से तथा भारत के अन्य भागों से विदेशों को जो काली मिर्च निर्यात की जाती है उसके कोई आंकड़े तैयार किये जाते ह ?

श्री करमरकर : इस का उत्तर मैं पूर्व-सूचना मिलने पर दे सकूंगा। हमारे पास आंकड़े हैं।

श्री दामोदर मैनन : क्या विदेशी उप-भोक्ताओं से कोई ऐसी शिकायत आई है कि हमारे यहां की काली मिर्च कि स्म गिर गई है ?

श्री करमरकर : गत वर्ष ऐसी शिकायतें आई थीं कि सामान्य किस्म प्रामाणिक स्तर की नहीं थी।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या शिकायतें आने पर उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री करमरकर : सामान्यतः जब माल के बारे में विदेशों से शिकायतें आती हैं तो हम उन्हें सम्बन्धित व्यापारिक वर्ग तक पहुंचा देते हैं। काली मिर्च के इस विशेष मामले के बारे में, मझे पता लगा है कि काली मिर्च का निर्यात करने से पूर्व उसे सुगंधित करने तथा एगमार्क के अन्तर्गत उसे आवश्यक रूप से श्रेणीबद्ध करने के बारे में सम्बन्धित व्यापारियों के पास एक योजना है; इस योजना को योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है।

श्री ए० एम० टामस : क्या कोचीन में सुगंधीकरण का एक सयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री करमरकर : एक योजना है तो सही परन्तु उसे क्रियान्वित करना व्यापारियों का काम है। मेरी सूचना के अनुसार इसकी लागत केवल २०,००० रुपये है।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कल के 'स्टेट्समैन' में यह समाचार था कि ट्रावनकोर-कोचीन में काली मिर्च के उत्पादन में २५प्रतिशत की कमी होने की संभावना है . . .

श्री करमरकर : पहले मैं कल का 'स्टेट्समैन' तो पढ़ लूं।

श्री वी० पी० नायर : मैंने अभी अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है। क्या सरकार काली मिर्च के अच्छे दामों पर बिकने के लिए कोई कदम उठायेगी ?

श्री करमरकर : पहले मैं कल का 'स्टट्समन' पढ़ लूं फिर उत्तर दूंगा।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

मजदूरों के लिये मकान

*२५०. **श्री एस० एन० दास** : (क) **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कारखाने में काम करने वाले लोगों तथा कम आय वाले अन्य वर्गों के लिए मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में जो योजना आरम्भ की है उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

(ख) अब तक किन किन राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं एवं मालिकों ने इस योजना से लाभ उठाने की इच्छा प्रगट की है ?

(ग) अगले पांच वर्षों में इस योजना के लिए कुल कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार की मजदूरों के मकानों से सम्बन्धित सहायता-प्राप्त योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ग) इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु चालू वित्तीय वर्ष के लिए ७ करोड़ १७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री एस० एन० दास : क्या मजदूरों के मकानों की उस योजना को जो १९५०-५१ से श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जाती रही है, अब समाप्त कर दिया गया है या उसको इस वर्तमान योजना में शामिल कर लिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसे वास्तव में समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि जो वित्तीय सहायता पहले दी जा चुकी थी उसका विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। हां, यह छूट दे दी गई है कि जो धन खर्च न किया गया हो उसे वर्तमान योजना में लगाया जा सकता है।

श्री एस० एन० दास : पिछली योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया व्यय हुआ था और सहायता के रूप में कितना दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं पिछली योजना में कोई सहायता नहीं दी गई थी। केवल बिना व्याज लिये ऋण दिया गया था।

श्री एस० एन० दास : पिछली योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने की कोई योजना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वर्तमान योजना में तो नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस योजना में बोकारो के मजदूरों के लिए मकान बनाना सम्मिलित है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि वे औद्योगिक मजदूरों की परिभाषा में आते हों।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वे औद्योगिक मजदूर ही है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री ने इस योजना में कोयला खान तथा अभ्रक कल्याण निधियों के अन्तर्गत मकान सम्बन्धी योजनायें शामिल की हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार ने किसी निधि के अन्तर्गत कोई योजना सम्मिलित नहीं की है। केवल उन मजदूरों को जो वर्तमान योजना के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वे कहीं काम करते हों, इस योजना का लाभ उपलब्ध होगा और वित्तीय सहायता भी ऐसे ही मामलों में दी जायेगी।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्य सरकारों और संस्थाओं से प्रार्थनापत्र हुये हैं और उन पर जांच हुई है और फिर उन्हें रुपया नियत किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बहुत सी योजनायें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच हो रही है। कुछ मामलों में स्वीकृति दी जा चुकी है और बाकी पर विचार किया जा रहा है।

आशा है शेष मामलों में भी स्वीकृति दे दी जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कोई वितीय लक्ष्य निश्चित किया गया है, यदि हां तो राज्यों को कितनी राशि नियत की जायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी राशि नियत को जायेगो, इसको अभी से बताना तो समय से पूर्व है ।

श्री वी० पी० नायर : मज़दूरों के मकान बनवाने से सम्बन्धित योजना में मज़दूर-संघों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार क्या क़दम उठाना सोचतो है जिससे कि यह सहायता प्राप्त योजना केवल धोखा सिद्ध न हो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नम्बियार : क्या इस योजना में ऐसी कोई संभावना है कि आगे चलकर ये मकान मज़दूरों के अपने हो जायें ?

अध्यक्ष महोदय : उनके मालिक हो जायें ?

श्री नम्बियार : जी हां ।

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में मज़दूरों की सहकारी समितियां स्वयं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अधिकारी हो सकती हैं । राज्य सरकारों द्वारा बनवाये गये मकानों पर औद्योगिक मज़दूरों के स्वामित्व होने की बात वर्तमान योजना में नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : विवरण से पता चलता है कि सरकार एक राष्ट्रीय मकान सम्बन्धी विधेयक लाना सोच रही है । इस विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किये जाने की आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : चालू सत्र में तो नहीं किया जायेगा

गंगा बाध

***२५१. श्री बी० के० दास** : **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा अपने आय व्ययक सत्र में पारित किये गये संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें गंगा बांध योजना का बहुत शीघ्र क्रियान्वित करने पर ज़ोर दिया गया है; तथा

(ख) इस विषय में क्या क़दम उठाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (**श्री हाथी**) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस योजना पर नदी योजनाओं के एक भाग के रूप में विचार हो रहा है या एक सामान्य विकास योजना के रूप में ?

श्री हाथी : इस पर एक सामान्य विकास योजना के भाग के रूप में विचार हो रहा है ।

श्री बी० के० दास : इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ।

श्री हाथी : लगभग ३९ करोड़ ।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार इन ३९ या चालीस करोड़ रुपयों को राज्य सरकार को ऋण के रूप में देना सोच रही है या उसका कुछ भाग ऋण के रुप में होगा और कुछ अनुदान के रूप में ?

श्री हाथी : मैं अभी यह नहीं बतला सकता ।

पंडित एल० के० मैत्रा : क्या यह सत्य नहीं है कि हुगली विशेषज्ञ समिति ने और इस सिलसिले में विशेष रूप से नियुक्त सी-

डबल्यू. आई. एन. सी. को एक समिति ने भी यह राय प्रगट की थी कि जब तक नदी के पानी को काम में न लाया जायेगा तब तक कलकत्ता पतन में पानी काफी न रहेगा ?

श्री हाथी : जी हां ।

पंडित एल० के० मैत्रा : क्या योजना आयोग ने पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव किया था कि रेलवे तथा राष्ट्रीय राज्यपथ जैसे अन्य पक्षों द्वारा भुगतान होने तक वह कुछ अंशदान दे । यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हाथी : जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने उससे पूछा है कि वह योजना की अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार करेगी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि पांच करोड़ रुपये की राशि, जिसकी पहले तीन वर्षों में आवश्यकता होगी, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी जायेगी यदि ऐसा है तो भारत सरकार ने इस पर क्या विचार प्रगट किया है ?

श्री हाथी : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री के० के० बसु : पूर्वी बंगाल से लोगों के भारी संख्या में आने तथा योजना के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इसे सर्वाधिक प्राथमिकता देगी ?

श्री हाथी : यह योजना पर पूरी तरह से विचार होने के बाद ही निश्चित होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या उत्तर पूर्वी रेलवे ने भी यह सुझाव दिया है कि गंगा पर फ़रक्का के पास बांध बनाना निचले बंगाल और उत्तरी बंगाल तथा आसाम के बीच के रास्ते को छोटा करने की दृष्टि से आवश्यक और लाभदायक है ?

श्री हाथी : वास्तव में, रेल मंत्रालय से इस विषय पर विचार मांगे गये हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा : मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अंशदान देने का प्रस्ताव किया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप उनकी बातों का खंडन बाद में कर सकते हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा : मैं खंडन नहीं कर रहा । मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने केवल तथा राष्ट्रीय राज्यपथ जैसी अन्य एजेन्सियों द्वारा भुगतान किये जाने तक पहले तीन वर्षों के लिए अपेक्षित राशि देने का एक निश्चित प्रस्ताव किया था ?

श्री हाथी : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

कोयला

*२५२. **कुमारी आनी मस्करीन** : **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये अपेक्षित मात्रा के अतिरिक्त, कोयले का जितना उत्पादन होता है क्या उससे भारत के मुख्य नगरों में जनता की मांग को पूरा किया जा सकता है ?

(ख) क्या भारत के विभिन्न भागों में कोयला पहुंचाने के लिए वैगन काफी हैं ?

(ग) जून १९५२ के बाद पाकिस्तान को कोयला निर्यात करने के समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) वैगन साल में लगभग ८ महीने पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाते हैं ।

(ग) फरवरी १९५१ के व्यापार-समझौते को ७ अगस्त १९५२ तक के लिए

मान्य कर दिया गया था। पाकिस्तान को कोयला पहली वाली क़ीमतों पर ही भेजा गया था यानी भारतीय नियंत्रित मूल्य पर और इसके अलावा ११ रुपये प्रति टन और कोयले को वर्तमान भारत पाकिस्तान व्यापार-समझौते में जो आठ अगस्त, १९५२ को लागू हुआ था सम्मिलित नहीं किया गया है परन्तु समझौते के क्षेत्र से बाहर, सरकार ने पाकिस्तान को दिसम्बर १९५२ के अन्त तक ९०,००० टन कोयला प्रति मास भेजना स्वीकार कर लिया है। दिसम्बर १९५२ के बाद स्थिति पर फ़िर से विचार किया जायेगा। भारत के बाहर बाज़ार भाव को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान क़ीमत भारतीय कीमत और इसके अलावा १२ रुपये प्रति टन निश्चित की गई है।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या सरकार की कोयला उद्योग राष्ट्रीय कृत करने की कोई योजना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : अभी नहीं।

कुमारी आनी मस्करीन : गैरसरकारी फर्मों के हाथ में कितनी कोयला खानें हैं ?

श्री के० सी० रेडडी : इसके लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

कुमारी आनी मस्कारीन : भारत में सामान्यतः कोयले का मूल्य क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नियंत्रित मूल्य है। मैं इस समय यह नहीं बतला सकता कि वह नियंत्रित मूल्य क्या है।

श्री रघुरामय्या : क्या इस वर्ष मद्रास राज्य को तम्बाकू के लिए कोयला की जो मात्रा दी गई थी, वह गत वर्ष दी गई मात्रा के बराबर थी या कम थी या अधिक ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसका उत्तर देने के लिए मुझे पृथक् रूप से पूर्वसूचना चाहिए।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या यह सत्य है कि दक्षिणी कोरिया को बहुत सा कोयला भेजा जा रहा है जिससे सिंगमन री को अपने ही लोगों को कुचलने में सहायता मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : आप आरोप लगा रहे हैं और उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। आप किसी तथ्य के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

श्री नम्बियार : क्या दक्षिण की फैक्टरियों से शिकायतें आई हैं वहां पर्याप्त कोयला नहीं भेजा जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सामान्यतः दक्षिण और उत्तर दोनों में स्थित कुछ उद्योगों से अपर्याप्त कोयला मिलने की शिकायतें आई हैं। कठिनाई वैगन मिलने के बारे में है। रेलवे मंत्रालय द्वारा अधिक वैगन उपलब्ध कराये जाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु जैसा मैं कह चुका हूं, वैगन वर्ष में आठ महीने कठिनाई से मिलते हैं। यही बात दक्षिण के बारे में है।

श्री नम्बियार : क्या वैगन सम्बन्धी कठिनाई को उद्योगों को सहायता देने की दृष्टि से और अधिक वैगन बनाकर या इसी प्रकार की योजना द्वारा दूर किया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां। इस सिलसिले में सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा १९५१-५२ में प्रतिवर्ष वैगन उपलब्ध कराये जाने के लिये पर्याप्त आर्डर दिये जा चुके हैं।

सूती कटपीस (मूल्य)

*२५३. **कुमारी आनी मस्करीन** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई देशों को भेजे जाने वाले सूती कटपीस के दाम क्यों गिर रहे हैं; तथा

(ख) यह दाम किस अनुपात में कम होते जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) दामों में कमी सारे देशों में कपड़े के व्यापार में मन्दी आ जाने के कारण है।

(ख) अप्रैल १९५२ से अगस्त १९५ के काल में आयात किये गये कपड़े का औसत मूल्य अक्टूबर १९५१ से मार्च १९५२ के काल में प्रचलित औसत मूल्य से लगभग २२ प्रतिशत कम था।

कुमारी आनी मस्करीन: ये कटपीस एशिया के किन देशों को भेजे जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह सूचना मंत्रालय की किसी फाइल में मौजूद है परन्तु मैं उसे यहां लाया नहीं हूं।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

*२५५. **श्री एस० एन० दास**: (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के व्यवसायिक तथा टैक्निकल प्रशिक्षण के बारे में जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी, वह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

(ख) अब तक किस प्रकार का कार्य किया गया है ?

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जनवरी, १९५३ के अन्त तक।

(ख) समिति ने सम्बन्धित राज्य सरकारों, पुनःसंस्थापन तथा नियोजन महानिदेशालय तथा रेलवे एवं रक्षा मंत्रालय को एक प्रश्नावली भेजी है। जो सूचना प्राप्त हो गई है, उसकी जांच की जा रही है। समिति ने पंजाब, पैप्सू और उत्तर प्रदेश में स्त्रियों तथा पुरुषों के ३० प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों तथा आठ शरणालयों और रुग्णालयों का दौरा भी किया है। उसने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से बातचीत भी की थी।

(घ) उस प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि जिसमें समिति की नियुक्ति की घोषणा की गई थी और जिसमें निर्देश पद दिये गये हैं, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८**]

श्री एस० एन० दास: क्या श्रम मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई व्यवसायिक एवं टैक्निकल प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं की भी जांच की जायेंगी ?

श्री ए० पी० जैन: जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या २५६।

श्री एस० वी० रामस्वामी: प्रश्न संख्या २६७ इसी प्रश्न से संबद्ध प्रतीत होता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, क्या मैं यह समझूं कि प्रश्न संख्या २५६ और २६७ का उत्तर साथ साथ दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

बम्बई राज्य के कर्नाटक क्षेत्र में हस्तकरघा उद्योग

*२५६. **श्री आर० जी० दुबे**: **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य के कर्नाटक क्षेत्र में हस्तकरघा उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार क्या कदम उठाना सोच रही है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सरकार ने इस विषय में अखिल भारतीय आधार पर जो कदम उठाये हैं उनको ५ नवम्बर १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। यही बातें कर्नाटक के हस्तकरघा उद्योग के बारे में भी लागू होंगी।

हस्तकरघा उद्योग

*२६७. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में हस्तकरघा उद्योग को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाना सोच रही है ?

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कुछेक किस्म का कपड़ा, जैसे धोतियां और साड़ियां, हस्तकरघों से ही बनवाया जाये और शेष किस्म का कपड़ा कपड़ा मिलों में बने ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ५ नवम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के भाग (ख) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) अन्य प्रश्नों के साथ साथ यह प्रश्न भी उसी श्रेणी में आता है; इन पर अभी जांच हो रही है ।

श्री आर० जी० दुबे : क्या सरकार को यह पता है कि कर्नाटक के हस्तकरघा उद्योग की प्रसिद्ध चीजों जैसे युलेडगड और इलकल आदि को हाल में बहुत धक्का पहुंचा है, क्योंकि उनको बाजार में बेचने के सम्बन्ध में स्थिति में काफी अन्तर हो गया है । अतः सरकार यह बतलायेगी कि क्या उस क्षेत्र में स्थिति का अध्ययन करने के लिए वह एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगी क्योंकि . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया है और साथ साथ आप कार्यवाही के लिए सुझाव दे रहे हैं । आप क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक के हस्तकर्घा उद्योग को हाल ही में धक्का पहुंचा है और वहां से माल हैदराबाद तथा सी० पी० के कुछ भागों को निर्यात किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामान्य स्थिति को सामने रखते हुए सरकार जानती है कि इस व्यापार में और हस्तकरघा उद्योग की वस्तुओं में मन्दी आ गई है । मुझे इसमें भी सन्देह नहीं कि यह बात कर्नाटक में भी उतनी ही लागू होती है ।

श्री आर० जी० दुबे : मेरी कठिनाई यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

श्री आर० जी० दुबे : मैं तर्क नहीं कर रहा ।

अध्यक्ष महोदय : अपनी राय में आप समझ रहे हैं कि मैं तर्क नहीं कर रहा परन्तु मैं समझता हूं कि आप कर रहे हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मद्रास विधान सभा द्वारा इस विषय पर पारित एक संकल्प को सरकार के ध्यान में लाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने समाचार पत्रों में उस संकल्प की तथा उस पर हुई बहस की रिपोर्ट देखी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार हस्तकरघा उद्योग को सहायता देने का प्रयत्न कर रही है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपने सारे कर्मचारियों को—सेना में भी—हाथ का बना कपड़ा देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न तो दाहिनी ओर बैठे मेरे कार्यबन्धु से पूछा जाना चाहिए ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार विभिन्न योजनाओं की जांच करते समय धोतियों और साड़यों के हस्तकरघा उद्योग द्वारा बनाए

जाने के प्रश्न पर कार्यवाही करेगी और उसे सर्वाधिक प्राथमिकता देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है माननीय सदस्य इतनी तेजी से बोल रहे हैं कि मैं उनका प्रश्न सुन नहीं सका ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : क्या सरकार धोतियों और साडियों के केवल हस्तकरघों द्वारा बनाये जाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जिससे हस्तकरघा बुनकरों में बेकारी न फैले ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : मैं अपने प्रश्न का पहला भाग ही प्रस्तुत करूंगा । क्या सरकार धोतियों और साड़ियों के केवल हस्तकरघों द्वारा बनाये जाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

श्री नम्बियार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इस विषय में मद्रास विधान सभा तथा सरकार की भावनाओं को ध्यान में रखेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार समस्त सम्बन्धित पक्षों की भावनाओं पर विचार करने को तैयार है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि कपड़ा उत्पादन की कुछ मात्रा हस्तकरघों के लिए सुरक्षित कर दी जाये; यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई फ़ैसला किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह बात तो समाचार पत्रों में आ चकी है और इसे सब जानते हैं ।

श्री मात्तन : मिलों द्वारा बनाये गये कपड़े जैसे धोती और साड़ी की क़ीमतों में और उसी किस्म के हस्तकरघों द्वारा बनाये गये कपड़े की कीमतों में क्या अन्तर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है । जहां तक मोटी क़िस्मों का सम्बन्ध है हाथ के बने और मिल के बने कपड़ की कीमतों में अन्तर साड़े बारह से १५ प्रतिशत के बीच में है और बढ़िया किस्मों में अन्तर २५ से ३० प्रतिशत के बीच में है । परन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि हस्तकरघा बुनकरों द्वारा बनाये गये बढ़िया किस्म के कपड़ों में वह कलात्मक सुन्दरता होती है जो मिल में बने उसी प्रकार के कपड़ों में नहीं होती ।

घाटप्रभा परियोजना

*२५७. **श्री आर० जी० दुबे** : (क) योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई कर्नाटक के कई विधान-सभा सदस्यों ने तथा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति ने सम्बन्धित अधिकारियों से कई बार अभ्यावेदन किया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में घाटप्रभा परियोजना (बायें किनारे तथा दायें किनारे की नहरें) को सम्मिलित किया जाये और उसी के भाग के रूप में उसे क्रियान्वित करने का भी उपबन्ध किया जाये ?

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक की जनता की आग्रहपूर्ण मांग के उत्तर में ही घाटप्रभा परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का निश्चय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) घाटप्रभा घाटी विकास परियोजना के बारे में जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री आर० जी० दुबे : क्या मैं उन परियोजनाओं की सूची जान सकता हूं जिन्हें बम्बई राज्य के सम्बन्ध में पुनरीक्षित पंचवर्षीय

योजना में अन्तिम रूप से शामिल किया जायेगा ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए पूर्व-सूचना चाहिए । वे सारी परियोजनायें जिन्हें शामिल किया जायेगा योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में मिल सकती हैं ।

श्री आर० जी० दुबे माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनके मुकाबले में इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में औसतन वर्षा कितनी होती है ?

श्री हाथी : यह तो एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री आर० जी० दुबे : क्या यह सत्य है कि घाटप्रभा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और इसके द्वारा वह बीजापुर जिले की, जहां कि हमेशा ही अकाल की सी हालत रहती है, आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्य ही है जिनकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं । आप सूचना क्या चाहते हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : इन तथ्यों के बारे अभी मतभेद है; मैं इस विषय में सरकार की राय जानना चाहता हूं ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्संगठन

*२५९. **श्री एस० एन० दास** : **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्र बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्संगठन तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में कस्तूरभाई समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिशों और सुझावों में से किन किन को सरकार ने मान लिया है और क्रियान्वित किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : समिति की कुछ सिफ़ारिशों पर कार्यवाही हो रही है, शेष पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है ।

श्री एस० एन० दास : सरकार कौन सी सिफ़ारिशों को मान रही है ?

श्री हाथी : कस्तूरभाई समिति की एक सिफ़ारिश परियोजनाओं की योजना तैयार करने के बारे में थी यानी यह सिफ़ारिश थी कि जब योजना और उसका अनमान तैयार हो जाये तो विशेषज्ञों की एक स्वतन्त्र मंडली द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए । इस सुझाव को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या आंक समिति की अपनी पांचवीं रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों तथा कस्तूरभाई समिति द्वारा भी की गई सिफ़ारिशों के फलस्वरूप, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कृत्यों में परिवर्तन किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री हाथी : इस सिफ़ारिश पर अभी सरकार द्वारा विचार हो रहा है।

श्री एस० एन० दास : इस समिति की नियुक्ति कब हुई थी; इसे आंक समिति की सिफ़ारिशों के बाद नियुक्त किया गया था या पहले ?

श्री हाथी : कस्तूरभाई समिति नवम्बर १९५१ में नियुक्त हुई थी ।

श्री एस० एन० दास : इस समिति की नियुक्ति से पहले क्या सरकार ने आंक समिति की सिफ़ारिशों पर विचार किया था और उन पर कुछ कार्यवाही की थी ?

श्री हाथी : जी हां, आंक समिति की रिपोर्ट पर उस समय भी विचार हो रहा था ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की नियुक्ति से पहले सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री हाथी : आंक समिति की रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिए वास्तव में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी परन्तु उन पर विचार हो रहा था।

श्री एस० एन० दास : क्या आंक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों को उन पर पुनर्विचार किये जाने के लिए उस समिति को सौंप दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कस्तूर भाई समिति से आंकसमिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था ?

श्री हाथी : मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह बतला सकता हूं कि आंक समिति तो कस्तूर भाई-समिति द्वारा रिपोर्ट पेश कर दिये जाने के बाद बनी है।

श्री हाथी : कस्तूर भाई समिति की रिपोर्ट २८ जुलाई, १९५२ को प्रकाशित हुई थी।

श्री सारंगधर दास : क्या उसकी नियुक्ति आंक समिति की सिफ़ारिशों के प्राप्त हो जाने से पहले हुई थी या बाद में ?

श्री हाथी : उससे पहले ; आंक समिति ने अपनी सिफ़ारिशें मार्च १९५२ की रिपोर्ट में दी थीं।

श्री सारंगधर दास : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष के पद को मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद से अलग करने की जो सिफ़ारिश आंक समिति ने अपनी पांचवी रिपोर्ट में की थी, क्या उसे क्रियान्वित कर दिया गया है ?

श्री हाथी : उस पर अभी विचार हो रहा है।

उद्योगों का संरक्षण

*२६०. **श्री वंसल** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटकर आयोग जनवरी १९५२ में जब वह स्थापित हुआ था तब से संरक्षण की मांग किये जाने से सम्बन्धित कितने मामले निर्दिष्ट किये गये हैं और उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके मामले तटकर आयोग के पास भेजे गये हैं और उसके विचाराधीन हैं।

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो पहली बार संरक्षण की मांग कर रहे हैं; तथा

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन के बारे में तटकर आंयोग ने मूल्य सम्बन्धी जांच पड़ताल की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी १९५२ में तटकर आयोग की स्थापना के समय से संरक्षण की मांग करने के दो मामले उसे भेजे जा चुके हैं। वे निम्न उद्योगों के बारे में हैं :

(१) मोटर उद्योग

(२) कास्टिक सोडा और रंग उड़ाने के पाउडर के उद्योग। यह दोनों मामले अभी आयोग के विचाराधीन हैं।

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य संरक्षण के बारे में उद्योगों द्वारा सरकार से मामलों को तटकर आयोग के पास भेजे जाने के लिये की गई मांगों को निर्दिष्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो इसकी सूचना इस प्रकार है :

(१) शौचालय सम्बन्धी सामान तथा दीवार पर लगाने के चमकीले पत्थर (टाइल) ;

(२) पाइप फिटिंग।

(३) पेच बनाने के औजार।

(४) जालियां ।

(५) बिजली के मोटर (५० हार्स-पावर तक के) ।

(६) वलकेनाइज्ड फ़ाइबर शीट ।

(७) रेयोन का सूत ।

(८) रंगने का मसाला ।

(९) छतरी की तानें ।

(१०) टिटेनियम आक्साइड के रंग-पदार्थ ।

(११) क़ब्जे ।

(१२) माल्ट एक्स ट्रेक्ट ।

(१३) पेनल पिन ।

(१४) रेडियो ।

(१५) चमड़े का कपड़ा तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुएं ।

(१६) पालिश ।

(१७) शीशा ।

(ग) तटकर आयोग न मूल्य सम्बन्धी निम्नलिखित जांच पड़ताल की है ।

(१) मैसूर आइरन एन्ड स्टील वर्क्स भद्रावती द्वारा उत्पादित इस्पात को तैयार करने की उचित क़ीमतें ।

(२) स्टील कारपोरेशन आफ़ बंगाल द्वारा उत्पादित इस्पात को तैयार करने की उचित कीमतें ।

(३) सुपर फ़ास्फ़ेट की उचित क़ीमतें (पहली जनवरी से १५ अगस्त १९५२ तक)

(४) टिन प्लेट कम्पनी आफ़ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा उत्पादित टिनप्लेट तैयार करनें की उचित क़ीमतों का पुनरीक्षण

(५) कच्चे रबर की कीमतों का पुन-रीक्षण ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिये गये उद्योगों के मामलों को तटकर आयोग को भेज दिया गया है; यदि नहीं तो सरकार ऐसा कब करना सोच रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) इन उद्योगों के पास एक प्रश्नावली भेजी गई थी और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है । उन उद्योगों के प्रश्न पर जिनके मामले सरकार तटकर आयोग के पास भेजना उचित समझती है, विचार हो रहा है ।

पंडित एल० के० मैत्रा : यह प्रश्नावली सरकार द्वारा भेजी गई थी या तटकर आयोग द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रार्थना पत्र पहले सरकार के पास आते हैं और फिर सरकार प्रार्थियों से कुछ सूचना प्रस्तुत करने के लिये कहती है । पहले सरकार यह निश्चय करती है कि मामला विशेष तटकर आयोग को भेजे जाने योग्य है या नहीं । मामले की जांच मंत्रीय स्तर पर की जाती है और फिर, सरकार यदि उचित समझती है तो उसे नये तटकर आयोग के पास भेजती है ।

श्री बंसल क्या यह सत्य है कि राजकोषीय आयोग ने यह सिफ़ारिश की थी कि तटकर आयोग को कुछ मामलों पर भारत सरकार के कहे बिना अपनी मर्ज़ी से विचार करने का अधिकार दिया जाये ?

श्री करमरकर यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है ।

भारत के राजपत्र का वितरण

*२६१. **श्री बंसल** : **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) राजपत्र मंगाने वालों को राजपत्र दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या राजपत्रों के प्रकाशनों को बहुत दिनों तक इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि राजपत्र मंगाने वालों के पास कुछ राजपत्र उसमें दी

हुई तारीख के पन्द्रह-बीस दिन बाद पहुंचते हैं ;

(घ) क्या राजपत्र मिलने में देर छपने के कारण होती है या उसे डाक द्वारा भेजने में देर करने के कारण ;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान राजपत्र मंगाने वालों को इसके कारण होने वाला असुविधा की ओर दिलाया गया है, तथा

(च) इस देर को दूर करने के लिय सरकार क्या उपाय करना सोचती है ?

निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राजपत्र मंगाने वालों को उन के राजपत्र के भागों और खंडों की जरूरतों के आधार पर लगभग १०७ श्रेणियों में बांट दिया गया है और प्रत्येक श्रेणी के संबंधित भाग और खंड प्रेस के प्रकाशन विभाग द्वारा भेजे जाते हैं । वितरण सामान्यत: शनिवार को शुरू होता है और अगले सोमवार या कभी कभी मंगलवार तक समाप्त हो जाता है ।

विशेष अंकों का प्रकाशन नियत अवधि पर नहीं होता । जब जब जरूरत आ पड़ती है तो उन्हें प्रकाशित करके वितरित किया जाता है ।

(ख) जी नहीं । परन्तु ऐसा अक्सर हो जाता है कि विशेष राजपत्रों के कई अंक प्रकाशन विभाग म एक साथ आ जाते हैं फिर उन्हें इकट्ठा भेजा जाता है ।

(ग) से (ङ) । जहां तक मुझे पता है हाल ही में सरकार का ध्यान ऐसी किसी असुविधा की ओर नहीं दिलाया गया है जैसे राजपत्र मंगाने वालों ने उनके पास प्रतिलिपियां देर में पहुंचने के कारण अनुभव की हों । परन्तु सरकार यह जानती है कि कभी कभी ऐसी देर हो जाती है, हालांकि कुछ दूर की जगहों को छोड़ कर, ऐसा नहीं होता कि राजपत्र पहुचने में १५ या बीस दिन की देर हो जाय । यह देर अधिकतर विशेष राजपत्रों के बारे में ही हो सकती है, नियमित अंकों के बारे में नहीं । जब कभी देर होती है तो वह प्राय: छपने और बाटने दोनों ही के कारण होती है । जैसा मैं कह चुका हूं, ऐसा तब ही होता है जब विशेष राजपत्रों के कई अंक लगभग एक ही समय में भेजने होते हैं ।

(च) सरकार इस मामले पर निरन्तर ध्यान रखती है और स्थिति को सुधारने के लिये छपाई के काम में तथा वितरण संबंधी सुविधाओं में विस्तार करने के बारे में भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री बंसल : क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ राजपत्र, जिनमें इस सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक होते हैं, लोगों के पास उस समय पहुंचते हैं जब उन विधेयकों को स्वीकार करके कानून भी बना लिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह मैं समझता हूं कि यह एक बिल्कुल निराधार आरोप है, मैं इसे नहीं मान सकता ।

श्री के० के० बसु क्या माननीय मंत्री को विदित है कि विशेष राजपत्र कलकत्ते के विक्रय विभाग तक में हमेशा उपलब्ध नहीं होते ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जब तक कोई कोई विशिष्ट मामला न बताया जाये, मैं यह नहीं बता सकता । मैं तो समझता हूं कि कलकत्ते में वितरण का प्रबन्ध ठीक है ।

सरदार हुक्म सिंह : जब देर हो जाती है और शिकायतें नहीं की जातीं तो क्या सरकार शिकायतों का इन्तजार करती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

सरकारी औद्योगिक उपक्रम

*२६२. **श्री बंसल** : **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी और हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बना दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधीन अन्य उद्योगों के लिये भी उत्पादन मंत्रालय के प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बनाना सोच रही है ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों के वार्षिक लेखा-पत्र और रिपोर्ट को संसद् के सामने विचारार्थ रखा जायेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) जी हां । विशाखापटनम जहाज़-निर्माण यार्ड को, जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहलाता है, चलाने के लिये प्राइवेट लिमिटड कम्पनी सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ, जिसके पास एक तिहाई शेयर है, स्थापित की गई है ।

(ख) इस संबंध में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५०८ के बारे म २६ अप्रैल १९५१ को भारत संसद् में दिय गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । यहां यह बतलाना आवश्यक है कि भाग (क) के उत्तर में दिये गये दो उद्योगों के अलावा, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां रूप-नारायणपुर में ड्राई कोर केबुल फैक्टरी तथा नाहान फांउडरी, नाहान के प्रबन्ध के लिये भी स्थापित कर दी गई हैं । गवर्नमट हाउसिंग फैक्टरी, जंगपुरा दिल्ली के लिये भी हाल ही में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस प्रश्न पर, कि सरकारी उपक्रमों के कार्य पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार हो, अभी विचार हो रहा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आंक समिति ने इन सरकारी फ़ैक्टरियों पर संसद् द्वारा नियंत्रण रखने के बारे में कुछ सिफ़ारशें की थीं ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार किसी फ़ैसले पर पहुंची है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, मुझे आंक समिति की सिफ़ारिशों के बारे में पता है । जैसा कि प्रश्न के भाग 'ग' के सारे उत्तर में मैं कह चुका हूं, सारे मामले पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है ।

श्री वैलायुधन : इन लिमिटेड कम्पनियों की मैनेजिंग एजेन्सी सरकार के पास होगी या प्राइवेट एजेन्सियों के पास ।

श्री के० सी० रेड्डी : कोई मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं है ।

दृष्टांक प्रणाली

*२६३. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार ने दृष्टांक प्रणाली को उदार बनाने के मामले में भारत सरकार के साथ सहयोग देने से इन्कार कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो भारत सरकार ने जो सुझाव दिया है उसमें क्या क्या बातें हैं और उस पर पाकिस्तान सरकार ने क्या विचार प्रगट किये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच पारपत्र प्रणाली जारी करने का प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार न किया था । भारत सरकार इसे पसन्द नहीं करती थी और पूर्वी पाकिस्तान तथा भारत के बीच आने जाने में कोई बाधायें रखना नहीं चाहती थी । परन्तु पाकिस्तान द्वारा आग्रह करने पर, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर बहुत कुछ विचार किया । यह

विचार लोगों के आने जाने में होने वाली कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से किया गया था। जो फ़ैसले किये गये थे उन पर दोनों सहमत थे। इन फ़ैसलों के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच आना जाना काफ़ी सुविधापूर्ण हो गया है। यद्यपि भारत सरकार के कुछ सुझाव पाकिस्तान सरकार ने नामंजूर कर दिये थे, परन्तु दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों में पारपत्र और दृष्टाकों के जारी करने से सम्बधित नियमों के बनाने पर परस्पर सहयोग में कमी नहीं थी।

(ख) इस विषय की विस्तृत बातों पर चर्चा काफ़ी दिन चलती रही। अन्त में, भारत सरकार ने तीन सुझाव रखे जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने मंजूर नहीं किया। वे इस प्रकार थे :—

(१) भारत को पाकिस्तान में कराची, लाहौर और ढाका के अलावा अन्य कुछ स्थानों में दृष्टांक शाखा कार्यालय खोलने चाहिये और इसी प्रकार पाकिस्तान को दिल्ली, जालन्धर और कलकत्ते के अलावा कुछ स्थानों में दृष्टांक शाखा कार्यालय खोलने चाहिये।

(२) पूर्वी पाकिस्तान तथा भारत के बीच अधिकृत मार्गों की सूची में कुछ अन्य भागों का सम्मिलित किया जाना; विशेषत: आसाम के पहाड़ी ज़िलों के बीच के मार्ग, जहां पर आन्तरिक यातायात की सुविधायें कम हैं।

(३) सीमा के अन्दर घुसने पर चेक-पोस्ट पर शुरू में रजिस्टर कराने के अलावा, पुलिस को बाद में आने और जाने की रिपोर्टें करने की बात छोड़ दी जानी चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच दृष्टांक प्रणाली उसी आधार पर चलाई जायेगी जिस पर अन्य देशों के बीच चलती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, अवश्य।

श्री ए० सी० गुहा : क्या दृष्टांक जारी किये जाने के नियम तथा प्रक्रिया भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में एक से हैं या दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं नियम एक से ही हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : पारपत्र तथा दृष्टांक प्रणाली के जारी किये जाने के बाद, पाकिस्तान से हिन्दू अल्पसंख्यकों का आना प्राय: बन्द हो जाने को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से पारपत्र तथा दृष्टांक प्रणाली को खत्म कर देने की वांछनीयता पर ज़ोर देते हुए कोई अभ्यावेदन किया है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी नहीं। वास्तव में इस मामले पर अभी निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दी होगा। दूसरे, जहां तक मुझे मालूम है इस समय कोई कठिनाई नहीं है। हो सकता है ऐसे व्यक्तिगत मामले हों जिनमें जांच की जा सकती है। परन्तु नियम बहुत उदार हैं; इस प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में अब तक मैं ने कोई विशेष शिकायत नहीं सुनी है। इस अवस्था पर जब इतना कुछ हो चुका है, और वहां से आने वालों के लिये यह आसानी कर दी गई है कि वे प्रव्रजक था यात्रियों के रूप में आ जा सकते हैं तो इस प्रणाली को खत्म कर देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री सारंगधर दास: क्या सरकार को को यह मालूम है कि उन भारतीय नागरिकों के लिये जिनकी पूर्वी पाकिस्तान में तीन या चार चीनी की फ़क्टरियां ह, वहां पर भारत से मज़दूर ले जाना असंभव सा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने उप उच्च आयुक्त

का कार्यालय दृष्टांकों की इतनी बड़ी संख्या को नहीं निपटा पाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: हो सकता है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को यह मालूम है कि दृष्टांकों के लिये बहुत से आवेदन पत्र दिये गये हैं और दोनों ओर दृष्टांक तथा परमिट प्राप्त करने के लिये लोगों को हफ्तों से इन्तजार करना पड़ रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मेरे विचार में उसमें कुछ सचाई है । निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता किन्तु परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बनाने में तथा दृष्टांकों का प्रबन्ध करने में कुछ समय लगता ही है । जहां तक हमारा संबंध है हम इस मामले में शीघ्रता कर रहे हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा : उठे—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

श्री के० पी० त्रिपाठी (क) प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान हो कर आसाम से कलकत्ते और कलकत्ते से आसाम आने जाने वाले स्टीमर के मल्लाहों की उस हड़ताल के जारी रखने के कारण रुके हुए हैं जिसे कलकत्ते में संघ ने बहुत दिन पहले ही समाप्त कर दिया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस हड़ताल के ज़ारी रहने के क्या कारण हैं ?

(ग) इसमें कितने स्टीमर रुके हुए हैं और उनमें कौन कौन सी वस्तुऐं भरी हैं ?

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करना सोच रही है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान में चलने वाले स्टीमरों के मल्लाहों ने ऐसी कोई हड़ताल न की थी और न ही कर रखी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क से ङ तक) भारतीय पंजीबद्ध स्टीमरों के मल्लाहों ने ९ नवम्बर से काम पुनः आरम्भ कर दिया है तथा यातायात फिर से जारी हो गया है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान म चलने वाले स्टीमरों पर काम करन वाले मल्लाह भी उन्हीं हालतों म काम करते हैं जिनमें भारतीय क्षेत्रों में चलने वाले स्टीमरों पर काम करने वाले मल्लाह करते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना पूछताछ किये नहीं दे सकता ।

श्री क० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि उन स्टीमरों के मल्लाहों ने जो कलकत्ते में हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद भारत से गये थे पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंचते ही फिर हड़ताल कर दी थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, मेरे विचार में, ऐसा हुआ था । संघ के सभापति ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया था किंतु हड़ताल करने वालों ने यह कहा कि उनके पास अब तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि सभापति ने ही ऐसा किया है और शायद उनको धोखा दिया गया है । इसलिये सभापति के लिये कुछ अधिकृत एजन्टों का यह कहने के लिये भेजना आवश्यक हो गया कि उसने हड़ताल खत्म करने के लिये कह दिया है । बस यह बात है ।

श्र के० पी० त्रिपाठी : क्या धुबर से आने वाली इस रिपोर्ट में कोई सचाई है कि इस हड़ताल के उकसाने में पाकिस्तान के कुछ उच्च अधिकारियों का हाथ है क्योंकि सारे मल्लाह सब पाकिस्तानी नागरिक हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर कह सकता ।

श्री ए० सी० गुहा यदि प्रधान मंत्री का यह कहना है कि कुछ स्टीमर वापस नहीं लौटे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इन स्टीमरों को वापस लाने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है या पाकिस्तान सरकार उन्हे रोके रख रही है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने आज कुछ नहीं कहा है । क्या माननीय सदस्य किसी पूर्व कथन का निर्देश कर रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : कुछ स्टीमर जो पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के बीच चला करते थे पूर्वी बंगाल से वापस नहीं आये हैं । क्या सरकार को इनका कुछ पता है ; यदि है तो इन स्टीमरों के वाँपस आने के बारे में उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हड़ताल के ज़माने में, सारे स्टीमर जगह जगह रुके पड़े थे । अब पिछले चार दिनों में उन पर काम शुरू हो गया है । मैं समझता हूं कि धीरे धीरे वे वापस आ जायेंगे । यदि नहीं आते, तो कुछ न कुछ अवश्य किया जायगा ।

श्री सरमा : क्या हड़ताल ब्रह्मपुत्र के भारतीय क्षेत्र में ही थी या पास्कितानी क्षेत्र में भी थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे मालूम है, हड़ताल पाकिस्तानी क्षेत्र में भी थी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इस रिपोर्ट में भी कोई सचाई है कि स्टीमर कम्पनियों ने जो क़दम उठाया था वह ऐसा था मानों उसने हड़ताल जारी रखने के लिये अपनी मौन सहमति दे दी हो ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि मैं अपना उत्तर अखबारी रिपोर्टों और आरोपों पर आधारित करूं ।

श्री नम्बियार : क्या हड़ताल मज़दूरों की न्यायपूर्ण शिकायतों के कारण हुई थी और क्या इन शिकायतों के पूरी हो जाने के बाद ही उसके बारे में फैसला हुआ था?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने मज़दूरों की शिकायतों को देखा नहीं है इसलिये उनके बारे में मुझे अधिक पता नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय लड़कियों से विवाह करने के लिये कनाडा जाना चाहने वाले भारतीय

*२५४. **श्री पी० टी० चाको** : **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीयों को जो कनाडा में स्थायी रूप से रहने वाली भारतीय लड़कियों से विवाह करने के लिये कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा सरकार से अनुमति मिल जाती है ;

(ख) क्या उन भारतीयों को, जो कनाडा में भारतीय लड़कियों से विवाह करते हैं, वहां स्थायी रूप से रहने की अनुमति दे दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारतीयों के कनाडा में आने देने पर वहां की सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने की नीति के फ़लस्वरूप कनाडा में स्थायी रूप से रहने वाले भारतीयों को अपनी लड़कियों के लिये वर ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन किया है ?

वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). जी हां। परन्तु ऐसे व्यक्ति १५० भारतीय नागरिकों के उस कोटे के अन्दर आ जायेंगे जिन्हें कनाडा में स्थायी रूप से रहने के लिये हर वर्ष जाने की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण

*२५८. **प्रो० अग्रवाल** : (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोखेरी में हाल ही में राज्यवार कितने परियोजना संचालक प्रशिक्षित किये गये ?

(ख) क्या विभिन्न प्रदेशों में और अधिक परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की कोई योजना है ?

(ग) क्या गैर-सरकारी एजेन्सियों को किसी परियोजना का काम सौंपा गया है; यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संलग्न विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ९]

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रथम भाग-जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिये कपड़ा

*२६४. श्री **एल० एन० मिश्र** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कपड़े के वितरण पर नियंत्रण को हाल ही में ढीला कर देने और मिलों को अपनी मर्ज़ी के खरीदारों को कपड़ा बेचने की अनुमति देने के बाद से बिहार और बंगाल में कपड़ा काफ़ी नहीं मिल रहा है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इसके कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री **(श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं। कपड़ा काफ़ी मिल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक परियोजना

*२६५. **श्री एस० सी० सामन्त** : **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से पूरी की गई कितनी प्रश्नावलियों तथा परियोजना प्राक्कलन प्राप्त हुए है और अब तक सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने (राज्यवार) कितनों की जांच की है और स्वीकार किया है ;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत परियोजना को मंजूर किया गया दीर्घकालीन ऋण और प्रत्येक मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का सहायक अनुदानों में हिस्सा ; तथा

(ग) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के सबंध में क्या आवश्यक कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) १२ राज्य सरकारों के पास से पर्यालोकन रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं तथा १८ राज्य सरकारों के पास से परियोजना संबंधी बजट आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले चौथाई वर्ष के लिये कार्यक्रम को अस्थायी रूप से मंजूर कर लिया गया है।

(ख) परियोजना मंत्रणा समितियों के साथ परामर्श होने तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा टैकनिकल और वित्तीय जांच हो जाने तक के लिये कार्यक्रम के संबंध में अन्तिम मंजूरी को उठा रखा गया है।

(ग) कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कुछ को किया जा रहा

है तथा कुछ प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षित करने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

खादी उद्योग

*२६६. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि खादी की देश में कम खपत हो जाने के फलस्वरूप उसका स्टाक काफ़ी मात्रा में जमा हो गया है और उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे उद्योग इस संकट पर काबू पा सके और अपने सामान्य उत्पादन कार्य में लग सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) खादी तथा हस्त करघे से बने कपड़े की मांग में कमी आ जाने के कारण इन दोनों उद्योगों में मन्दी आ गई है ।

(ख) खादी उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को तुरन्त सहायता देने में जिन लोगों को दिलचस्पी है उनसे बातचीत चल रही है । जहां तक हस्त करघे से बने कपड़े का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित राज्य सरकारें तथा मंत्रीगण जन मत को इस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करने के पक्ष में संगठित कर रहे हैं । इन उद्योगों को और अच्छे ढंग से चलाने के लिये भारत सरकार दीर्घकालीन व्यवस्था कर रहीं है । निश्चित उद्देश्यों को लेकर एक हस्त करघा बोर्ड किया जा चुका है । और इसकी पहली बैठक के अगले महीने के शुरू में होने की आशा है । खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को संगठित करने के संबंध में सहयोग देने के लिये प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को बुलाया गया है ऐसा प्रस्ताव है कि इनके लिये आवश्यक रुपये की व्यवस्था मिल के कपड़े पर उत्पाद कर लगा कर की जाये । आशा की जाती है कि इन उपायों से इन उद्योगों को काफ़ी सहायता मिल सकेगी ।

रेशमी कपड़ा

*२६८. **श्री झूलन सिन्हा** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे बाद के वर्ष में जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध हों, भारत में रेशमी कपड़े का उत्पादन क्या था ; और

(ख) क्या उस वर्ष भारत में जितना मांग थी उसके लिये वह कपड़ा पूरा हो गया था; यदि नहीं तो बाहर से कितना मंगाना पड़ा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) रेशमी कपड़े के वार्षिक उत्पादन के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों में वार्षिक औसत उत्पादन लगभग १ करोड़ ६ लाख गज़ था ।

(ख) जुलाई-दिसम्बर १९५२ में रेशमी कपड़े के आयात की अनुमति नहीं है ; परन्तु उससे पहिले कुछ मात्रा के आयात किये जाने की अनुमति थी । १९५२ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तरी बोर्नियो में बसने वाले भारतीय

*२६९. **श्री दाभी : प्रधान मंत्री** डा० केसकर द्वारा २२ फरवरी १९५२ को उत्तरी बोर्नियों में भारतीयों के बसने के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७६ के बारे में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि उत्तरी बोर्नियों में बसने वाले भारतीयों के प्रव्रजन के मामले पर भारत सरकार तथा उत्तरी बोर्नियो सरकार के बीच चलने वाली बातचीत अथव

पत्र-व्यवहार में क्या कोई प्रगति हुई है यदि हुई है तो क्या ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में की गई चार बातों के संबंध में विस्तृत सूचना उत्तरी बोर्नियो सरकार से प्राप्त हो गई है और अब सारे मामले पर सावधानी से विचार किया जा रहा है । यदि प्रव्रजन की शर्तों के बारे में संतोषजनक समझौता हो गया तो खेती संबंधी कार्यों के लिये बोर्नियों जाने की अनुमति देने के लिये भारतीय प्रव्रजन अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाने वाली आवश्यक अधिसूचना को स्वीकृत कराने के लिये सरकार को संसद् के समक्ष आना होगा ।

नमक पर उपकर

*२७०. **श्री आर० एन० सिंह** : **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ते के मेसर्स जमुनादास श्रीनिवास लिमिटेड ने यू० पी० के पूर्वी ज़िलों में नाम निर्देशित पक्षों से नमक कर दो आने प्रति मन के हिसाब से उपकर वसूल किया है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या यह सरकार की सहमति से किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). यू० पी० के पूर्वी ज़िलों में समुद्री नमक पर किसी प्रकार का कर या उपकर नहीं लगाया जाता है । यह ज़रूर है कि सरकार उत्पादन से उपकर लेती है और यह उपकर संबंधित फैक्टरी से नमक उठाये जाने से पहले वसूल किया जाता है । सरकार किसी प्राइवेट पार्टी को कर लगाने का और कर वसूल करने की अनुमति दे ही नहीं सकती । यह सत्य है कि अधिक तर सौराष्ट्र, कच्छ और तूतीकोरिन के पत्तनों से समुद्र द्वारा कलकत्ता भेजे जाने वाले नमक को निर्यात माना गया था और १ फरवरी १९५२ से पहले उस पर उपकर नहीं लिया गया था परन्तु उस के बाद से ऐसे नमक पर भी उपकर लिया जा रहा है । हो सकता है कि इसके फलस्वरूप उक्त कम्पनी ने यू० पी० को जो नमक भेजा था उस के दाम उसी अनुपात में बढ़ा दिये हों ।

नारियल जटा उद्योग को सहायता

*२७१. **श्री वैलायुधन : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रावनकोर-कोचीन के नारियल-जटा उद्योग को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ; और

(ख) भारत सरकार के अधिकारी द्वारा उस राज्य में नारियल-जटा उद्योग के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १० नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के बारे में दिये उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०**]

एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली स्विस मंडली

*२७२. **श्री वैलायुधन : प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली स्विस मंडली को भारत सरकार ने क्या सहायता दी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मंडली के साथ यह रियायत की गई थी कि उसके द्वारा भारत में मंगाये जाने वाले सामान पर कोई सीमा शुल्क नहीं ली जायेगी बशर्ते कि वह सामान निश्चित समय के अन्दर वापस बाहर भेज दिया जाये ।

नीलोखेरी बस्ती

*२७३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हाल ही में नीलोखेरी की जन संख्या काफ़ी कम हो गई है और बहुत से परिवार उस वस्ती को छोड़ रहे हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त कारणों से वर्कशाप की कुछ मशीनें बेकार पड़ी हैं ?

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके कारण क्या हैं ?

(घ) नीलोखेरी बस्ती की जन संख्या पहली नवम्बर १९४९, १९५०, १९५१, और १९५२ को क्या थी ?

योजना तथा सिंचाई मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) १९४९, १९५० और १९५१ के नवम्बर मास में कोई जन गणना नहीं की गई थी, न ही चालू महीने में की गई है । नीलोखेरी की जन गणना अगस्त १९५०, मार्च १९५१ और जनवरी १९५२ में की गई थी जब कि उनकी जन संख्या क्रमशः ६१३१, ६२८७ और ६३१५ थी ।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

*२७४. **श्री बेली राम दास :** (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में, हर महीने पूर्वी पाकिस्तान से कितने लोग आये और वहां कितने गये ?

(ख) पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के उस देश से आने के और फिर उतने ही लोगों के वापस पूर्वी पाकिस्तान जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) बंगाली विस्थापितों के इधर उधर आने जाने को रोकने के लिये सरकार क्या क़दम उठाना सोचती है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) संभवतः कारण इस प्रकार है :

(१) अरक्षा की भावना ।

(२) बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, और

(३) पारपत्र प्रणाली के जारी होने की संभावना और यह डर कि शायद इससे आने जाने में रुकावट हो ।

(ग) पारपत्र प्रणाली के जारी होने के बाद से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल, आसाम व त्रिपुरा के बीच आना जाना काफ़ी कम हो गया है । साथ ही, पारपत्र प्रणाली के अन्तर्गत आने जाने में काफ़ी स्वतंत्रता है, हाला कि थोड़े से प्रतिबन्ध भी हैं । भारत तथा पाकिस्तान सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने के लिये क़दम उठाये गये हैं कि पारपत्र प्रणाली से आने जाने की स्वतंत्रता में बाधा डालने का इरादा नहीं है। पारपत्र प्रणाली के बारे में मिथ्या भावनाओं को दूर करने के उद्देश्य से दोनों देशों के केन्द्रीय अल्प संख्यक मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दौरा किया है ।

पटसन उद्योग के मज़दूरों के लिये मकान

*२७५. **श्री तुषार चटर्जी : निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटसन उद्योग में लगे मज़दूरों की मकान संबंधी समस्या जानती है ;

(ख) भारत सरकार की इस क्षेत्र में अपनी ओर से, अथवा इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के साथ मिलकर मकान बनवाने की कोई योजना है ; और

(ग) क्या इस विषय पर भारत सरकार और इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के बीच कोई बातचीत हुई थी ?

निर्माण, गृह व्यवस्था और रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सरकार जानती है कि पटसन उद्योग के मज़दूरों की हालत भी वही है जो अन्य उद्योगों के मज़दूरों की है ।

(ख) सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना के अनुसार सरकार के पास मज़दूरों के लिये मकान बनवाने की योजनायें हैं । इस योजना के अन्तर्गत, राज्यस सरकारें, मालिक तथा औद्योगिक सहकारी समितियां मज़दूरों के लिये मकान बनवायेंगी । सरकार को विश्वास है कि पटसन उद्योग के मज़दूर इस योजना से लाभ उठायेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

पटसन की वस्तुएं

*२७६. **श्री बाल्मीकी : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पटसन की वस्तुओं की किस्म सुधारने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान २७ मई १९५२ को उनके द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०० के भाग 'ग' के बारे में दिये गये मेरे उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

आसाम में पेट्रोल का मुल्य

*२७७. **श्री बेलीराम दास : निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को पेट्रोल से भिन्न भिन्न शक्लों में कितनी आय हुई ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं सदन पटल पर दो विवरण रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२**]। विवरण संख्या १ में केन्द्रीय सरकार तथा आसाम सरकार की गत पांच वर्षों में पेट्रोल से हुई आय दी गई है । विवरण संख्या २ में अन्य राज्य सरकारों के बारे में जो सूचना मिल सकी है, वह दी गई है ।

रेलों तथा उद्योगों के लिये बिजली

*२७८. **श्री कृष्ण चन्द** : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय जिन जिन नदी घाटी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है उन से उपलब्ध होने वाली विद्युत-शक्ति को उद्योगों के विकास के लिये तथा बिजली से रेलें चलाने के लिये काम में लाने की क्या कोई योजना है ?

(ख) उपरोक्त दो कार्यों के लिये मंडी, मछकुंड और दामोदरघाटी परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत-शक्ति को किस प्रकार काम में लाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जिन नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है उनसे प्राप्त लगभग सारी विद्युत शक्ति को उद्योगों के विकास के लिये नगरों तथा गांवों में घरों के लिये तथा कृषि संबंधी कार्यों के लिये काम में लाया जायेगा । हां, रेलों को बिजली से चलाने के लिये विद्युत-शक्ति यू० पी० में दामोदर घाटी परियोजना, और रिहांद परियोजना से, पंजाब में भाखरा-नंगल परियोजना से तथा मद्रास में तुंगभद्रा परियोजना से और पाईकारा तथा पायानासम और पेरियार तथा कुन्दा योजनाओं से कुछ समय बाद प्राप्त की जा सकती है ।

(ख) इन तीनों परियोजनाओं से उपलब्ध विद्युत-शक्ति इस प्रकार काम में लाई जायेगी :

मंडी--पंजाब में इस नाम की कोई परियोजना नहीं बन रही है । शायद माननीय सदस्य भाखरा-नंगल परियोजना को निर्दिष्ट कर रहे हैं । इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य में जितने उद्योग इस समय तेल या स्टीम से चलाये जाते हैं उनको बिजली से चलाने तथा उद्योगों के अग्रेतर विकास के लिये व्यवस्था की गई है । यद्यपि रेलवे के लिये विद्युत शक्ति मिल सकती है, परन्तु परियोजना क्षेत्र में रेलों को बिजली से चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मछकुंड–यह परियोजना मद्रास और उड़ीसा राज्यों का संयुक्त उपक्रम है । बिजली के लिये मद्रास से जो मांग आ रही है उसमें जहाज़ निर्माण, सीमेंट, पटसन, टेक्सटाइल, चीनी, मूंगफली आदि उद्योगों की मांगें हैं । श्री काकुलम्, विशाखापटनम्, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुन्टूर ज़िलों की मांगें, जहां अब थरमल स्टेशनों से बिजली मिलती है, इस परियोजना से पूरी की जायेगी । उड़ीसा में, विद्युत शक्ति वर्तमान उद्योगों जैसे चावल-मिलों, तेल-मिलों, बनास्पति घी फैक्टरी, चीनी मिलों आदि की मांगों के लिये तथा नये उद्योगों जैसे फैरो-मैगनीज़, स्पिनिंग तथा वीविंग मिल, काग़ज़ और गूदा बनाने के संयंत्र आदि के विकास के लिये काम में लाई जायेगी । इस परियोजना के क्षेत्र में बिजली से रेलों के चलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

दामोदर घाटी परियोजना-- इस परियोजना से प्राप्त विद्युत-शक्ति निम्न उद्योगों के विकास के लिये दी जायेगी :

(१) लोहा तथा इस्पात;
(२) कोयला-खान ;
(३) अभ्रक खान और अभ्रक तैयार करना ;
(४) इंजीनियरिंग उद्योग ;
(५) साईकिल निर्माण ;
(६) कच्चे तांबे से धातु अलग करना;
(७) अलूमिनियम ;
(८) रिफ़्रेक्टरी और शीशा ; तथा
(९) मूल रासायनिक ।

मदास में लिगनाइट कोयला

*२७९. **श्री कृष्ण चन्द्र :** (क) **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के दक्षिण आर्काट ज़िले में लिगनाइट कोयला, जो कोयले की एक बहुत बढ़िया किस्म है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया है ?

(ख) क्या इस बहुमूल्य कोयला खान से कोयला निकालने का कोई तरीक़ा निकाला गया है और क्या लिगनाइट कोयले की लम्बी चौड़ी तह के ऊपर और नीचे वाले पानी को निकाल कर आस पास की असर भूमि में सिंचाई करने के लिये उसे काम में लाने का भी तरीक़ा निकाला गया है ?

(ग) क्या लिगनाइट कोयले को निकालने के लिये एक प्रारंभिक संयत्र की व्यवस्था करने के बारे में भारत सरकार ने मद्रास सरकार को सहायता देने का फ़ैसला किया है ?

(घ) अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां । मद्रास सरकार ने जो सूचना इकट्ठी की है उसके अनुसार, लिगनाइट का क्षेत्र लगभग १०० वर्ग मील में फैला हुआ है और उस में २०,००० लाख टन से अधिक

लिगनाइट है जिसकी तुलना बंगाल और बिहार के श्रेणी १ के कोयले से की जा सकती है ।

(ख) राज्य सरकार ने एक अग्रिम योजना को हाथ में लेने का निश्चय किया है जो कि ५५० वर्ग फ़ीट के क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेगी जिससे यह पता लग सके । इस पदार्थ को यहां से निकाला जा सकता है अथवा नहीं । ज़मीन के नीचे वाले पानी को सिंचाई के लिये काम में लाया जा सकता है या नहीं, इस की भी जांच की जा रही है ।

(ग) अग्रिम योजना की क्रियान्विति के संबंध में भारत सरकार ने मद्रास सरकार को ज़मीन खोदने वाली कुछ भारी मशीनें उधार देने का निश्चय किया है ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट सयंत्र तथा मशीन देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार मशीन को उस स्थान तक पहुंचाने के लिये प्रबन्ध कर रही है ।

दामोदर घाटी निगम के बारे में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट

*२८०. **श्री कृष्णचन्द : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति ने १९५१-५२ के लिये अपनी पांचवीं रिपोर्ट के पैरा ४६ में यह कहा है कि दामोदर घाटी निगम की वर्तमान प्रशासनीय और वित्तीय व्यवस्था बहुत खराब है ;

(ख) क्या प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में दामोदर घाटी तथा अन्य नदी घाटी निगमों की रचना के बारे में कोई सिफ़ारिशें की हैं; तथा

(ग) इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख), जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम से संबंधित कुछ मामलों में रिपोर्ट करने के लिये ५ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है । दामोदर घाटी निगम की रचना के बारे में जांच करना भी समिति के निर्देश्य-पदों में सम्मिलित है । समिति से दो महीनों में रिपोर्ट करने को कहा गया है ।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापित बालकों के लिये प्रारंभिक विद्यालय

*२८१. **श्री तुषार चटर्जी : पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मार्च १९५२ से भारत सरकार पश्चिमी बंगाल में विस्थापित बालकों के प्रारंभिक विद्यालयों के लिये कोई रुपया नहीं दे रही है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस बारे में क्या क़दम उठाये हैं जिससे यह विद्यालय चलते रहें ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल ने इन विद्यालयों के लिये रुपया देना मंजूर नहीं किया है और वह भारत सरकार के हिसाब में ही रुपया दे रही है ; और

(घ) यदि ऐसा है, तो इन विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था कब और कैसे की जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : आगामी वर्षों के लिये वित्तीय प्रबन्ध करने के मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

कपड़े के दाम

*२८२. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कपड़े की कुछ किस्मों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने और कुछ पर रहने देने के क्या कारण हैं ?

(ख) प्रति व्यक्ति आधार पर कपड़े का वर्त्तमान उत्पादन युद्ध-पूर्व उत्पादन के मुक़ाबले में कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ३० सितम्बर १९५२ की प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया जाता है जिसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३ (क)**]

(ख) १९३८-३९ में १५.३ गज़ के मुक़ाबले में १४ गज़ ।

पटसन के मूल्यों में कमी

*२८३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने कच्चे पटसन के दामों में ४० पौंड प्रति टन की कमी की जो घोषणा की है उससे भारत में पटसन व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ है ?

(ख) इस कमी के कारण भारत को कुल कितनी दुर्लभ मुद्रा का नुक़सान होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक हमें ज्ञात है कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इंग्लैंड इस देश से कच्चा पटसन नहीं खरीदता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामुदायिक परियोजनायें

*२८४. **श्री झुनझुनवाला** : **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना ख़र्चा किया जायेगा ;

(ख) इसमें से विदेशी पूंजी कितनी होगी; और

(ग) विदेशी पूंजी किस शक्ल में आयेगी, नक़द पैसे के रूप में या वस्तुओं के रूप में, यदि वस्तुओं के रूप में तो वे वस्तुएं कौन कौन सी हैं और उनका सापेक्ष मूल्य कितना है ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जो कार्य क्रम हाथ में ले लिया गया है उस पर लगभग ३१.३४ करोड़ रुपये ।

(ख) लगभग ४.११ करोड़ रुपये ।

(ग) डालर व्यय संभरण, सामग्री, सेवायें तथा कार्यक्रम के लिये बाहर से आने वाले अन्य माल पर तथा उनके भारत लाने पर होगा ।

बचा-खुचा लोहा तथा इस्पात (निर्यात)

*२८५. **डा० राम सुभग सिंह** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में जापान को कुल कितना बचा-खुचा लोहा और इस्पात निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

१९५०-५१	कुछ नहीं
१९५१-५२	१५,७८४ टन

कच्चे पटसन के स्टाक

*२८६. **श्री टी० के० चौधरी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सत्य है कि भारत में पटसन मिलों और स्टाकिस्टों के पास जो कच्चे पटसन के स्टाक हैं वे इस वर्ष तथा अगले वर्ष के लिये पटसन उद्योग की मांग पूरी करने के लिये काफी हैं ;

(ख) पहली अगस्त, १९५२ से लेकर हर महीने भारतीय आयात कर्त्ताओं ने पाकिस्तान में अपने एजेंटों के ज़रिये कितना पटसन ख़रीदा, और भारत में वास्तव में कितनी मात्रा आयात की गई ;

(ग) भारत में पटसन उगाने वालों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या

क़दम उठाये हैं जिससे कि पटसन के आयात कर्त्ता स्टाकिस्ट तथा उद्योग द्वारा पटसन उद्योग की वास्तविक मांग से अधिक पटसन आयात किया जा कर भारत में उगाये गये पटसन के बाज़ार भाव लागत मूल्य से कम न हो जायें ?

वाणिजय तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) भारतीय आयात कर्त्ताओं द्वारा ख़रीदे गये पाकिस्तानी पटसन की मात्रा के बारे में सरकार के पास विस्तृत सूचना नहीं है। मिलों ने अपने हिसाब में जो ख़रीद की है वह इस प्रकार है :—

अगस्त १९५२ .. १,३४,००० गांठें

सितम्बर १९५२ .. ३,१९,००० गांठें

पाकिस्तान से कच्चा पटसन नीचे लिखे महीनों में उनके सामने दी गई मात्राओं में आयात किया गया :—

अगस्त १९५२ .. ५६,४०० गांठें

सितम्बर १९५२ .. ४५,००० गांठें

(ग) कच्चे पटसन का मूल्य अन्तिम रूप से उस मूल्य पर निर्भर करता है जिस पर पटसन की वस्तुओं को विदेशों के बाज़ारों में बेचा जाता है । इसलिये कच्चे पटसन से सबंधित समस्याओं का हल भारतीय उद्योग को विदेशों के बाज़ारों में अपना फिर से सिक्का जमाने तथा विस्तार करने में हैं । निर्यात-नियंत्रण को उदार करने तथा निर्यात शुल्क में कमी करने जैसी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है जिससे हमारी पटसन की वस्तुओं की मांग बढ़ जाने में सहायता मिले । माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह भी बतला दूं कलकत्ता में कच्चे पटसन के जो मूल्य दिये जा रहे हैं वे लगभग वही हैं जो मूल्य नियंत्रण के समय में निश्चित किये गये थे ।

सिन्द्री फ़ैक्टरी से केलशियम कारबोनेट स्लज की बिक्री

*२८७. **श्री टी० के० चौधरी : उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सार तथा रासायनिक फ़ैक्टरी सिन्दरी में उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले केलशियम कार्बोनेट स्लज को एसोसियेटड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड को प्रति टन किस मूल्य पर बेचने का इरादा है और यह मूल्य उस लागत के मुकाबले में कितना है जिस पर इस देश में सीमेन्ट के कारख़ाने केलशियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं ; और

(ख) क्या भारत के अन्य सीमेन्ट निर्माताओं से भी पूछा गया था कि वे सिन्दरी केलशियम कार्बोनेट स्लज लेने को तैयार हैं और उसके लिये कितना मूल्य देंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिन्दरी कृषिसार तथा रासायनिक लिमिटेड ने मेसर्स एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज़ लिमिटेड को केलशियम कार्बोनेट स्लज ९ रु० प्रति टन के हिसाब से बेचना तय किया है । सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार भारत में सीमेन्ट फैक्टरियों द्वारा प्रयुक्त चूने की लागत ०.८८ रुपये से ७.९७ रुपये प्रति टन के बीच में है ।

(ख) भारत में सीमेन्ट के एक अन्य प्रमुख कारख़ाने से राय ली गई थी परन्तु उसने स्लज खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई ।

धातु-शोधन के काम में आने वाला कोयला

*२८८. **श्री ए० सी० गुहा : उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातुकर्मिक कोयला जांच समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) वर्ष १९४८, १९४९, १९५० और १९५१ में कितना धातुकर्मिक कोयला निकाला गया ; और

(ग) उपरोक्त चार वर्षों में विदेशों को इस प्रकार का कितना कोयला भेजा गया और भारतीय रेलों में उसकी कितनी खपत हुई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) धातुकर्मिक कोयले के संरक्षण से संबंधित समिति की सिफारिशों का सार यह था कि देश में धातुकर्मिक कोयले के संसाधनों के संरक्षण के लिये जल्दी ही क़दम उठाये जायें। समिति ने कहा कि यह काम इस प्रकार के कोयले की खानों में अनिवार्य रूप से थाक लगाकर, कोयले को धो कर और उसमें मिलावट कर के और कुछ वर्षों के लिये अच्छे क़िस्मों के धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन में धीरे धीरे कमी कर के किया जा सकता है। सरकार ने यह सिफ़ारिशें मान ली हैं। कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम पिछले वर्ष पारित किया गया था जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को कोयला खानों में सुरक्षा बनाये रखने या थाक लगाने के काम के साथ कोयले के संरक्षण के बारे में या कोयले में ऐश की मात्रा कम करने तथा उस में कोक बनाने के गुण बढ़ाने के अभिप्राय से कोयले को साफ़ करने या संरक्षित करने के बारे में अपनी इच्छा अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ८ जनवरी १९५२ से एक कोयला पर्षद स्थापित किया गया है जिसका काम खानों में सुरक्षा, कोयले का संरक्षण और अन्य मामलों से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना है। कोयले के संरक्षण के बारे में की जाने वाली कार्यवाही को क्रियान्वित रूप देने के लिये कोयला पर्षद् ने नियम बना लिये हैं। इस समय वह धातुकर्मिक कोयला उत्पादित करने वाली खानों में काम करने की हालत, थाक लगाने की सामग्री की उपलब्धता कोलवाशरीज़ स्थापित करने की सम्भाव्यता आदि विषयों पर विचार कर रहा है। कोयला सरंक्षण के विभिन्न पहलुओं पर जांच होने तक कोयला पर्षद ने धातुकर्मिक कोयले की विषेश क़िस्मों के उत्पादन को १९५२ में ७९ लाख टन तक और १९५३ में ७४ लाख टन तक समिति करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

(ख) १९४८ में धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु १९४९, १९५० और १९५१ में सारी क़िस्मों के धातुकर्मिक कोयले का उत्पादन इस प्रकार था :—

(दस लाख टन में)

१९४९	१२.७०१
१९५०	१२.५३९
१९५१	१३.६६५

(ग) आंकड़े इस प्रकार हैं :

(टनों में)

	१९४८	१९४९
निर्यात	१३,४७२	१३,२३७
रेलों द्वारा खपत (ए और बी की विशेष किस्में)	*११,४७,७५०	१७,१९,४३४

	१९५०	१९५१
,,	९६,६८१	६,४३,२६१
,,	१५,१०,०००	१३,५०,०००

*(अप्रैल से दिसम्बर तक)

सरकारी प्रकाशनों की बिक्री

*२८९. श्री **मादिया गौडा** : **निर्माण, गृह व्यावस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के लिये कोई प्राइवेट या सार्वजनिक पुस्तक भंडार खोले गये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने पुस्तक भंडार हैं ; और

(ग) क्या इन पुस्तक भंडारों में सारे प्रकाशन उपलब्ध हो जाते हैं ?

निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३** (क)]

(ग) भारत सरकार के सारे प्रकाशन किताब महल, नई दिल्ली और बुक डिपो, कलकत्ता में मिलते हैं । अन्य पुस्तक भंडारों में केवल महत्वपूर्ण प्रकाशन ही बिक्री के लिये भेजे जाते हैं ।

धातुकर्मिक कोयले का संरक्षण

*२९०. **श्री पी० सी० बोस**: (क) **उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि धातुकर्मिक कोयले के संरक्षण की योजना का खानों में काम करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ख) इस योजना के फलस्वरूप कितनी खानों में छंटनी की जायेगी ?

(ग) इस मामले में सरकार क्या कदम उठाना सोचती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) धातुकर्मिक कोयले के संरक्षण संबंधी योजना का खानों में काम करने वालों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी संभावना नहीं है ।

(ख) बहुत अधिक छंटनी होने की संभावना नहीं है । कोयला पर्षद सारी खानों के मामलों की जांच करेगा जिस से छंटनी की जरूरत कम से कम हो ।

(ग) सरकार और अधिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती ।

सिन्दरी फैक्टरी के उपोत्पाद

*२९१. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) **उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी कृषि सार फैक्टरी के उपोत्पाद क्या हैं ?

(ख) उनका क्या किया जाता है ?

(ग) यदि इन उपोत्पादों के बेकार पड़े रहने से कोई नुक़सान होता है तो कितना ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अमोनियम सल्फेट बनाने में केवल एक ही उपोत्पाद होता है और वह है केलशियम कार्बोनेट स्लज । कोयले और कोक के जलने से बहुत सारी राख बच रहती है जो एक बेकार वस्तु होती है, फैक्टरी का उपोत्पाद नहीं । कुछ कोक का चूरा बच रहता है जो भी किसी काम नहीं आता ।

(ख) केलशियम कार्बोनेट स्लज को इस समय सीमेंट बनाने के काम में लाये जाने के लिये इकट्ठा किया जाता है । मेसर्स एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटिड के साथ एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार वे स्लज को ९ रु० प्रति टन पर खरीदेंगे । मेसर्स एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड सिन्दरी में एक सीमेंट कारखाना खोलेंगे जहां प्रति दिन ६०० टन (आरम्भ में प्रति दिन ३०० टन) सीमेंट बनाया जायेगा ।

अधिकतर राख इस समय मार्शलिंग यार्ड में इकट्ठी कर दी जाती है । एक समय यह सोचा गया था कि शायद यह राख कोयला खानों में थाक लगाने के काम में आ जायेगी परन्तु अब पता चला है कि चूंकि उसमें बिना जले कार्बन का कुछ अंश रह जाता है इसलिये उसे इस काम में नहीं लाया जा सकता । इस राख को मकान के लिये पोली ईंटों या बिल्डिंग ब्लाकों के बनाने के काम में लाने पर अभी खोज की जा रही है । तब तक इसका कुछ भाग ३ रुपये प्रति टन (कारखाने पर) के हिसाब से बेचा जा रहा है ?

कोक का चूरा पावर हाउस में कोयले के साथ जलाया जाता है ।

(ग) उपोत्पाद को बेकार नहीं जाने दिया जाता, अतः बेकार जाने देने से होने वाले नुक़सान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जर्मनी के प्रजातंत्रीय गणराज्य को मान्यता देना

*२९२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : **प्रधान** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि : (क) जर्मनी (पूर्वी) के प्रजातन्त्रीय गणराज्य को मान्यता देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) क्या भारत और उपरोक्त गणराज्य के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये कोई क़दम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है; यदि है तो वे क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारत सरकार को आशा है कि जर्मनी फिर से एक हो जायेगा, अतः वह यह नहीं चाहती कि कोई ऐसा क़दम उठाया जाये जिस से उसके पुनः एकीकरण में बाधा हो । बोन स्थित जो हमारा भारतीय दूतावास है वह उस क्षेत्र के साथ हमारे पुराने संबंधों के फलस्वरूप है । ऐसा इसलिये भी है कि पश्चिमी जर्मनी के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्ध उस के लिये अधिक महत्व-पूर्ण हैं । पूर्वी जर्मनी के प्रजातन्त्रात्मक गण-राज्य को मान्यता देने का निश्चित रूप से यह अर्थ होगा कि भारत ने जर्मनी के विभाजन को एक स्थायी चीज समझ ली है ।

(ख) कोई विशेष क़दम नहीं उठाये गये हैं और न ही हाल में उठाये जाने वाले हैं । दोनों देशों में सामान्य स्थिति के अन्तर्गत व्यापार सन्तोषजनक रीति से चल रहा है ।

भारत की विदेशी व्यापारी कम्पनियों में लगे भारतीय

*२९४. **श्री मेघनाद साहा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी व्यापारी कम्पनियों में लग' भारतीयों की यूरोपियनों के मुकाबले में नौकरी की शर्तें, वेतन तथा भत्ते क्या हैं, इस के बारे में क्या सरकार ने हाल ही में कोई जांच की है ?

(ख) इस जांच के परिणाम क्या हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से इन विदेशी कम्पनियों द्वारा, विशेषतः अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा बहुत से यूरोपियनों को जो आवश्यक योग्यता तक नहीं रखते उन भारतीयों के मुकाबले में जो कहीं अधिक योग्यता रखते हैं, अधिक वेतन और भत्ते दे कर रखा जा रहा है ।

(घ) क्या यह सत्य है कि विदेशी कम्प-नियों में लगे भारतीयों को जो ज्यादा और कठिन प्रकार का काम करते हैं कम वेतन और भत्ता दिया जाता है ?

(ङ) भारत स्थित इन विदेशी कम्पनियों में इस विभेद को मिटाने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) तथा (ख) इस समय विदेशी फर्मों या विदेशियों द्वारा नियन्त्रित फ़र्मों में लगे भारतीयों और विदे-शियों के बारे में सरकार सूचना इकट्ठी कर रही है ।

(ग) से (ङ) सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं कि विदेशी फ़र्म अपने भारतीय कर्मचारियों से विभेदात्मक व्यवहार कर रही हैं परन्तु बिना आगे जांच किये सरकार का किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है ।

खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड

*२९५. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : **उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड की कोई न्यूनतम प्रति-शतता निश्चित की है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उन्होंने किसी ऐसी फ़ैक्टरी पर पाबन्दी लगाई है जिस ने अब तक इससे कम प्रतिशतता दिखाई है;

(ग) यदि ऐसा है तो किन किन फ़ैक्टरियों पर पाबन्दी लगाई गई है और इस प्रकार रद्दी करार दिये गये नमक की मात्रा क्या है;

(घ) सरकार ने ऐसे नमक को निकालने के लिये क्या कोई उपाय किये हैं; यदि किये हैं तो वे उपाय क्या हैं और इस प्रकार कितना नमक निकाला गया ;

(ङ) क्या सरकार ने खाने के नमक में न्यूनतम प्रतिशतता के बारे में किसी विशेषज्ञ से राय ली है, यदि ली है, तो वह विशेषज्ञ कौन है और उसकी राय क्या है;

(च) क्या नमक में सोडियम क्लोराइड की प्रतिशतता मालूम करने के बारे में निर्माताओं के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है या नमक की क़िस्म मालूम करने के बारे में उसने निर्माताओं के लिए सारी फ़ैक्टरियों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है; और

(छ) क्या सरकार का नमक के बगैर लाइसेंस वाले निर्माताओं से संस्थापन व्यय लेने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां। १९५२ के लिये ९३ प्रतिशत जिसको धीरे धीरे बढ़ा कर ९६ प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक कर दिया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न फ़ैक्टरियों में मानव-उपभोग के लिये जितनी मात्राओं के बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है उसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

(घ) घटिया क़िस्म का नमक औद्योगिक कार्यों के लिये दिया जा सकता है परन्तु विभिन्न उद्योगों से जांच करने पर पता चला कि इस नमक की कोई मांग नहीं है क्योंकि उद्योगों की जैसे नमक की जरूरत होती है वह मानव उपभोग के योग्य नमक से भी अच्छे क़िस्म का नमक होता है।

(ङ) खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड की प्रतिशतता इंडियन स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूशन द्वारा उद्योग से राय लेकर निश्चित की है;

(च) सारे प्रदेशों में सरकारी खर्चे पर नमक के विश्लेषण के लिये प्रयोगशालायें स्थापित कर दी गई हैं।

(छ) जी नहीं।

इंडियन स्टैण्डर्डस इस्टीट्यूशन को सहायता

*२९६. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **वाणिज्य तथा उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ में इंडियन स्टैण्डर्ड्स इंस्टीट्यूशन को कितनी सहायता दी गई ?

(ख) इस वर्ष इंस्टीट्यूशन पर कुल खर्च क्या था ?

(ग) कार्यपालिका समिति की रचना क्या है ?

(घ) इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित प्रमापों से क्या फ़ायदा उठाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) २,२०,००० रु०

(ख) अनुमानित व्यय ५,५३,५०० रु० वास्तविक व्यय ४,००,९९४ रु० १३ आ० ६ पा०

(ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

(घ) इन से निर्माता अपनी वस्तुओं के विक्रय के बारे में और ख़रीदार (जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार और नगरपालिका संस्थायें शामिल हैं) अपनी जरूरत की चीज़ें मंगाने के बारे में फ़ायदा उठाते हैं।

हेजाज की यात्रा

*२९७. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने हेजाज़ की यात्रा के लिये प्रबन्ध करने में सहायता के रूप में या अन्य किसी रूप में कोई ख़र्चा किया था ?

(ख) यदि किया था तो १९५०-५१ में और १९५१-५२ में कितना ख़र्चा किया गया ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). भारत सरकार हेजाज़ की यात्रा का प्रबन्ध करने के लिये किसी गैर सरकारी संस्था को कोई सहायता नहीं देती। उसने निराश्रित यात्रियों की व्यवस्था, डाक्टरी सहायता, पुलिस के प्रबन्ध तथा अन्य सहायता और पुनर्देशा-वर्तन पर १९५०-५१ में २८,४३६ रु० ५ आ० और १९५१-५२ में ७९,५४७ रु० ६ आ० ख़र्च किये।

अपहृत स्त्रियां

*२९८. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) **प्रधान मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में अब तक कितनी अपहृत स्त्रियों का पता लगा कर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया है और पाकिस्तान में कितनी अपहृत स्त्रियों का पता लगा कर उन्हें भारत भेजा गया है ?

(ख) दोनों मामलों में मूल रूप से ऐसी कुल कितनी स्त्रियां थीं ?

(ग) अपहृत स्त्रियों का पता लगाने के लिये स्थापित विभाग में १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कुल कितने कर्मचारी थे और उन पर इन वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(घ) यह काम कब तक और चलेगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १५ अक्तूबर १९५२ तक भारत में १७,९१६ स्त्रियों का पता लगाया गया था जिन में से १६,९१७ को पाकिस्तान में उन के संबन्धियों के पास और १००० को भारत में उन के सम्बन्धियों के पास पहुंचा दिया गया था।

इसी काल में पाकिस्तान में ८,३५१ स्त्रियों का पता लगाया गया जिन में से ८,३२६ को भारत में उन के सम्बन्धियों के पास और २५ को पाकिस्तान में उनके सम्बन्धियों के पास पहुंचा दिया गया था।

(ख) इस के बारे में कभी भी विश्वस्त आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(ग) दिये गये वर्षों में विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। उन वर्षों में जो ख़र्चा हुआ वह इस प्रकार है :

१९४९-५०	३,२३,४८७ रु०
१९५०-५१	१०,५०,८६४ रु०
१९५१-५२	७,८७,२५० रु०

(घ) यह कहना तो कठिन है परन्तु जैसा अभी विचार है, जब तक उन दंगों में भगाये गये व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जाता, तब तक इस विभाग के चलते रहने की आशा है।

वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में अपहृत महिलाओं का पता लगाने वाले विभाग में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या का विवरण

१९४९-५०

प्रशासनिक कर्मचारी

अधिकारी	—	१
सचिवीय कर्मचारी	—	६८
सामाजिक कर्मचारी	—	३९
श्रेणी ४ के कर्मचारी	—	७१

चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारी

लेडी डाक्टर	२
महिला डिसपेंसर	१
नर्स दाई	३
आया	१
भंगी	१

पुलिस कर्मचारी

सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	१
डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	१
इंसपेक्टर	१४
सब-इंसपेक्टर	४
हेड कांसटेबुल	१५
पैदल सिपाही	३०६
क्लर्क	६

१९५०-५१

प्रशासनिक कर्मचारी

अधिकारी	२
सचिवीय कर्मचारी	६१
सामाजिक कार्यकर्ता	५४
श्रेणी ४ के कर्मचारी	४१

चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारी

लेडी डाक्टर	२
महिला डिसपेंसर	१
नर्स दाई	२
आया	१
भंगी	१

पुलिस कर्मचारी

सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	१
डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	२
इंसपेक्टर	४
सब इंसपेक्टर	१
एसिस्टेन्ट सब इंसपेक्टर	२
हेड कांसटेबुल	७
पैदल सिपाही	८८
क्लर्क	४

१९५१-५२

प्रशासनिक कर्मचारी

अधिकारी	२
सचिवीय कर्मचारी	६२
सामाजिक कार्यकर्त्ता	८६
श्रेणी ४ के कर्मचारी	५०

चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारी

लेडी डाक्टर	१
महिला डिसपेन्सर	१
नर्स दाई	२
मेट्रन	१
आया	१
भंगी	१

पुलिस कर्मचारी

सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	१
डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	२
इंसपेक्टर	३
सब-इंसपेक्टर	१
असिस्टेंट सब-इंसपेक्टर	३
हेड कांसटेबल	१२
पैदल सिपाही	९५
क्लर्क	४

खोसला समिति की रिपोर्ट

*२९९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी**: **योजना मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला समिति ने कृष्णा और गोदावरी के पानी का प्रयोग करने के बारे में सरकार को या योजना आयोग को कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उसे मद्रास सरकार को, उसकी राय जानने के लिये, निर्दिष्ट किया गया था, यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या मद्रास सरकार के विचार प्राप्त हो गये हैं, यदि हां तो कब प्राप्त हुए थे और वे क्या हैं ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) माननीय सदस्य का ध्यान

१० नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के बारे में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है। खोसला समिति की रिपोर्ट मद्रास सरकार को सितम्बर में निर्दिष्ट की गई थी। नवम्बर १९५२ के उत्तरार्द्ध में मद्रास तथा हैदराबाद सरकारों से बातचीत किये जाने की आशा है।

आयात में कमी

*३००. **श्री बासप्पा : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयात में जो कमी की गई है वह किस हद तक की गई है :

(ख) क्या आयात में इस कमी से कुछ चीजों के दाम बढ़ने लगे थे; और

(ग) वे चीजें कौन सी हैं जिनमें दाम सब से अधिक बढ़ने लगे थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। जुलाई-दिसम्बर १९५२ की आयात नीति में घोषित की गई कमियां अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग थीं। सामान्य रूप से, उन्हीं चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिन के बारे में यह समझा गया था कि उनके स्टाक, स्थानीय उत्पादन और जारी किये गये लाइसेंसों पर आने वाली मात्रा उनकी मांग को देखते हुए काफी है। इन कमियों से दामों में सामान्य रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है। कुछ मामलों में, जहां कि माल बहुत अधिक इकट्ठा किये जाने के कारण चीजें लागत मूल्य से कम पर बिक रही थीं, वहां दाम कुछ बढ़े हैं। आम जरूरत की कुछ चीजों के दाम सट्टे के कारण भी बढ़ गये हैं।

महानदी नहर व्यवस्था

*३०१ **पंडित लिंगराज मिश्र : सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद बांध परियोजना के फलस्वरूप महानदी में पानी के निरन्तर बहाव को काम में लाने के अभिप्राय से नहरें बनाने के लिये उड़ीसा राज्य के कटक और जिलों में परिमापन किया गया है :

(ख) अब तक इस परिमापन कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) नई नहरों से इन जिलों के कौन कौन से थानें में और कितने एकड़ भूमी में सिंचाई हो सकेगी; और

(घ) इस परियोजना का अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। (ख) परिमापन-कार्य का एक तिहाई भाग पूरा हो गया है।

(ग) इन दो जिलों के ऐसे थानों के नाम, जिन्हें सिंचाई का फायदा हो सकेगा, अब ही बताये जा सकते हैं जब कि परिमापन तथा अन्य कार्य पूरे हो जायें। अनुमान है कि इन दोनों जिलों में लगभग ९.४५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सालाना सिंचाई हो सकेगी।

(घ) ११ लाख रुपये।

नारियल जटा से बनी वस्तुएं

*३०२. **श्री अच्युतन : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल-जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये किन्हीं देशों से व्यापार समझौते करने के सिलसिले में कुछ जांच की गई है; तथा

(ख) विदेशी खरीदारों की कमी के कारण नारियल जटा से बनी वस्तुओं का कितना स्टाक पड़ा हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) समय समय पर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि विदेशों से होने वाले व्यापार समझौते में नारियल

जटा से बनी वस्तुओं को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल किया जाये। यह वस्तु निम्नलिखित देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों में शामिल है :—

(१) इटली

(२) फ़िनलैण्ड

(३) नार्वे

(४) आस्ट्रिया

(५) फ़ेडरल रिपब्लिक आफ़ जर्मनी

(६) बरमा

(ख) इस विषय पर सरकार के पास ठीक ठीक सूचना नहीं है।

फिल्मों का सेंसर

*३०३. **के० आर० शर्मा : सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़िल्मों के सेंसर के लिये सरकार ने कौन से अभिकरण स्थापित किये हैं;

(ख) क्या इन अभिकरणों को कोई अनुदेश दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पूर्ण रूप से शिक्षात्म चित्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) चित्रों को जनता के सामने प्रदर्शित करने के बारे में उनकी जांच करने और उन को प्रमाणित करने के काम के लिये फ़िल्म सेंसर का एक केन्द्रीय बोर्ड बना दिया गया है। बोर्ड के कार्यों का व्योरा सिनेमेटोग्राफ़ (सेंसरशिप) नियमों में दिया गया है।

(ख) बोर्ड ने अपनी जांच समितियों को एक 'निर्देश' जारी किया है जिस में बताया गया है कि किसी चित्र के जनता में प्रदर्शित किये जाने योग्य ठहराने के लिये किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाये।

(ग) सरकार का अपना एक फ़िल्म डिवीज़न है जो सूचनात्मक तथा समाचारी फ़िल्मों को बनाता है और उनका वितरण करता है। केन्द्रीय सरकार का काम फ़िल्मों को जनता में प्रदर्शित करने के लिये मंजूर करना है, रूपक चित्रों को बनाना नहीं।

चाय उत्पादन और निर्यात

*३०४. **श्री बच्चिकोटैय्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से भारत में चाय का कुल वार्षिक उत्पादन ;

(ख) १९४७ से चाय के वार्षिक निर्यात की मात्रा व मूल्य तथा वे देश जहां चाय निर्यात की गई ;

(ग) क्या यह सत्य है कि हाल ही में भारत से चाय के निर्यात में कुछ कमी हो गई है ;

(घ) क्या अमरीकी चाय एसोसियशन के प्रतिनिधियों से भारतीय चाय के अमरीका को निर्यात किये जाने के बारे में कोई बातचीत हुई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय चाय के लिये अन्य बाज़ार ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६**]

(ग) १९५१-५२ में चाय का निर्यात १९५०-५१ के मुकाबले में १ करोड़ ४० लाख पौंड कम हुआ था।

(घ) अमरीकी चाय ऐसोसियेशन के एक प्रतिनिधि से अमरीका को हमारी चाय का निर्यात बनाने के बारे में बातचीत चल रही है।

(ङ) भारतीय चाय के लिये अधिक से अधिक बाज़ार ढूंढने के लिये प्रयत्न बराबर जारी है ।

अलग अलग भागों को जोड़ कर मोटर तैयार करना

*३०६. **श्री सी० आर चौधरी : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अलग अलग भागों को जोड़ कर मोटर तैयार करने के कारखानें अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या पांचों बड़े बड़े कारखानें इस समय चालू हैं ; और

(ग) क्या मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड बन्द हो चुका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) बड़े बड़े कारखानों से शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय उन कम्पनियों से है जिनका मोटर बनाने का कार्यक्रम है । पांचों कारखाने अलग अलग भागों में आयात की गई कारों को जोड़ कर तैयार कर रहे हैं । जहां तक कारों के पुर्ज़े और भाग बनाने का सम्बन्ध है, पांच कारखानों में एक ने तो काफ़ी प्रगति कर ली है दूसरे ने कुछ की है और तीसरा मशीन के भाग बनाने का काम शुरू करने वाला है । दो कारखानों ने इस दिशा में अभी शुरूआत नहीं की है ।

(ग) जी नहीं । जहां तक सरकार को पता है, ऐसा नहीं है ।

उद्योगों को स्थापित करने के लिये जापानी इंजीनियर

*३०७. **श्री पुन्नूस : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिये हाल ही में भारत में कुछ जापानी इंजीनियर आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है भारत-स्थित जापानी उप-दूत ने हाल ही में इस बारे में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था;

(ग) ये टेकनीशियन किन उद्योगों को स्थापित करने में सहायता देंगे;

(घ) क्या इन उद्योगों में लगी पूंजी में जापानियों का कुछ हिस्सा है ; और

(ङ) क्या इन उद्योगों से सम्बद्ध भारतीय और जापानी पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । सरकार ने निर्दिष्ट प्रेस रिपोर्ट को पढ़ा है परन्तु उसे इस बारे में सूचना नहीं कि जापान के कुछ इंजीनियर भारत में मध्यम प्रकार के उद्योग स्थापित करने आ रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

काफी का प्राप्त किया जाना

*३०८. **श्री पुन्नूस : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफ़ी प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) काफ़ी को किस मूल्य पर प्राप्त किया जाता है ;

(ग) क्या काफ़ी के उत्पादन पर कोई उत्पाद-शुल्क है; यदि है तो कितना;

(घ) क्या सरकार को दक्षिण भारत के मथुराई ज़िले में डिंडिगुल तालुक की सिरमुलाई पहाड़ियों के काफ़ी उगाने वालों से कोई स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या इन काफ़ी उगाने वालो ने सरकार का ध्यान अपनी कठिनाइयों की ओर दिलाया है और कहा है कि काफ़ी प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया से उन्हें कितनी आर्थिक हानि हो रही है; और

(च) सरकार ने उस स्मरण-पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) काफ़ी बाज़ार के विस्तार सम्बन्धी अधिनियम, १९४२ के अन्तर्गत, देश भर में उगाई जाने वाली सारी काफ़ी को एक 'आधिक्य संग्रह' में भेजना होता है । यह संग्रह भारतीय काफ़ी बोर्ड द्वारा रखा जाता है । बोर्ड ने काफ़ी उगाने वाले सारे मुख्य क्षेत्रों में संग्रह एजेन्ट नियुक्त कर रखे हैं जो उत्पादकों से काफ़ी इकट्ठी करते हैं ।

(ख) १९५०-५१ के मौसम में 'ए' काफ़ी लिये उगाने वालों को १८० रु० १३ आ० ४ पा० प्रति हंडरवेट के हिसाब से मूल्य दिया गया था । अन्य किस्मों के लिये मूल्यों में कुछ अन्तर था । १९५१-५२ के मौसम में केवल आंशिक भुगतान किया गया था । (३०-९-१९५२ को, 'ए' काफ़ी के बारे में) और वह इस प्रकार था :

बड़े बाग़ीचे १३५ रु० प्रति हंडरवेट
छोटे उगाने वाले १६० रु० प्रति हंडरवेट

हाल ही के नीलामों में मूल्य ३०४ रु० ६ आ० था । बोर्ड के व्यय और प्रचार सम्बन्धी व्यय को निकाल कर शेष राशि उगाने वालों को बांट दी जायगी ।

(ग) काफ़ी पर उत्पाद-शुल्क इस प्रकार है :

(१) आन्तरिक बाज़ार के लिये दी गई सारी काफ़ी पर काफ़ी बाज़ार के विस्तार से सम्बन्धित अधिनियम, १९४२ के अन्तर्गत १ रु० प्रति हंडरवेट ।

(२) आन्तरिक खपत के लिये दी गई सारी काफ़ी पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत २१ रु० प्रति हंडरवेट ।

(घ) तथा (ङ) जी हां ।

(च) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

ऊन

८८. श्री कर्णी सिंहजी : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में भारत में कुल कितना ऊन उत्पादित हुआ ;

(ख) इस में से राजस्थान से और विशेषतः बीकानेर विभाग से कितना प्राप्त हुआ ;

(ग) गत वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का ऊन विदेशों को निर्यात किया गया; और

(घ) क्या बीकानेर में ऊन की मिल खोलने की कोई संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में ऊन का अनुमानित वार्षिक उत्पादन ५४५ लाख पौंड है ।

(ख) राजस्थान में उत्पादन का अनुमान १७९ लाख पौंड है जिसमें से बीकानेर में लगभग ४० लाख पौंड का उत्पादन होता है ।

(ग) १९५१-५२ में ४,८९,६९,५३३ रु० के मूल्य का १८,२९४,५१० पौंड ऊन निर्यात किया गया था ।

(घ) इस बारे में उद्योग ने सरकार से कभी कुछ नहीं कहा है । यदि कोई योजना प्रस्तुत की जायेगी तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

जापान तथा पश्चिम जर्मनी से व्यापार

८९. श्री सी० आर० चौधरी : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४८ से जापान तथा पश्चिमी जर्मनी से वार्षिक कितने मल्य का आयात किया गया ;

(ख) वर्ष १९४८ से जापान तथा पश्चिमी जर्मनी को वार्षिक कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) इन देशों से क्या क्या मुख्य चीज़ें आयात की गई और इनको क्या क्या निर्यात की गईं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिसमें वर्ष १९४८ से भारत और जापान तथा भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच हुए व्यापार के आंकड़े और इन देशों से आयात की गई तथा इन को निर्यात की गई मुख्य चीज़ें दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १७]**।

आल इंडिया रेडियो में छंटनी

९०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो में की जाने वाली छंटनी में वहां के कितने कर्मचारियों को कम कर दिया जायेगा और कितनों को वापस पहली जगहों पर लाया जायगा ?

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों की कितने वर्ष की सेवायें हैं और किन किन वेतन-श्रेणियों में ?

(ग) इस समय उन की आयु लगभग कितनी है ?

(घ) इस समय आल इंडिया रेडियो में भिन्न भिन्न वेतन श्रेणियों में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) छंटनी की तो कोई योजना नहीं है। हां सारे कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार क्रमबद्ध करने की एक योजना ज़रूर है। इसमें अब तक १२ कर्मचारियों को सेवा-विमुक्त किया गया है और ८ को किये जाने वाला है। २९ कर्मचारियों को वर्तमान पदों से वहां अपने पूर्व पदों पर नियुक्त कर दिया गया है और २ को किया जाने वाला है।

(ख) से (घ)। अपेक्षित सूचना के विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखें गये हैं। देखिये संख्या पी–७४/५२]**

उद्योगों का संरक्षण

९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशीय उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें १९४७ के बाद से संरक्षण दिया गया (सूचना उद्योग वार और वर्ष वार दी जाये) ;

(ख) उनमें से कितनों ने औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति की है और इसके फलस्वरूप कितनों को संरक्षण देना बन्द किया गया और किस वर्ष ;

(ग) संरक्षण मांगने वाले उद्योगों में से किन किन की तटकर परिषद ने सूक्ष्म रूप से जांच की थी और संरक्षण के अयोग्य ठहराया था, (प्रत्येक मामले में कारण बतलाये जायें) ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना के दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) रक्षित रखे गये फलों के उद्योग (जैसे फलों का रस, स्क्वैश, कारडियल और शर्बत) के केवल एक भाग ने। इन वस्तुओं से संरक्षण शुल्क अप्रैल १९५१ से हटा लिये गये थे जब शुल्क की प्रामाणिक दर का स्तर तुल्यानुसार ४० प्रतिशत से ३६ प्रतिशत, (जो कि संरक्षण दिये जाने से पहले प्रचलित दर थी) कर दिया गया था।

मलाया में भारतीय

९२. **श्री पी० टी० चाको** : (क) **प्रधान मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि मलाया में १९४९ से कथित राजनैतिक कार्यवाहियों के कारण कितने भारतीयों को नज़रबन्द किया गया, कितनों को सज़ा दी गई और कितनों को फांसी दी गई ?

(ख) वर्ष १९४९ से मलाया से कितने भारतीयों को भारत लौटाया गया ?

(ग) मलाया में इन झगड़ों के कारण कितने भारतीय असैनिक नागरिक, पुलिस वाले और अन्य सरकारी कर्मचारी मारे गये ?

(घ) क्या इन आतंकवादी कार्यवाहियों के फलस्वरूप मारे गये सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मलाया सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति दी है ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जून १९४८ में इस संकट स्थिति के आरम्भ होने के समय से संकटकालीन नियमों के अन्तर्गत मलाया संघ में १३६३ और सिंगापुर बस्ती में १०९ भारतीय नज़रबन्द किये गये थे। इनमें से ११६८ वर्ष १९४९ के बाद नज़रबन्द किये गये थे।

मलाया में संकटकालीन नियमों के अन्तर्गत जितन भारतीयों को सज़ा हुई थी उसके अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विश्वस्त आंकड़े प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इन लोगों के बारे में यह जानना सरल नहीं कि ये भारत के रहने वाले हैं या नहीं।

८ भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई जिनमें से एक तो अपील पर रिहा कर दिया गया और दो की सज़ायें कम कर दी गई थीं।

(ख) ७५७

(ग) २४१

(घ) जी हां।

नमक फैक्टरियां और अनुसंधान केन्द्र

९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : उत्पादन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में कितने आदर्श कारखाने और अनुसन्धान केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) १९५२-५३ में जापान को कितने नमक निर्यात किये जाने की आशा है ;

(ग) उस के अतिरिक्त नमक की मात्रा क्या है जो प्रामाणिक प्रकार का न होने के कारण निर्यात नहीं किया जा सकता; तथा

(घ) वर्ष १९४९, १९५० और १९५१ में कितने नमक का निर्यात हुआ और कितने का आयात और उसका मूल्य क्या था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अब तक केवल एक आदर्श कारखाना और अनुसन्धान केन्द्र वडाला (बम्बई) में खोला गया है। एक नमक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जिस के साथ एक आदर्श कारखाना भी खोला जायेगा, सौराष्ट्र के भावनगर में स्थापित की जाने वाली है। एक या दो अन्य आदर्श कारखानों के जल्दी ही स्थापित किये जाने की आशा है।

(ख) लगभग ७५ लाख मन।

(ग) अपेक्षित क़िस्म का बहुत सा स्टाक निर्यात के लिये उपलब्ध है।

(घ) मांगी गई सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

विस्थापितों के लिये मकान

९४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) **पुनर्वास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा या उसकी सहायता से अब तक (१) दिल्ली में और (२) अन्य राज्यों में (राज्य वार) कितने मकान, छोटे और बड़े बनाये गये हैं ?

(ख) उन पर (१) केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा (२) राज्य सरकारों द्वारा (राज्य वार) कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ग) उनमें कितने व्यक्ति बसाये गये हैं ?

(घ) इन मकानों में से मिट्टी के बने कितने घर हैं ?

(ङ) क्या सरकार इन मिट्टी के घरों की जगह पक्के घर बनवाना सोचती है ?

(च) क्या यह सच है कि बहुत से परिवारों को केवल एक कमरे वाले मकान दिये गये हैं ?

(छ) किसी परिवार को मकान देते समय क्या उस परिवार के सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ज) ये मकान अनुमानतः कब तक चलते हैं ?

(झ) क्या यह सच है कि बहुत से मकान टूटी-फूटी हालत में हैं और विस्थापितों ने इस मामले में कई बार शिकायतें भी की हैं ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये ३० जून, १९५२ तक १,३१,२२१ मकान बनाये गये थे । इनके अलावा उस तारीख़ को १७,३२५ मकान बन रहे थे । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये, १,५९,९२४ मकान बनाये जा चुके हैं । एक विवरण जिसमें मकानों की राज्य वार सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

इन आंकड़ों में वे मकान भी शामिल हैं जो विस्थापितों ने स्वयं सरकार की सहायता ले कर बनाये हैं ।

(ख) १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक ४८ करोड़ रुपया ख़र्च किया गया था और यह सारा रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया था ।

(ग) अनुमान है कि इन मकानों में लगभग १४·२५ लाख विस्थापित व्यक्ति रहते हैं ।

(घ) लगभग १९,९०० ।

(ङ) पंजाब में मिट्टी के बने घरों के स्थान पर, जिनमें रहना असंभव हो गया है, एक कमरे वाले मकान बनवाये जायेंगे ।

(च) एक कमरे वाले और दो कमरे वाले दोनों प्रकार के मकान बनवाये गये हैं । दोनों प्रकार के मकानों के अलग अलग आंकड़े देना कठिन है ।

(छ) जी हां ।

(ज) यह मकान (जिन में मिट्टी के बने घर शामिल नहीं हैं) अपनी बनावट के अनुसार अनुमानतः १० से ४० वर्ष तक चलते हैं ।

(झ) जी नहीं ।

वर्षा से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान

९४. श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) **पुनर्वास** मन्त्री बलताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल में हुई भारी वर्षा के कारण विस्थापितों की विभिन्न बस्तियों में बने मिट्टी के मकानों को भारी नुक़सान पहुंचा है और उनमें रहने वालों को इस कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा ?

(ख) मिट्टी के मकानों की कुल संख्या क्या है और वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित मकानों की अनुमानित संख्या क्या है ?

(ग) इस प्रकार निराश्रित होने वाले परिवारों को दूसरा स्थान देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(घ) टूटे हुए मकानों की मरम्मत के लिये सरकार ने क्या किया है ?

(ङ) मरम्मत की लागत पूरी करने के लिये केन्द्र और राज्यों ने (अलग अलग) कितना रुपया दिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० क० भोंसले): (क) पंजाब में मिट्टी के बने मकानों को कुछ नुक़सान पहुंचा है । भारत के अन्य भागों में नुक़सान होने की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) मिट्टी के मकानों की कुल संख्या १९८९४ है । इनमें से पंजाब में १९६२ मकानों को बहुत अधिक नुक़सान हुआ है और २३१० को कम ।

(ग) से (ङ). पंजाब के ज़िला अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को स्कूलों, अस्पतालों आदि में जगह देने का प्रयत्न किया था । उन लोगों को, जिनके मकानों को बहुत बुरी तरह से नक़सान हुआ था, ५० रु० प्रति परिवार के हिसाब से सहायता देने के लिये राज्य सरकार को ५०,००० रु० का अनुदान दिया गया था । लगभग २,०० कच्चे मकानों की जगह, जिन्हें बहुत नुक़सान पहुंचा है, एक कमरे वाले पक्के मकान बनवाने का प्रस्ताव है जिसका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा ।

पाकिस्तानी और भारतीय पटसन के मूल्य

९६. **श्री टी० के० चौधरी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९५२ के बाद से भारतीय आयातकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान से खरीदे गये पटसन का मूल्य प्रतिमास कितना था; और

(ख) अगस्त १९५२ के बाद से भारत में उगाये गये पटसन की मुख्य क़िस्मों का बाज़ार-भाव प्रति मास कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय आयातकर्ताओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में पटसन के लिये जो मूल्य दिया जाता है उसकी सूचना सरकार को नहीं मिलती । नारायणगंज के, जोकि पूर्वी पाकिस्तान में पटसन का एक मुख्य केन्द्र है, बाज़ार भाव इस प्रकार बतलाये गये हैं :—

नारायणगंज में कच्चे पटसन का मूल्य

पूर्वी पाकिस्तान मिल-मिडिल

(प्रति मन पाकिस्तानी रुपयों में)

४-८-१९५२	१३ रु० ८ आ० ० पा०
६-९-१९५२	१४ रु० ८ आ० ० पा०
४-१०-१९५२	१५ रु० ४ आ० ० पा०

(ख) कलकत्ते के बाज़ार में भारतीय कच्चे पटसन की मुख्य क़िस्मों के दाम इस प्रकार हैं :

तारीख	आसाम मिडिल्स (प्रति मन)	आसाम बॉटम्स (प्रति मन)
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
४–८–१९५२	२७–८–०	२४–८–०
६–९–१९५२	३०–८–०	२७–८–०
४-१०-१९५२	३१–०–०	२८–०–०
४-११-१९५२	२९–०–०	२६–०–०

पूर्वी बंगाल के प्रव्रजक

९७. **श्री ए० सी० गुहा** : **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ के हर महीने में पूर्वी बंगाल से कितने प्रव्रजक भारत आये ;

(ख) क्या सरकार ने जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर १९५२ में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण मालूम करने के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) पारपत्र प्रणाली लागू होने से ठीक पहले, क्या मुसलमानों ने पश्चिमी बंगाल से तथा भारत के अन्य भागों से पाकिस्तान में प्रव्रजन किया था, यदि किया है तो उनकी संख्या ; और

(घ) क्या दोनों सरकारों ने पारपत्र प्रणाली लागू होने से पहले अल्पसंख्यकों में डर की भावना को दूर करने के लिये समुचित उपाय किये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता

है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]

(ख) सामान्यतः लोगों के प्रव्रजन करने की वजह अरक्षा की भावना और बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी । इसी के कारण ग्राम्य क्षेत्रों के बहुत से निराश्रित लोगों ने प्रव्रजन किया । प्रव्रजकों की संख्या जो अगस्त में कुछ बढ़ने लगी थी, सितम्बर में काफी हो गई थी और अक्तूबर के प्रथम पक्ष में यह संख्या बहुत अधिक हो गई; इसका मुख्य कारण पारपत्र प्रणाली के लागू किये जाने की घोषणा प्रतीत होता है । लोगों में यह डर था कि इस प्रणाली के बाद प्रव्रजन करना या साधारण रूप से इधर उधर जाना बहुत कठिन हो जायेगा ।

(ग) भारत से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान प्रव्रजकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी । पहले भी, पहली अप्रैल से १५ अक्टूबर, १९५२ तक, भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या की अपेक्षा अधिक थी, यानी साढ़े छः महीनों में ५,१३,३४० मुसलमान पश्चिमी बंगाल से रेल द्वारा पूर्वी पाकिस्तान गये और इसी काल में ४,२२,२२० मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल आये । इस सारे काल में ही मुसलमानों की पूर्वी पाकिस्तान जाने की इच्छा अधिक रही । ऐसी बात नहीं थी कि सितम्बर या अक्तूबर में ही वे एक दम वहां जाने लगे थे ।

इसी काल में यानी अप्रैल से १५ अक्तूबर तक १,३८,९६० मुसलमान रेल और सड़क द्वारा आसाम से पूर्वी पाकिस्तान गये और १,४०,५३२ मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से आसाम आये । सितम्बर और अक्तूबर में आसाम से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या अधिक रही ।

अक्तूबर के प्रथम पक्ष में भारत से ६८०८ मुसलमान पश्चिम पाकिस्तान गये ।

(घ) भारत सरकार ने पारपत्र प्रणाली लागू होने के काफी पहले लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करली थी कि पारपत्र प्रणाली द्वारा आने जाने की स्वतन्त्रता पर, जिसे प्रधान मन्त्रियों के समझौते में रक्षित किया गया था, कोई रोक लगाने का इरादा नहीं है । यह पता नहीं कि इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने कोई उपाय किये थे या नहीं और किये थे तो वे क्या थे ।

साबुन

९८. **श्री के०सी० सोधिया:** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का भारतीय साबुन निर्यात किया गया ?

(ख) १९५१-५२ में संगठित साबुन-कारखानों में कुल उत्पादन कितना हुआ ?

(ग) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितना साबुन भारत में आयात किया गया ?

(घ) यह आयात किन किन देशों से हुआ ?

(ङ) आयात किया गया साबुन किस क़िस्म का था ?

(च) क्या कारण है कि भारत स्थित साबुन के कारखाने वैसा साबुन नहीं बनाते जैसा कि आयात किया जाता है ?

(छ) क्या सरकार विदेशी साबुन के आयात को बन्द करना सोचती है यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१९४९-५०	२५७५·९	४८,९५,८०८
१९५०-५१	९७७,२५	१७,२६,०९३
१९५१-५२	२४६९·५०	५१,०६,६१८

(ख) ८६,००० टन ।

(ग)—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१९४९-५०	१४२·९०	५,७७,३१९
१९५०-५१	१७१·७५	१,९४·२६१
१९५१-५२	१२०·४०	२,९५,३६९

(घ) अधिकतर इंग्लैण्ड से; अमरीका, ईराक़, कनाडा, ज़ंज़ीबार तथा पेम्बा और आस्ट्रेलिया से भी कुछ मात्रा में आयात हुआ था ।

(ङ) कुछ विशेष प्रकार के औषधियुक्त साबुन के और दांत साफ करने के मंजन आदि तथा कृमिनाशक औषधियों के बनाने में काम आने वाले साबुन ।

(च) चूंकि इन क़िस्मों के साबुन की मांग कम है और इनके बनाने का एक विशेष तरीक़ा होता है इसलिये भारत में ऐसे साबुनों का बनाना फायदेमन्द न होगा ।

(छ) साबुन के आयात पर पहले से ही रोक लगी हुई है । केवल विशेष प्रकार के औषधियुक्त तथा दांतों की सफाई के काम आने वाले साबुन जो भारत में नहीं बनाये जाते आयात किये जा सकते हैं ।

सिन्दरी फैक्टरी में उत्पादित अमोनियम सल्फेट के दाने

९९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्: उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिन्दरी कृषि सार कारख़ाने में उत्पादित अमोनियम सल्फ़ेट के दाने उचित आकार के तथा प्रामाणिक प्रकार के नहीं हैं; यदि ऐसा है तो क्या इस के कारण मालूम करने के बारे में कोई जांच की जा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी नहीं ।

सिन्दरी फैक्टरी के जर्मन विशेषज्ञ

१००. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्: उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी में नियुक्त जर्मन विशेषज्ञ को भत्ते आदि मिला कर कुल कितना वेतन मिलता है और उसे क्या क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : कुल मिला कर जर्मन विशेषज्ञ को ३००० रु० मासिक मिल रहा है । उसे कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

सुपारी (आयात)

१०१. **श्री अच्युतन** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५० तथा १९५१ में तथा इस वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत में कितनी सुपारी आयात की गई ?

(ख) क्या सरकार ने इन निर्यात करने वाले देशों में सुपारी की भारत की लागत के बारे में पूछताछ की है ; यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो यह लागत भारत में उसकी काश्त की लागत के मुकाबले में कितनी है ?

(ग) क्या सरकार ने भारत में इस वर्ष हाल ही के कुछ महीनों में सुपारी के भाव में एकदम कमी आ जाने पर गौर किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) वर्ष १९५० और १९५१ में तथा जनवरी से जुलाई १९५२ के सात महीनों में सुपारी का आयात क्रमशः ११८४, १०२१ और ५२४ हज़ार हंडरवेट था । इस वर्ष के अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर महीनों के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और कुछ समय बाद सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बंगलौर में पालघाट किस्म की सुपारी को छोड़ कर, सुपारी के दाम, जो फरवरी और मार्च १९५२ में अस्थायी रूप से गिर गये थे, अब हाल ही के कुछ महीनों में फिर से ऊचे आ गये हैं। बंगलौर में पालघाट किस्म की सुपारी के दाम हाल ही के कुछ महीनों में अनिश्चित रहे हैं और उनका झुकाव गिरावट की ओर रहा है ।

कच्चा रबड़

१०२. श्री सी० आर० चौधरी : वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४६ से भारत में कच्चे रबड़ का वार्षिक उत्पादन ;

(ख) १९४६ से कच्चे रबड़ का कुल वार्षिक निर्यात तथा वे देश जहां इसे निर्यात किया गया ;

(ग) १९४६ के बाद निर्यात किस मूल्य पर हुआ ; और

(घ) क्या कच्चे रबड़ के दाम हाल ही में बढ़ाये गये हैं; यदि हां तो कितने ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)–

वर्ष	उत्पादन
	टन
१९४६ – – –	१५,६७२
१९४७ – – –	१५,४४९
१९४८ – – –	१५,४२२
१९४९ – – –	१५,५८७
१९५० – – –	१५,५९९
१९५१ – – –	१७,१४८
१९५२ – – –	१८,९५९ अनुमानित

(ख) तथा (ग) —

वर्ष	निर्यात	प्रति १० पौंड का मूय
	टन	रु०
१९४६-४७	२९९·२	७५·१
१९४७-४८	कुछ नहीं	—
१९४८-४९	६	७८·०३
१९४९-५०	५९·३	८०·८
१९५०-५१	९४५·१	९३·९
१९५१-५२	१४९·३	२८२·३

जिन देशों को रबड निर्यात किया गया उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां । रबड़ की उत्पादन-लागत में वृद्धि होने के कारण श्रेणी १ के रबड़ के दाम कोचीन बन्दरगाह में १२८ रु० प्रति १०० पौंड से १३८ रु० कर दिये गये हैं ।

अमरीका का कुलजियान कारपोरेशन

१०३. श्री टी० के० चौधरी : (क) **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीका का कुलजियान कारपोरेशन, जो बिजली इंजीनियरों की एक परामर्शदाता फ़र्म है, दामोदर घाटी निगम के अधीन बुकारो थरमल पावर स्टेशन पर न केवल परामर्शदाताओं के रूप में बल्कि निर्माण ठेकेदारों तथा क्रय एजेण्टों के रूप में भी कार्य कर रहा है ?

(ख) बुकारो थरमल पावर स्टेशन के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम और कुलजियान कारपोरेशन के बीच किस किस प्रकार के ठेके हुए हैं ?

(ग) क्या यह सच हैं कि थरमल पावर स्टेशन बनाने के लिये सामान खरीदने के बिलों के बारे में कुलजियान कारपोरेशन का परियोजना अधिकारी ही सब कुछ करने

वाला है और दामोदर घाटी निगम के बिजली एंजीनियरों का इस में कोई दखल नहीं है ?

(घ) क्या यह सच है कि कुलजियान कारपोरेशन वाले दामोदर घाटी निगम के इंजीनियरों को पावर स्टेशन की निर्माण प्रगति को देखने के लिये नहीं जाने देते और किसी भी भारतीय को जो वहां के निर्माण कार्य से अपने आप को अवगत करवाना चाहता हो कोई सुविधायें नहीं दी जातीं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी): (क) दामोदर घाटी निगम का कुलजियान कारपोरेशन से निम्न विषयों के सम्बन्ध में ठेका हुआ है।

(१) बुकारो थरमल पावर स्टेशन की निर्माण-व्यवस्था ।

(२) बुकारो पावर स्टेशन के कुछ उपकरणों का अमरीका में क्रय । इसमें वाल्व, पाइपिंग आदि चीजें शामिल थीं जो इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा जिस से सारा माल लिया जा रहा था, नहीं दी गई थीं ।

(३) संयंत्र को शुरू में संचालित करना।

(ख) दामोदर घाटी निगम का कुलजियान कारपोरेशन के साथ केवल एक ठेका हुआ है जिसमें भाग (क) के उत्तर में दिये गये तीन मामले शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं । कुलजियान कारपोरेशन का परियोजना प्रबन्धक ३००० रु० से अधिक के माल की खरीद दामोदर घाटी निगम के मुख्य बिजली इंजीनियर या उनके बुकारो स्थित रेजीडेंट इंजीनियर की स्वीकृति के बाद ही कर सकता है । सब से बाद में ऐसी खरीद के बिलों की दामोदर घाटी निगम का लेखा अधिकारी जांच करता है और उन्हें मंजूर करता है ।

(घ) जी नहीं। इसके विपरीत, कुलजियान कारपोरेशन का परियोजना प्रबन्धक उसके अधीन नियुक्त दामोदर घाटी निगम के इंजीनियरों का पूरा फायदा उठा रहा है। इन में से कुछ इंजीनियर, जो अमरीका से प्रशिक्षण ले कर आये हैं, उत्तरदायी पदों पर काम कर रहे हैं।

इस्पात उद्योग के लिये विश्व बैंक से ऋण

१०४. श्री टी० के० चौधरी : वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल, इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड और टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड को देश में इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये ४०० लाख डालर ऋण दिया जा रहा है;

(ख) यदि ऐसा है, इनमें से हर एक कम्पनी को कितनी राशि दी जा रही है ?

(ग) इस्पात कम्पनियों द्वारा इन ऋणों के लिये क्या जमानतें दी गई हैं ;

(घ) क्या इन ऋणों के चुकाने में भारत सरकार का जमानत की गारंटी देने वाले के रूप में कोई सम्बन्ध है;

(ङ) यह ऋण किन शर्तों पर दिये जा रहे हैं ;

(च) क्या उपरोक्त कम्पनियों और भारत सरकार के बीच भारत सरकार द्वारा साथ के साथ इन कम्पनियों को और ऋण देने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा यह ऋण किन शर्तों पर दिये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (छ). भारत सरकार इस्पात कम्पनियों को उचित रूप से पूरी सहायता देना चाहती है जिस से कि उनकी विस्तार-

योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उन्हें जितने रुपये की आवश्यकता हो वह उन्हें मिल सकें। इसमें विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाला ऋण भी शामिल है। इस प्रकार की सहायता की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

रासायनिक तथा दवाइयें (आयात)

*१०४—क. **श्री तुषार चटर्जी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९४७ के बाद से भारत में किस मात्रा में तथा कितने मूल्य के रासायनिक और दवाइयां आयात की गईं और किन किन देशों से ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में दवाइयें बनाने वालों को विदेशी फ़र्मों की प्रतियोगिता के कारण नुकसान हो रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों को इस विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के प्रश्न पर विचार किया है; तथा

(घ) क्या इस के लिये सरकार कोई जांच समिति बनाना सोच रही है, यदि हां तो उसके निर्देश्य-पद क्या हैं और उसमें कौन कौन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृणमाचारी) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तथा (घ). सरकार का विचार दवाई बनाने से सम्बन्धित उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था की जांच करने तथा इस उद्योग को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से उचित उपायों का सुझाव देने के **लिए** शीघ्र ही एक जांच समिति नियुक्त करने का है।

———

ब्रस्पतिवार,
१३ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १३ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-५१ म० पू०

पारे पर निर्यात-शूल्क लगाने के विषय में संकल्प—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री करमरकर जी के इस संकल्प पर आगे विचार करेंगे :

> "भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ (१९३४ का ३२), के धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसरण में लोक सभा, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की अधिसूचना, संख्या ३५-टी (१) ५२ दिनांक ८ अक्टूबर १९५२ का एतद् अनुमोदन करती है । इसके अनुसार उक्त अधिसूचना की तिथि से ७५ पौंड के फ्लास्क के ऊपर ३०० रुपये निर्यात शुल्क लगाये गये हैं।"

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : श्रीमान्, अबाध सामान्य अनुज्ञप्ति की पद्धति

के कारण सदैव कठिनाइयां होती आई हैं । १९४८-४९ में इसके कारण कुछ वस्तुएं आवश्यकता से अधिक आयात कर ली गई थीं । इसके लिये हमें पौंड पावने से अधिक राशि लेनी पड़ी थी । सरकार को ध्यान रखना चाहिये था कि ऐसी बात न हो पाये । सरकार की आयात नीति में दोष है । सदन में उसकी आलोचना हुई है और फिर भी वह ठीक नहीं हुई है ।

८ अक्टूबर के आदेश पर धारा ४-क लागू करने के विषय में मुझे संशय है । द्वितीय अनुसूची में दिये गये पदों से यह मालूम होना चाहिये कि सरकार की कितनी शक्ति है । उसमें वे वस्तुएं हैं जो देश में होती हैं तथा जो आवश्यकता से अधिक हैं । परन्तु पारा हमारे देश में उत्पन्न नहीं होता । आयात नीति की शिथिलता के कारण वह अधिक मात्रा में आ गया है । सदन को स्मरण होगा कि इस धारा के पारित करते समय बहुत बहस हुई थी तथा सरकार के मूल प्रस्ताव को परिवर्तित करने पर ही वह मान्य हुआ था । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में सरकार को वह आदेश नहीं देना चाहिये था । यह संकल्प तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा पर मंत्री जी इस बात का स्मरण रखें कि जब कोई वस्तु अबाध सामान्य अनुज्ञप्ति में रखी जाये तब उसका दुरुपयोग न हो ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : देश की निर्यात और आयात नीति में नियन्त्रण करने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश की आवश्यकता को देखते हुए हम कितना पारा निर्यात कर सकते हैं। क्या सरकार ने निर्यात-अभ्यंश निश्चित किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी, १०,००० फ्लास्क।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): वास्तव में एक माननीय सदस्य की यह शिकायत थी कि हमने उसे निश्चित कर दिया है।

श्री दामोदर मेनन : निर्यात कर देने से आन्तरिक मूल्य अत्यधिक न बढ़ पायें इस के लिये सरकार क्या करने का सोच रही है ?

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : पारा सामरिक महत्व की वस्तु है। इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों के बनाने में किया जाता है। पारे का उत्पादन केवल इटली और स्पेन में होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इस का निर्यात क्यों कर रही है। यह ३४० रुपये के भाव पर खरीदा गया था तथा आज उसका भाव ८००-९०० रुपया है। भाव चढ़ने का कारण यह है कि तृतीय महायुद्ध की आशंका से अन्य देश इसका संग्रह कर रहे हैं। हम खुद क्यों न इसका संग्रह करे? यदि कल युद्ध आरम्भ हो जाये तो हमें पारे के लिये चौगुनी क़ीमत देनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि सरकार पारे का निर्यात न करे।

१२ मध्यान्ह

श्री करमरकर : श्रीमान् जी, चर्चा करते समय तीन मुख्य बातें उठाई गई हैं। पहली बात तो यह कि क़ानून अनुसार कार्यवाही करना हमारे लिये उचित था। मैं कार्यवाही के औचित्य के ऊपर ज्यादा न कहूंगा। अनुसूची में पारे का निर्देश विशेष रूप से नहीं किया गया है परन्तु मेरे विचार में यह छोटी सी बात है। अनुसूची आयात की वस्तुओं की थी हम ने उसे निर्यात की वस्तुओं के लिये भी लागू कर लिया। इस अनुसूची के बनाने की दो विधियां हो सकती थीं। हम उन वस्तुओं की तीसरी अनुसूची बना सकते थे जिन पर धारा ४-क के अधीन निर्यात-शुल्क लग सकता था—अथवा हम वह बात कर सकते थे जिस का सदन ने अनुमोदन किया था अर्थात् अनुसूची को ज्यों की त्यों छोड़ कर हम यह कहते "अनुसूची में दी गई अथवा अन्य वस्तुएं" और यह उपबन्ध करते कि ऐसी वस्तुओं पर अधिसूचना द्वारा निर्यात शुल्क लगाया जा सकता है। जैसा कि उस धारा में उपबन्ध है वह अधिसूचना सदन के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखी जाये।

दूसरी बात निर्यात-शुल्क की मात्रा के बारे में उठाई गई थी। मुझे शोक है कि मुझे श्री गांधी की बात उचित नहीं लगी जब उन्हों ने इस बात की वकालत सी की कि हमें बिल्कुल निर्यात कर न लगाना चाहिये। मैं ने आरम्भ में ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आज विश्व बाज़ार में पारे का जो मूल्य है उससे बहुत कम मूल्य पर आयात हुआ है, परिव्यय बीमा और भाड़े सहित १९४९-५० में उसका मूल्य २७२ रुपये तथा १९५०-५१ में २५८ रुपये था। आज अमेरिका में इसका भाव १८७ डालर अर्थात् ८५० रुपया है। हम ने यह सोचा कि सदन इस बात को उचित समझेगा कि इस लाभ का बहुत सा हिस्सा वैयक्तिक निर्यातक को न मिल कर समाज को मिले।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हां हम ने उच्चावचन के लिये स्थान छोड़ा है। फिर भी जो व्यक्ति इसे ८५० रुपये के भाव पर बेचेगा उसे लाभ ही रहेगा क्योंकि इस शुल्क के लगने पर मूल्य केवल ५७२ रुपये

होता है। अतएव आयात करने वाले को अभी भी लाभ रहेगा। यह तर्क किया जा सकता है कि इतना अधिक लाभ नहीं दिया जाना चाहिये। यदि यह बात की जाती तो सरकार उस पर विचार करती। पर मुझे श्री गांधी की यह आलोचना बिलकुल ठीक न लगी कि यह शुल्क सर्वथा न लिया जाना चाहिये था। यदि निर्यात और आयात-मूल्य के अन्तर के अधिकांश भाग को सरकार न ले तो वह प्रशासन के नियमों के विरुद्ध होगा।

हमारी आयात और निर्यात नीति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह कहा गया है कि इसमें एकरूपता नहीं है। पिछले पांच वर्षों में हमें बड़ी बिषमताओं का सामना करना पड़ा है उनमें से बहुत सी ऐसी थीं जिनके ऊपर हमारा बिलकुल नियंत्रण नहीं था। यदि हम अपनी आयात, निर्यात अथवा वैदेशिक व्यापार की नीति की जांच करना चाहते हैं तो हमें साल, छः महीने की अवधि नहीं लेना चाहिये। हमें लगभग ३-४ साल की अवधि लेना चाहिये। यदि कोई माननीय सदस्य ३-४ वर्ष की आयात, निर्यात-नीति का सूक्ष्म अध्ययन करेगा तो उसे मानना पड़ेगा हमने आयात निर्यात और का जिस तरह नियंत्रण किया है वह संतोष-जनक है। १९४८ में हमें बहुत सी कठि-नाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय मुद्रा स्फीति थी, अतिरिक्त क्रयशक्ति थी तथा उपभोग की वस्तुओं की कमी थी। देश के बाहर भी बहुत से बाधक कारक थे—कोरिया युद्ध के कारण मूल्य बढ़ गये थे तथा उसके बाद गत वर्ष मूल्य एकदम गिर गये।

इन कठिनाईयों के होते हुए हमें अपनी विदेशी व्यापार की नीति बनाने में कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी थीं। हमें खाद्य के निर्यात को प्राथमिकता देनी थी चाहे उसके लिये कितना भी विदेशी विनिमय लगाना पड़ता। गत वर्ष हमें अत्यधिक खाद्य पदार्थों का निर्यात करना पड़ा था। हम उस समय यह नहीं कह सकते थे कि हम खाद्य के मामले में बचत करेंगे तथा अन्य वस्तुओं का आयात करने देंगे। इसके पश्चात् पूंजी-वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई थी। हम बड़ी गति से औद्योगिक देश बनते जा रहे हैं। हम उद्योगों की पूंजी-वस्तुओं की अपेक्षताओं की अवहेलना नहीं कर सकते। यदि उद्योगों का विकास करना है तो कच्चा माल बुलाना ही पड़ेगा। सबसे आखीर में उपभोग की वस्तुएं आती हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इसके विषय में जो कुछ किया उसे जनता की ओर से उतना सहयोग नहीं मिला जितना मिलना चाहिये था तथा जो देश के हित में आवश्यक था। पारा, पेनसिलिन और बना-वटी सिल्क के बारे में यही हुआ। नियन्त्रण के इस ज़माने में हम यह भूल रहे हैं कि सामान्य प्रकार का व्यापार ही अबाध व्यापार है। अतएव ओ० जी० एल० (अबाध सामान्य व्यापार) स्वाभाविक वस्तु है तथा नियंत्रण कृत्रिम है विदेशी विनिमय के सम्यक् समुपयोजन के लिये नियंत्रण आवश्यक है परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि नियंत्रण न रहने पर ही व्यापार में उन्नति होती है। धमनियों में, विभिन्न अंगों में और नसों में तथा वापिस हृदय को रक्त का अबाध प्रवाह होना चाहिये। एक सीमा से अधिक हम व्यापार का नियंत्रण नहीं कर सकते।

इस लिये मेरे माननीय मित्र श्री गुहा का तर्क मुझे जंचा नहीं। उन्हों ने अबाध सामान्य व्यापार के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किये। मुझे आशा थी कि वे उनकी संख्या बढ़ाने के लिये कहेंगे जिससे कि वह दशा पहुंच जाये जिसमें सारा व्यापार अबाध सामान्य व्यापार बन जाये।

श्री ए० सी० गुहा : यदि वह सामान्य सिद्धान्त की बात है तो फिर दूसरी बात हुई। पर यदि वह नियंत्रित व्यापार पद्धति में त्रुटि के रूप से आता है तो सारी कठिनाईयां उपस्थित हो जाती हैं।

श्री करमरकर : मैं वह स्थिति समझता हूं। पर मैं यह बात बताना चाहता हूं कि नियंत्रित व्यापार से पूर्ण अबाध व्यापार की ओर हमें धीरे धीरे चलना है; इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। गत दो वर्षों से हम यथाशक्य अधिक वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक मित्र ने ठीक बतलाया कि पारे के लिये हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। गन्धक की तरह उसे हम देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं करते। इसलिये हम ने इन वस्तुओं को ओ० जी० एल० में रखना निश्चित किया।

१९४७-४८ से पारे सम्बन्धी हमारी नीति का मैं ने पुनर्विलोकन करवाया था। १९४७-४८ और १९४८-४९ में डालर स्थिति नाजुक होने के कारण हमने डालर क्षेत्र से जून १९५० तक पारा आयात नहीं किया। सुलभ मुद्रा क्षेत्र से १९४७-४८ में हम ने ४,३५२ फ्लास्क पारा आयात किया। जहां तक सुलभ मुद्रा क्षेत्रों का सम्बन्ध था हम ने १९४८-४९ और १९४९-५० में पारा ओ० जी० एल० में रख दिया। हम ने सोचा कि पारा देशी उद्योगों और दवाईयों के लिये आवश्यक होता है अतएव यदि यह अधिक मात्रा में भी निर्यात किया गया तो कोई भय की बात नहीं होगी। १९४९-५० में हमने १,७९३ फ्लास्क आयात किये। १९५०-५१ में हमने अत्यधिक राशि अर्थात् ३७,६६६ फ्लास्क पारा आयात किया।

जब कोई वस्तु ओ० जी० एल० में रखी जाती है तब सरकारी नीति के अतिरिक्त अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। आयात की गई कुछ वस्तुओं के बारे में ऐसा हुआ है। पिछले समय अधिक लाभ होने के कारण लोग लाभ की आशा से अगले समय उसी वस्तु की अत्यधिक राशि आयात करते हैं। ऐसा सट्टा पारे के बारे में भी हुआ। जो काम दूसरे लोग करें उसकी ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिये। हां, माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि ऐसी बात हमने क्यों होने दी। पर उससे कोई हानि नहीं हुई है; लाभ ही हुआ है। यदि अगले दो तीन वर्षों में जैसा ऊंचा मूल्य अभी है वैसा बना रहे तो देश के उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि उस वस्तु को हमने आधे मूल्य पर ख़रीदा है। वास्तव में मैं आशा करता था कि सदन मुझे बधाई देगा कि जानकर या अनजाने में हमने ३७,००० फ्लास्क आयात किये।

मैं सोचता था कि डा० साहा के समान लोग बड़े तर्क सामने रखेंगे और पूछेंगे कि हम इसका निर्यात क्यों कर रहे हैं। अन्त में विदेशी विनिमय की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं पड़ता। हम ने इस बात का प्रबन्ध कर लिया है कि देश में पारे की उतनी राशि शेष रहे जितनी हमें अगले तीन चार वर्षों में लगेगी। अतिरिक्त राशि को व्यर्थ में रखने से क्या लाभ ? गत २-३ वर्षों में आयात की गई राशि की गणना द्वारा हम ने अपनी आवश्यकताओं का बड़े ध्यान से हिसाब लगाया है। उचित आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त राशि बचाने के बाद हमने निश्चय किया कि १०,००० फ्लास्क निर्यात कर दिये जायें क्योंकि इस से देश का अहित नहीं होता।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे यह आम शिकायत ठीक नहीं लगी कि हमारी आयात-निर्यात नीति ठीक नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप किये हैं उन से प्रार्थना है कि वे उसका अधिक सूक्ष्म अध्ययन करें। मैं उनको सहयोग दूंगा तथा आवश्यक

सामग्री उपस्थित करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी इस बात से सहमत हो जायेंगे कि यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाये तो हमारी आयात-निर्यात की नीति सन्तोषजनक रही है। बहुत से उच्चवचनों के पश्चात् अब हम यह देख सकते हैं कि अब सामान्य अवधि निकट है।

मैं कह चुका हूं कि हमारी निर्यात-आयात की नीति की परख चार बातों द्वारा हो सकती है। क्या हमने खाद्य की पर्याप्त राशि सन्तोषजनक रूप में आयात की है? क्या हमने उद्योगों को पूंजी वस्तुओं की पूर्ति की है? क्या हमने उन्हें पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध किया है? क्या हम यथासंभव उपभोग की वस्तुओं के बाज़ार की स्थापना कर पाये हैं? मुझे निश्चय है कि इन चारों बातों का उत्तर "हां" ही होगा। मैं इस पर अब अधिक नहीं बोलना चाहता। यह बात उठाई गई थी इस कारण उसका उत्तर देने के लिये मैं ने सदन का समय लिया।

श्रीमान् जी, मैं सिफ़ारिश करता हूं कि सदन द्वारा यह संकल्प स्वीकार किया जाये।

श्री मेघनाद साहा: मैं ने सुझाव दिया था कि पारे का बिलकुल निर्यात न किया जाये क्यों कि रक्षा तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिये उसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। उसका संचय किया जाना चाहिये।

श्री करमरकर: जितनी मात्रा हम ने उचित समझी उतनी हम ने संचित कर ली है। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई उसका हम भविष्य में ध्यान रखेंगे। वास्तव में वह बात हमारे सम्मुख सदैव रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): विदेशों में पारे के मूल्य बढ़ने के क्या कारण हैं? मूल्य २७५ रुपये से बढ़ कर ८५० रुपये हो गया है।

श्री करमरकर: श्रीमान् जी, मेरी समझ में यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिये उस देश के विदेशी व्यापार का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे कारण वह मूल्य नहीं बढ़ा है, हो सकता है कि संचय करने, सट्टे के कारण अथवा अन्य कारणों से हुआ हो। मैं इस बात का अध्ययन करूंगा और माननीय सदस्य को बताऊंगा?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य (डा० साहा) सावधानी चाहते हैं। यदि कोई वस्तु रक्षा आदि के लिये आवश्यक हो और वह हटा दी जाये तो हमें बाद में पता चलेगा कि हमने उतनी सामग्री खो दी। इस वास्ते वे स्थिति जानना चाहते हैं।

श्री करमरकर: श्रीमान्, उसके विषय में हमने अच्छी तरह से गणना की है तथा बड़ी सावधानी रखी है। कुछ पारा रक्षा के लिये, कुछ दवाइयों के लिये और कुछ प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक होता है। इन अपेक्षताओं का हमने अध्ययन किया है तथा हमने तीन वर्ष के लिये पर्याप्त राशि बचा ली है। यह तो नहीं हो सकता कि इनकी आवश्यकतायें एकदम बढ़ जायेंगी। हमारे मत में काफ़ी सन्तोषजनक प्रबन्ध किया गया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, प्रश्न तो यह है कि जिनके पास पारा है उनमें क्या उसे रख सकने की क्षमता है? हमारे अनुमान से २८-३० हज़ार फ्लास्क हैं तथा उन लोगों में इस राशि को रोक रखने की अपरिमित क्षमता नहीं है। इस लिये इस पर कुछ सट्टा हो रहा है। मूल्य गिरता है तथा वह विभिन्न लोगों के पास पहुंच रहा है। अतएव हम ने सोचा कि १०,००० फ्लास्क निर्यात कर देने से कोई हानि न होगी। फिर हमारे पास १६-१७ हज़ार फ्लास्क बच रहेंगे जो हमारे लिये ३ अथवा ३।। वर्ष के लिये पर्याप्त होंगे। मेरे विचार से मेरे माननीय

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मित्र प्रोफ़ेसर साहा मानेंगे कि ३ साल के लिये प्रबन्ध करना पर्याप्त है। मेरी समझ में हमें चार साल से आगे के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय ने विचाराधीन संकल्प प्रस्तुत किया और वह स्वीकार किया गया।

भारतीय तटकर (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय तटकर १९३४ को और संशोधित करने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान्, यह उन विधानों में से है जिन पर सदन को समय समय पर विचार करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि तटकर संरक्षण सम्बन्धी विषयों में सदन बड़ी दिलचस्पी रखता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से सदस्यों को मालूम हो गया होगा कि इस विधेयक का उद्देश्य उन २९ उद्योगों का संरक्षण जारी रखना है जिनका संरक्षण निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। उन २९ उद्योगों में से २६ का संरक्षण ३१ दिसम्बर सन् १९५२ को, तथा सूती कपड़े के मशीन उद्योग का ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होगा। श्रीमान्, संसद के सदस्यों में पर्याप्त विस्तृत टिप्पण परिचालित कर दिये गये हैं। उन में इन २९ उद्योगों के बारे में सूक्ष्म विवरण दिया गया है।

अब सूती कपड़ों की मशीनों को ९ मास का, २६ उद्योगों को एक वर्ष का, फोटोग्राफ़ के रसायनों को २ वर्ष का तथा मोटरों की बैटरी के उद्योग को तीन वर्ष का संरक्षण दिया जा रहा है। माननीय सदस्य शायद जानना चाहेंगे कि २७ उद्योगों को इतनी छोटी अवधि तक अर्थात् केवल ३१ दिसम्बर १९५३ तक क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। बात यह है कि तटकर मण्डली के स्थान पर जो तटकर आयोग नियुक्त हुआ है वह २१ जनवरी १९५२ को स्थापित किया गया था तथा इसे बहुत सा पिछला बक़ाया काम करना था। इसके सामने ५ मामले नये संरक्षण सम्बन्धी थे; तीन मामले पुनर्विलोकन के लिये और ४२ मामले संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने इसे दस नये मामले सौंप दिये हैं जिन के बारे में जांच करना तथा प्रतिवेदन देना है। गत दस महीनों में आयोग को महत्वपूर्ण जांचें करनी पड़ी हैं इस कारण २९ उद्योगों की नियमित रूप से जांच न हो सकी। फोटोग्राफ़ के रसायनों के उद्योग और मोटर बैटरी के उद्योग की जांच हो चुकी है तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उनकी सिफ़ारिश है कि फोटोग्राफ़ के रसायनों के उद्योग को ३१ दिसम्बर १९५४ तक और मोटर बैटरी के उद्योग को ३१ दिसम्बर १९५५ तक संरक्षण दिया जाये। आयोग की इन सिफ़ारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अभी आयोग, प्लाईवुड, और शहतीर उद्योग, कौशकृमि पालन उद्योग तथा एल्यूमीनियम उद्योग की जांच कर रहा है। उनका विचार है कि यह अच्छा न होगा कि सम्यक् जांच किये बिना किसी उद्योग का भी संरक्षण समाप्त नहीं किया जाना चाहिये तथा उन २७ उद्योगों का संरक्षण ३१ दिसम्बर १९५३ तक के लिये बढ़ा देना चाहिये।

२९ उद्योगों में से २७ उद्योगों के आगम शुल्क को उसके बराबर संरक्षण शुल्क में परिवर्तन करके संरक्षण दिया गया है। इस परिवर्तन का अर्थ यह है कि उद्योग को संरक्षण दिये जाने पर संरक्षण राशि में समय समय पर, तटकर अधिनियम १९३४ की धारा ४ (१) के अधीन अधिसूचना द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इस के लिये कोई विधान की

आवश्यकता नहीं पड़ती । इन मामलों में उपभोक्ता के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला जा रहा । अतएव मुझे आशा है कि इन की संरक्षण अवधि १ वर्ष के लिये बढ़ा देने के कार्य की कोई आलोचना न करेगा ।

लोहे अथवा इस्पात की गठानें बांधने की पट्टियों के उद्योग को, सितम्बर १९४८ में सरक्षण देते समय ही शुल्क बढ़ा दिया गया था परन्तु आरम्भ से ही यह बात तय हो गई थी कि बढ़ी हुई दरें कुछ शर्तों के पूरी किये जाने पर ही प्रभावी की जायेंगी । जूट की गठानों को बांधने की पट्टियों को बनाने के उद्योग में लगी हुई एकमात्र व्यापारिक संस्था जे० के० आयरन एन्ड स्टील कम्पनी है । संरक्षण देते समय पिछली तटकर मंडली नें सिपारिश की थी कि उसका कारख़ाना कानपुर से हटा कर कलकत्ते के पास ले जाना चाहिये क्योंकि उनके मत में उस स्थान पर स्थापित करने से उस उद्योग को कुछ स्वाभाविक लाभ प्राप्त होंगे । दूसरी शर्त यह थी कि वह व्यापारिक संस्था वैयक्तिक न रहे। वह लोक सीमित समवाय बना ली जाये । बहुत प्रयत्न करने के पश्चात् प्रबन्धकों ने रिशरा के पास स्थान ले लिया है । वहां एक कारख़ाना बना दिया गया है जिस में १ अगस्त १९५२ से उत्पादन होना आरम्भ हो गया है । अभी उस संस्था को लोक सीमित समवाय बनाना शेष है । जब यह शर्त पूरी हो जायगी तब उसे संरक्षण दिया जा सकेगा तथा अधिसूचना द्वारा दर बढ़ाई जायेगी । बढ़ी हुई दर ३० प्रतिशत यथामूल्य (अधिमान) और ४० प्रतिशत यथामूल्य (प्रमापी) होगी । इस मामले में संरक्षण देने को अभी तो केवल औपचारिक समझना चाहिये ।

अब मैं उन शेष आठ उद्योगों को लेता हूं जिन्हें संरक्षण के पहिले के आगम-शुल्क को बढ़ा कर आरम्भ में संरक्षण दिया गया था । वे उद्योग सोडा ऐश, केलशियम क्लोराईड, कोटेड एब्रेज़िव, कौशकृमिपालन, प्लासटिक्स, बाइसिकल और सूती कपड़े की मशीनें हैं । संरक्षण के पहले की दरों और वर्तमान दरों में जो भेद है वह उन टिप्पणियों में बताया गया है जिन्हें परिचालित कर दिया गया है । इन वर्तमान दरों में परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

सदन को विदित है कि तटकर आयोग खुद अपने आप ही विभिन्न बातों की जांच कर सकता है । उदाहरणार्थ किसी उद्योग को दिये गये संरक्षण सम्बन्धी तटकर शुल्क की घटा बढ़ी के सम्बन्ध में वस्तुओं के राशिपातन को रोकने की तथा संरक्षण का दुरुपयोग करने की वह जांच कर सकता है तथा अपना प्रतिवेदन दे सकता है । पिछली तटकर मंडली को यह शक्ति नहीं थी । तटकर आयोग को तटकर लगाने के सिद्धान्तों तथा संरक्षित उद्योगों के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों के विषय में पर्याप्त विवेचन शक्ति दी गई है । यह शक्ति तटकर मंडली को नहीं थी । माननीय सदस्यों को विदित है कि सामान्य सिद्धान्तों में इस बात का भी लेखा करना पड़ेगा कि संरक्षण का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है । संरक्षित उद्योगों की कुछ ज़िम्मेवारी होती है जिनकी आयोग को समय समय पर जांच करनी पड़ती है । उनकी उत्पादन राशि, उत्पादित वस्तु का गुण, निश्चित किया गया मूल्य, टैक्नालाजिकल सुधार, टैक्नालाजिकल अन्वेषण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, देशी संसाधनों का उपयोग, आदि बातों की आयोग जांच करता है । संरक्षित उद्योगों के विकास पर तटकर आयोग ध्यान रखता है और यदि आयोग की दृष्टि में किसी उद्योग का संरक्षण अपर्याप्त होता है तो वे शुल्क की दरों में परिवर्तन करने की सिपारिश कर सकते हैं । तटकर अधिनियम की धारा ४१ के अधीन अधिसूचना द्वारा यह किसी समय भी किया जा सकता है ।

[श्री करमरकर]

श्रीमान्, मैं और अधिक बातें सुनाकर सदन को कष्ट नहीं देना चाहता। सदन के सदस्यों को आवश्यक सामग्री दे दी गई है तथा तटकर मंडली के सारे प्रतिवेदन पुस्तकालय में हैं। इन विषयों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जिन दो उद्योगों को नया संरक्षण दिया गया है वे बताये जा चुके हैं। शेष उद्योगों का संरक्षण तब तक के लिये जारी किया जाता है जब तक कि तटकर आयोग उन उद्योगों की स्थिति को फिर से न जांच ले।

इसके पश्चात् विचाराधीन प्रस्ताव को उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत किया।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस विधेयक का बार बार क्यों संशोधन किया जाता है। संरक्षण उतनी अवधि के लिये दिया जाना चाहिये जिस से कि उस में अधिक पूंजी आकर्षित हो तथा पूंजी लगाने वालों को लाभ हो। छः महीने के लिये संरक्षण देने और बाद में बढ़ाने से लोगों को संशय रहता है। व्यापार के सुधार, पूंजी की वृद्धि तथा उद्योगों के विकास के हित में यह आवश्यक है कि दीर्घावधि के लिये संरक्षण दिया जाये। साबूदाना और टेपीओका पर्लस (tapioca pearls) को केवल १६५३ तक संरक्षण दिया गया है कम से कम वह १६५४ तक दिया जाना चाहिये। मेरे ज़िले में १२ करोड़ रुपये की टेपीओका की जड़ें उत्पन्न की जाती हैं। दो तीन साल पहिले जावा से साबूदाना आयात करने लिये आज्ञप्ति दी गई थी। आयात किया गया साबूदाना सस्ता था। इस कारण सलेम के १०० कारखाने समाप्त हो गये। इस कारण टेपीओका का उत्पादन करने वालों को भी घाटा रहा। इस उद्योग को २ वर्ष के लिये संरक्षण दिया जाना चाहिये जिससे कि विदेशी स्पर्धा से बचाव हो सके। ऐसा करने से उन्हें कुछ लाभ होगा, व्यापार सुधरेगा, उत्पादन व्यय घटेगा और बाद में मूल्य व्यय होगा तथा उपभोक्ताओं को भी लाभ रहेगा। ऐसी स्थिति भी आजाएगी जब यह उद्योग बाहरी स्पर्धा का सामना करने के योग्य हो जायेगा।

कौशकृमिपालन बड़े महत्व का कुटीर उद्योग है। देश में लगभग ४० लाख पौंड रेशम की आवश्यकता पड़ती है। हम २५ लाख पौंड का भी उत्पादन नहीं कर पाते। शेष विदेशों से मंगाया जाता है। यदि देश को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाना है तो यह आवश्यक है कि इस उद्योग को दीर्घावधि के लिये संरक्षण दिया जाये।

मैं इस सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हूं कि वस्तुओं को थोड़े समय के लिये संरक्षण दिया जाये और संशोधनों द्वारा वह अवधि बढ़ाई जाये।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम) : २६ उद्योगों में से अधिकांश उद्योगों को एक वर्ष के लिये क्यों संरक्षण दिया गया है यह बात मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है। वैयक्तिक रूप से मुझे यह प्रतीत होता है कि तटकर का मामला अभाग्यवश नैत्यक तथा तदर्थ बन गया है। उसमें औद्योगीकरण, आयात-निर्यात और उपभोक्ता के हित के प्रति रचनात्मक नीति नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस कथन की पुष्टि कर सकता हूं। यदि हम विभिन्न वस्तुओं की आंतरिक मांग, उत्पादन का लक्ष्य, और वास्तविक उत्पादन राशि देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि उनका तटकर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे नैत्यक बन गई हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रत्येक उद्योग की मांग और उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन-क्षमता और वर्तमान उत्पादन शक्ति का अंतर पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार

है ? मैं ने हिसाब लगाया है पर मैं उन्हें सुना कर सदन को कष्ट देना नहीं चाहता ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या माननीय मित्र वे आंकड़े बतलायेंगे ?

डा० लन्का सुन्दरम् : वे आपकी टिप्पणी में से ही संगृहीत किये गये हैं ।

उन में अन्तर बहुत है । सब उद्योगों को एक समान संरक्षण देने का कारण यह है कि तटकर आयोग ने उन मामलों की जांच नहीं कर पाई है ।

दूसरी बात यह है कि राजस्व कर को संरक्षण कर में परिवर्तित करके ही उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है । बड़ी समस्याओं को इस तरह नैत्यक विधि से सुलझाने से उद्योगों के विस्तार की ठीक नीति नहीं बनेगी न उपभोक्ताओं का हित ही सुरक्षित रहेगा ।

मुझे यह सुन कर हर्ष हुआ कि मंत्री जी ने तटकर आयोग के नये काम बतलाये हैं । मेरा विचार यह है कि इतने अधिक काम को करने के लिये आयोग में पर्याप्त सदस्य नहीं हैं न उनके पास पर्याप्त साधन हैं । बहुत कम समय में उन्हों ने ९ उद्योगों की जांच करली है । यह बात स्तुत्य है । संभव है कि उन्हों ने यह काम शीघ्रता में किया हो जिस से वह दक्षतापूर्वक न किया गया हो । हमें आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिये तथा सचिवालय भी बढ़ा देना चाहिये । शीघ्रता में किये गये कार्य का कम महत्व होता है ।

मैं ने पिछली बार साम्राज्य अधिमान (इम्पीरियल प्रिफ़रेन्स) की बात उठाई थी । उस समय मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने जो उत्तर दिया था उसके मैं दो खंड सुनाना चाहता हूं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे उस का स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं श्री करमरकर जी के लाभ के लिये पढ़ रहा हूं ।

श्री करमरकर : मुझे भी आवश्यकता नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् : उस समय यह कहा गया था कि अधिमान देने से देश का अहित होगा तो हम समझौते को समाप्त कर देंगे ।

मैं जानना चाहता हूं कि पिछली मई से क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि देश में बनाई गई किन वस्तुओं को विदेशी स्पर्धा वस्तुओं से हानि पहुंची है ? क्या सरकार वह कार्यवाही करेगी जिसका आश्वासन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी जी ने दिया था । क्या वे साम्राज्य अधिमान को समाप्त करने की सूचना देंगे ? मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उद्योगों पर साम्राज्य अधिमान का क्या प्रभाव पड़ा है ?

जो सामग्री मुझे दी गई है उससे पता चलता है कि कुछ उद्योगों को छोड़ शेष संरक्षित उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया है । कुछ वस्तुओं को छोड़ शेष संरक्षित वस्तुओं के मूल्य भी गिर गये हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि संरक्षित वस्तुओं के मूल्य गिरने के क्या कारण हो सकते हैं । क्या इसका अर्थ यह हुआ कि संरक्षण द्वारा उद्योगों का विकास करने की सीमा पहुंच चुकी है । क्या इससे यह मालूम पड़ता है कि लोगों के पास क्रयशक्ति नहीं है या बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ गई है । मैं ये बातें, यह जानने के लिये पूछ रहा हूं कि उपभोक्ताओं के हितों की चिन्ता की जा रही है अथवा नहीं । संरक्षित वस्तुओं के मूल्य गिरने का कोई कारण अवश्य होना चाहिये । मैं मानता हूं कि देश के औद्योगिक विकास के लिये उपभोक्ताओं का बड़े से बड़ा त्याग कम है । पर मैं जानना चाहता था कि क्या वह स्थिति आ गई है जब कि देश के

[डा० लंका सुन्दरम्]

औद्योगिक विकास में बाधा डाले विना संरक्षण कम कर उपभोक्ताओं का कुछ भला किया जा सकता है।

पिछले समय मैं ने आचरण खंड के विषय में चर्चा की थी। मेरा तात्पर्य यह था कि जब किसी उद्योग को संरक्षण दिया जाये तब यह जानने का प्रयत्न होना चाहिये कि संरक्षण का क्या परिणाम हुआ। उत्पादित वस्तु के गुण और उसके मूल्य नियंत्रण की जांच होनी चाहिये। सरकार यह बात ध्यान में रखे कि देश में उत्पन्न की गई वस्तुएं अच्छे गुण की हों। उसके बिना संरक्षण का कोई लाभ नहीं। हमारी वस्तुएं इस प्रकार को होनी चाहियें कि गुण में वे विदेशी वस्तुओं का मुक़ाबला कर सकें। माना कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु तटकर आयोग में यह कार्य करने के लिये पर्याप्त व्यक्ति नहीं हैं। आयोग के सदस्य अकसर काम को आपस में बांट लेते हैं। यह होना चाहिये कि वे सब विशेषज्ञ मिल कर प्रत्येक उद्योग की जांच करें। केवल ४ सदस्यों से आयोग का काम नहीं चल सकता।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जब आयोग की यह अस्थायी कठिनाई मिट जायेगी तब सरकार छोटी छोटी अवधि के लिये संरक्षण देने के लिये साल में दो बार विधेयक प्रस्तुत न करेगी।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल): सरकार की तटकर नीति का उद्देश्य अनुचित स्पर्धा को मिटाना तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना भारतीय संसाधनों का समुपयोजन करना है। इसी दृष्टिकोण से मैं एक-दो उद्योगों के संरक्षण की जांच करूंगा।

एल्यूमीनियम उद्योग को ३० प्रतिशत यथा मूल्य, संरक्षण दिया गया है। तटकर आयोग इस उद्योग का पुनर्विलोकन करेगा। मैं चाहता हूं कि वह मेरी कुछ बातों पर भी विचार करे।

भारत में दो सार्थें एल्यूमीनियम का उत्पादन करती हैं। इस धातु का उपयोग घरेलू कामों में होता है इस लिये यह आवश्यक है कि इसका मूल्य बहुत कम हो जिस से कि ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति भी इसे ख़रीद सके।

देश में केवल ४,००० टन एल्यूमीनियम का उत्पादन होता है। शेष ११,००० टन पर उपभोक्ताओं को तटकर के कारण ३० प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है।

इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड में भारतीयों की अंशपूंजी ६० लाख है। शेष १४० लाख रुपये की अंशपूंजी कनाडा की है। इसी कम्पनी से जीवनलाल लिमिटेड का सम्बन्ध है। इनका अधिकांश लाभ विदेशियों को मिलता है। इनके प्रमुख पदाधिकारी भी विदेशी हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि ऐसी कम्पनी को जिस में अधिकांश अंश कनाडा के हों, संरक्षण देना आवश्यकता से अधिक है। इस के कारण एल्यूमीनियम के मूल्य में कमी नहीं हो रही है। हमारे देश में पर्याप्त बाक्साईड है परन्तु इन दो कम्पनियों का उत्पादन बहुत कम है। ऐसी दशा में विदेशी कम्पनी को संरक्षण देना उचित नहीं है। इस कम्पनी को त्रावणकोर-कोचीन की सरकार कम दर पर बिजली देती है। इस प्रकार सहायता देने से एल्यूमीनियम के उत्पादन को सहायता नहीं मिल सकती। तटकर मण्डली ने भी कहा है कि इस देश में एल्यूमीनियम का उत्पादन व्यय तब घटेगा जब कि वर्तमान कारख़ानों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर कम से कम १५,००० टन नहीं कर दी जाती। पर्याप्त बिजली के बिना उत्पादन-क्षमता नहीं बढ़ सकती। यदि चेंगुलम योजना

शीघ्र पूरी हो जायें तो आवश्यक बिजली प्राप्त हो सकती है। यदि भारत सरकार त्रावणकोर-कोचीन सरकार को आर्थिक सहायता दे तो यह योजना शीघ्र पूरी होगी तथा इस प्रकार भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी को सहायता मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और अधिक समय लेंगे ?

श्री पी० टी० चाको : मैं दस मिनिट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दोपहर के भोजन के पश्चात् आप अपना भाषण जारी रखें।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री पी० टी० चाको : देश में केवल एक भारतीय कंपनी एल्युमीनियम का उत्पादन करती है। उसकी परिदत्त पूंजी ९० लाख रुपये है तथा वह जे० के० परिवार की ही व्यापारिक संस्था है क्योंकि बाहरी लोगों के अंश बहुत कम हैं। प्रतिवर्ष यह कंपनी केवल २,००० टन एल्यूमीनियम का उत्पादन करती है। इसका प्रबन्ध ठीक नहीं है। इस में अपर्याप्त यन्त्र हैं तथा टैक्निकल विशेषज्ञों का भी अभाव है। इसमें एल्यूमीनियम के ढेलों का उत्पादन १८३९ रुपये प्रति टन है जब कि आयात किये गये ढेलों का व्यय १९१४ रुपये है। चादरों का उत्पादन व्यय ३,६०० रुपये प्रति टन है जब आयात की गई चादरें बिना शल्क के ३,१२३ रुपये में पड़ती हैं। इस कंपनी की अदक्षता के कारण ही उत्पादन व्यय अधिक है। वह कंपनी अपनी बिजली खुद पैदा करती है, वह उसे मंहगी पड़ती है। यदि सरकार सस्ती बिजली दे तथा अच्छे इंजीनियर उपलब्ध करे तो उत्पादन व्यय घट सकता है। अभी जो संरक्षण दिया जा रहा है उसका लाभ केवल विदेशी कम्पनी को मिलता है। भारतीय कम्पनी उस कम्पनी को टैकनिकल मंत्रणा के लिये १५,००० डालर देती है। मेरी समझ में इतनी बड़ी राशि उस कम्पनी को नहीं दी जानी चाहिये। वह कुछ विशेष टैक्निकल मंत्रणा नहीं दे रही है।

अलवे में उत्पादित किया गया एल्यूमीनियम १५०० मील दूर चादरें बनाने के लिये कलकत्ते भेजा जाता है। इस में बहुत परिवहन व्यय पड़ता है जिस के कारण उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। यदि वह कारखाना भी इसके पास बनाया जाये तथा उसे सस्ती बिजली दी जाये तो आयात किये गये एल्यूमीनियम से कम मूल्य में देश में ही उसका उत्पादन हो सकता है। अतएव मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार चाहे तो भारतीय कंपनी की रुपयों से सहायता कर सकती है। वह भी उस समय तक के लिये जब कि सरकार सस्ती दर पर उसे बिजली देने लगे। चेंगुलम योजना के पूरा होने पर यह संभव हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : देश में उत्पादित एल्यूमीनियम के कितने अंश का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिये होता है ?

श्री पी० टी० चाको : उसकी मांग १५,००० टन है परन्तु उत्पादन केवल ४,००० टन है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसका कुछ भाग औद्योगिक प्रयोजनों में लगाया जाता है ?

श्री पी० टी० चाको : औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भी उसका उपयोग किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कितने प्रतिशत अंश का ?

श्री पी० टी० चाको : यह मैं नहीं बता सकता। अधिकांशतया उससे घर में काम आने वाले बर्तन आदि ही बनाये जाते हैं।

एंटीमनी के उद्योग के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। भारत में एंटीमनी का अयस्क नहीं पाया जाता। वह आयात किया जाता है तथा उस पर २० प्रतिशत यथामूल्य संरक्षण शुल्क है। भारत में केवल एक सार्थ इस उद्योग में लगी है। ३० प्रतिशत शुल्क देकर चीन की धातु का जो मूल्य होता है उससे थोड़े ही कम व्यय में देश में धातु उत्पन्न की जाती है। इस उद्योग को संरक्षण देने में कोई लाभ नहीं है। यदि अयस्क पर से शुल्क हटा दिया जाये तो भारत में उत्पन्न एंटीमनी का मूल्य २० प्रतिशत कम हो जायेगा। इसे संरक्षण देना तो किसी व्यक्ति विशेष को सहायता देना हुआ। वह सार्थ लोक सीमित समवाय नहीं है। हमें दूसरे देशों से सस्ती एंटीमनी मिल सकती है। हमारे देश में एंटीमनी की कच्ची धातु नहीं पाई जाती। अतएव हमें इसका उत्पादन करना ही नहीं चाहिये। इसको संरक्षण देना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।

१९५१ में ग्लूकोज़ की मांग २,५०० टन थी। उस वर्ष देश में केवल १६१ टन ग्लूकोज़, वह भी खराब गुण का, हमारे देश में उत्पन्न किया गया था। देश में ३-४ कम्पनियां इस उद्योग में लगी हुई हैं। इस उद्योग के ठीक ठीक तथ्य मालूम नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं कि उपभोक्ताओं के हित में क्या यह उचित है कि ग्लूकोज़ पर इतना अधिक तटकर शल्क लगाया जाए।

जब किसी उद्योग के सफल होने की देश में आशा न हो, जब उसका कच्चा माल देश में न पाया जाता हो और निर्मित वस्तु समाज के लिये आवश्यक वस्तु हो तब क्या यह सर्वसाधारण के हित में होगा कि उन वस्तुओं पर बहुत संरक्षण-शुल्क लगाए जाएं। मैं इसके विषय में सरकार की नीति जानना चाहता हूं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह एन्टीमनी और एल्यूमीनियम उद्योगों की बारीकी से जांच कराये तथा आवश्यक हो तो दरों में परिवर्तन करे।

श्री बन्सल (झज्जर-रिवाड़ी): मुझे फिर से पूछना पड़ रहा है कि वित्त-आयोग के बड़े प्रतिवेदन का क्या हुआ। सरकार ने केवल एक कार्यवाही की है, वह यह है कि स्थायी तटकर आयोग नियुक्त कर दिया गया है। अन्य सिपारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। वित्तीय आयोग का मत है कि उद्योगों को संरक्षण देने में अब हमें इस बात पर बहस नहीं करनी है कि अबाध व्यापार हो अथवा संरक्षण। आयोग ने सिपारिश की है कि देश के संपूर्ण आर्थिक विकास का ध्यान रखकर ही उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए उद्योगों को उन्होंने ३ वर्गों में विभाजित किया :—

(१) प्रतिरक्षा और युद्ध के महत्व के उद्योग ;

(२) आधार उद्योग ; और

(३) अन्य उद्योग।

वित्त-आयोग ने सिपारिश की है कि प्रथम वर्ग के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये तथा उनका विकास किया जाना चाहिए। उसके लिए चाहे कितना ही अधिक रुपया क्यों न लगे। दूसरे वर्ग के उद्योग यदि राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित किए गए हैं तो उन्हें संरक्षण तथा अन्य सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके।

उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार द्वारा सिपारिश किए गए उद्योगों की जांच करने के सिवाय कमीशन खुद अपने आप उन उद्योगों की जांच कर सकते हैं जो अनुमोदित योजना में सम्मिलित किए गए हैं। वित्त आयोग की इस सिपारिश का क्या हुआ ?

इस विधेयक के अनुसार बहुत से उद्योगों को एक साल के लिये संरक्षण दिया गया है क्योंकि अन्य आवश्यक मामलों की जांच करने में व्यस्त होने के कारण तटकर आयोग उनकी जांच नहीं कर पाया। पर इस तरह कब तक संरक्षण बढ़ाया जायगा। उन्हें अधिक अवधि के लिये संरक्षण दिया जाना चाहिए। उनमें अधिकांश उद्योग छोटे पैमाने के हैं तथा युद्ध काल में आरम्भ किए गए हैं तथा वे स्वावलम्बी नहीं बन पाए हैं। अतएव इन्हें अधिक समय के लिये संरक्षण दिया जाना चाहिए।

वाणिज्य मंत्रालय के पास १७ महत्व-पूर्ण उद्योगों के प्रार्थनापत्र संरक्षण के लिए आए हैं। ये उद्योग तटकर आयोग को सौंपे जाऐं अथवा नहीं इस बात पर विचार करने के लिए यदि वाणिज्य मंत्रालय १ वर्ष ले ले तथा इन पर विचार करने के लिए तटकर आयोग दो वर्ष ले ले तो ये उद्योग बड़ी दुविधा में पड़ जायेंगे। यदि इस बात का विनिश्चय शीघ्रता से किया जाए तो बड़ा अच्छा हो। वित्त-आयोग ने बतलाया है कि तटकर आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इस दिशा में भी बहुत कुछ करना शेष है।

संरक्षण का उद्देश्य यह है कि भारतीय उद्योग विदेशों की स्पर्धा से बच जाऐं परन्तु संरक्षित उद्योगों में से कुछ में विदेशी हितों की स्थापना हो गई है। फल यह हुआ है कि वे हमारे उद्योगों का बाहर से शोषण करने के स्थान में वे देश में से ही शोषण करने लगे हैं। उन उद्योगों को भारतीय लोग दक्षतापूर्वक चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं अतएव विदेशियों को इन उद्योगों में हाथ न लगाने देना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : देशी उद्योगों को संरक्षण देने के पश्चात् क्या विदेशी लोगों को देश में वह उद्योग स्थापित करने दिया गया है ?

श्री बंसल : जी हां। मोटर की बैटरियों को संरक्षण देने के बाद एक्जाईड (Exide) और ओलढम (Oldham) को देश में वह उद्योग स्थापित करने दिया गया है।

उसी तरह रेमिंगटन टाईप राइटर वालों को देश में कारखाना खोलने की इजाज़त दे दी गई है यदि एक भारतीय व्यापार मंडली ने टाईपराइटर बनाने के लिए लाखों रुपये लगा दिये हैं। माना कि देश इस कारखाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता पर पहिले की भांति अब भी टाईपराइटर विदेशों से बुलाये जा सकते थे। विदेशी लोग देश में कारखाना स्थापित करने की बात तब सोचते हैं जब देश में देशी कारखाना स्थापित होने लगता है। उन्हें कारखाना स्थापित करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। माना कि विदेशी सार्थों का समतलकारी प्रभाव पड़ता है परन्तु कुछ विदेशी वस्तुओं का आयात करने से भी यह बात हो सकती है। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि देश में उत्पन्न की गई वस्तुओं का गुण सुधर रहा है। पहले की अपेक्षा अब हमारी साइकिलें अच्छी होती हैं तथा हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में भी उत्पन्न करते हैं। उसी तरह देश में बनाये गए सूती कपड़ों के गुण में भी बहुत सुधार हुआ है।

मंत्रालय के मत में आयात नियंत्रणों का उपयोग संरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। यह बात ठीक है। परन्तु मुझे यह

[श्री बंसल]

समझ में नहीं आता कि विदेशी विनिमय की कमी के कारण वे जिन वस्तुओं को आयात नहीं करने देते उनका देश में उत्पादन करने वाली देशी व्यापार मंडलियों की वे सहायता क्यों नहीं करते । यदि उनका देश में ही उत्पादन होने लगेगा तो फिर उन्हें आयात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । वित्त आयोग और आयात नियंत्रण जांच समिति भी इस मत पर पहुंची है कि यद्यपि आयात नियंत्रण का उपयोग संरक्षण देने के लिये नहीं किया जाना चाहिए फिर भी व्यवहार में ऐसा करना पड़ेगा । विधेयक में जो उद्योग हैं उनमें से बहुत से लघु अनुमाप उद्योग हैं । वे अपनी पूरी उत्पादन-क्षमता के बराबर वस्तुएं उत्पन्न नहीं कर रहे हैं ? न मालूम इसका क्या कारण है, परन्तु सरकार को इनकी दशा पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए । तटकर आयोग ने वे बातें बतलाई हैं जिनके द्वारा इनकी सहायता की जा सकती है, उदाहरणार्थ परिवहन व्यय में, कच्चे माल में तथा आयात शुल्क में अवहार देकर इनकी सहायता की जा सकती है । क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तटकर की इन सिपारिशों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

३ म० प०

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अभी डा० लंका सुन्दरम् ने संरक्षित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पात के बारे में कहा तथा वे उसका कारण नहीं समझ पाये । इसका संबंध उन्होंने उपभोक्ताओं के हित से भी किया । हम सब चाहते हैं कि इन सब उद्योगों का विकास हो जिससे कि मूल्य घटें तथा उपभोक्ताओं को लाभ हो ।

कुछ उद्योग संरक्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं । पट्टे और पेन्सिलों के उद्योगों को संरक्षण दिया गया है परन्तु इन वस्तुओं की कुछ राशि बिना आयात-शुल्क दिए देश में आ जाती है । दोषपूर्ण अधिसूचना अथवा आयात-निर्यात शुल्क सूची के दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण ऐसा हो जाता है । आशा है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री जी इन त्रुटियों को हटाने का प्रयत्न करेंगे ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : इस वाद विवाद में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन उद्योगों को केवल एक साल के लिए संरक्षण दिया जा रहा है । बाद में तटकर आयोग इन उद्योगों की जांच करेगा ।

संरक्षण का विधान जब हमारे सामने आए तब हमें अपनी संरक्षण नीति की जांच करनी चाहिए तथा यह सोचना चाहिए कि क्या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

संरक्षण के पक्ष में प्रतिष्ठित तर्क यह है कि इससे देश के औद्योगीकरण को सहायता मिलती है तथा लोगों में टैक्निीकल दक्षता आती है जिसके कारण अन्य उद्योगों को भी सहायता मिलती है । संरक्षित उद्योग देश की मांग को पूरा करने के लिए साधारणतया पर्याप्त वस्तुएं उत्पादित कर लेते हैं परन्तु यदि कोई ऐसा उद्योग हो जो उस मांग को पूरा न कर सके तो हमें अपनी संरक्षण नीति में परिवर्तन करना चाहिए । यदि उत्पादन-क्षमता तथा उपभोक्ताओं की मांग में बहुत ही अधिक अंतर हो तो हमारी नीति में परिवर्तन होना चाहिए । यदि उस वस्तु का उपभोग कम आय वाले व्यक्ति करते हैं तो मेरा सुझाव है कि ऐसे उद्योग को उन वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को वापस किया जा सकता है जो उसे आयात करनी पड़ती है । इसके

लिए उस उद्योगपति को इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि उसकी वस्तुएं बची गई हैं। निर्माताओं की यह शिकायत है कि विदेशी वस्तुओं की ख्याति के कारण उनको अपनी वस्तुएं बेचने में कठिनाई होती है। ऐसी दशा में अधिक शुल्क लगाया जाए जो संरक्षण-शुल्क से कम हो, जिससे कि कम आय वाले सस्ते दामों पर देश में उत्पन्न की गई वस्तुएं खरीदें।

आज सुबह कहा गया कि भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग की एक सार्थ परिवार व्यापार मंडली है। इस पर हमें उस समय तक आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अपनी नीति न बना लें। तटकर आयोग को बतलाया गया था कि टैक्निकल दक्षता के अभाव के कारण इस उद्योग का विकास ठीक तरह से नहीं हो सका है। विदेशी सार्थें अपने शिल्पीगण इन्हें सहायतार्थ नहीं देते। यह उद्योग की अदक्षता का नहीं अपितु विदेशी दक्षता के एकाधिकार का प्रश्न है।

अभी देशी एल्यूमीनियम उद्योग की उत्पादन-क्षमता इतनी नहीं है कि उससे देश की सारी मांग पूरी की जा सके। अतएव सरकार को चाहिए कि वह देश के कारखानों के अनुमाप को बढ़ाने का उपाय सोचे। किसी उद्योग में प्रवेश करते समय पूंजी की कठिनाई होती है। आधुनिक कारखानों में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण वे उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार का प्रयत्न करे कि ऐसे उद्योगों में एकाधिकार न हो तथा उनमें स्पर्धा हो जिससे कि समाज को कम मूल्य पर वस्तुएं मिल सकें।

तटकर बोर्ड का यह तर्क है कि बहुत से उद्योगों के पास उत्पादन व्यय का अनुमान करने की अच्छी विधि नहीं होती। इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। यदि एक ही उद्योग में ३-४ सार्थें लगी हों तो उनके उत्पादन व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा इस बात का पता लगाया जा सकता है कि संरक्षण के कारण क्या उपभोक्ता को अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है?

हमने इस प्रश्न का अध्ययन केवल देशी उद्योगों के दृष्टिकोण से किया है आयात करने वाले व्यापारियों के दृष्टिकोण से नहीं। यदि संरक्षित उद्योग देश की मांग को पूरा न करे तो उस वस्तु का आयात करने वालों की रोज़ी मारी जाती है तथा उन्हें हानि उठानी पड़ती है। उस उद्योग में अवसाद पड़ जाता है। अगले समय जब तटकर आयोग इन बातों की जांच करे तब इन लोगों के हित का भी ध्यान रखे।

आयात का नियंत्रण विदेशी विनिमय की बचत करने के लिए किया गया था परन्तु इससे उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुआ। संरक्षण के लिए आयात नियंत्रणों पर निर्भर रहना बुद्धिमत्ता का कार्य न होगा। उद्योगपति इसे अपने उत्पादन तथा उद्योग विस्तार का आधार न बनाएं। उपभोक्ताओं के हित में आयात का नियंत्रण शिथिल किया जा सकता है। यदि उद्योगपति इन नियंत्रणों को बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे तो लोग सरकार पर यह आरोप लगाएंगे कि वह समाज के हितों की चिंता नहीं करती तथा केवल निहित हितों की ही रक्षा करती है। अगले समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री जी जब अपना विधेयक प्रस्तुत करें तो उसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इन बातों को सम्मिलित कर लें जिससे कि उन पर चर्चा की जा सके।

श्री ए० सी० गुहा (शांतिपुर): भारतीय उद्योगों का संरक्षण देने के बारे में कोई मत-भेद नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि क्या इन उद्योगों को दिया गया संरक्षण पर्याप्त तथा

[श्री ए० सी० गुहा]

उचित है ? बहुत से उद्योग युद्ध काल में आरम्भ किए गए थे और तब से इन्हें संरक्षण मिल रहा है फिर भी इन में न उत्पादन-मात्रा बढ़ पाई है न वस्तुओं के गुण को ही सुधारा गया है । ग्लूकोज़ , लालटेनों, रेशम और साबूदाने के भारतीय उद्योगों की उत्पादन-क्षमता इन वस्तुओं की देशी मांग से बहुत कम है । बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारख़ानों की संख्या का हमें पता नहीं है । इन कारख़ानों की संख्या भी घटती जा रही है । मुझे भय है कि संरक्षण मिलने के कारण पूंजीपति चैन से बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें उनका लाभ मिल ही जाता है । वे वस्तुओं का गुण सुधारने का तथा उत्पादन व्यय घटाने का प्रयत्न ही नहीं करते । सरकार इस बात को मानती है कि बेल्टिंग के उद्योग ने उन्नति नहीं की है क्योंकि इसकी मांग घट गई है । युद्ध-काल में सरकार देशी बेल्टों का ही उपयोग करती थी । अब क्यों सरकार और रेल विभाग ने विदेशी बेल्टों का ख़रीदना आरम्भ किया है । इस उद्योग को २० साल से संरक्षण मिलता आया है । सरकार को सोचना चाहिए कि यह संरक्षण जारी रखा जाए अथवा नहीं ।

तटकर आयोग को यह शक्ति दी गई है कि वह उद्योगों को कच्चा माल देने तथा प्रमापीकरण के प्रश्न पर विचार करे । क्या इस विषय में तटकर आयोग ने कोई सिपारिश की है । प्रमापीकरण के लिए भारतीय प्रमापीकरण संस्था है तथा तटकर आयोग भी निर्मित वस्तुओं के प्रमापीकरण को ध्यान में रखेगा । क्या सरकार ने वस्तुओं का गुण सुधारने के लिए कोई निश्चित कार्यवाही की है ?

कुछ संरक्षित उद्योगों में केवल एक दो सार्थें लगी हैं । ऐसे उद्योगों को बहुत सोच विचार के बाद संरक्षण देना चाहिए क्योंकि संरक्षण देने से बाहरी स्पर्धा मिट जाती है तथा सार्थें कम होने से आन्तरिक स्पर्धा नहीं हो पाती । अतएव यह भय हो जाता है कि ऐसी सार्थें उन्नति करने का प्रयास नहीं करेंगी ।

जिन उद्योगों का समस्त उत्पादन आन्तरिक मांग का केवल १०-२० प्रतिशत होता है उनको संरक्षण के स्थान पर अर्थ-साहाय्य देना चाहिए, क्योंकि संरक्षण देने से ८०-९० प्रतिशत उपभोक्ताओं को विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने के कारण ३०-४० प्रतिशत आयात-शुल्क देना पड़ता है । यदि इन्हें संरक्षण ही दिया जाए तो सरकार को इस उद्योग के कारख़ानों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि वे कम से कम देश की मांग का ५० प्रतिशत अंश पैदा करने लगें । अन्यथा संरक्षण से उपभोक्ताओं को हानि पहुंचेगी । ऐसे उद्योगों को संरक्षण के स्थान में अर्थसाहाय्य देने का विधान तटकर आयोग अधिनियम में भी है ।

डा० लंका सुन्दरम ने इंपीरियल प्रिफ़ेरेंस का ज़िक्र किया । अब तो उसे द्विपार्श्व समझौता कहना चाहिये । यह सत्य है कि इससे दूसरे देश को अधिमान मिलता है ।

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं । संभव है कि इसकी चर्चा गत मास लंदन में वाणिज्य और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भी हुई हो । संयुक्त राष्ट्र में व्यापार और तटकर के सामान्य क़रार को मिटाने तथा कामनवैल्थ या इंपीरियल प्रिफिरेंस को फिर से आरम्भ करने की प्रवृत्ति है । मेरे विचार में हमें द्विपार्श्व वाणिज्य की अपेक्षा बहुपार्श्व वाणिज्य को पसन्द करना चाहिए तथा अधिमान सूची की प्रत्येक वस्तु की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए । इन मंत्री जी के पहिले जो

मंत्री थे उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था । मुझे मालूम नहीं कि अवधि अवधि से उनकी जांच की गई है अथवा नहीं । उन जांचों का क्या परिणाम हुआ इसका ज्ञान हमें होना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि इन सब पुरानी बातों को रद्द कर देना चाहिए। पहिले हमें संयुक्त राष्ट्र की प्रत्येक बात पर संदेह होता था । अब स्वतंत्रता के बाद हमें संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध प्रत्येक बात पर संदेह नहीं होना चाहिए । फिर भी इन सब की जांच की जानी चाहिए और परिणाम सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए जिससे कि सदन को आश्वासन रहे कि जो कुछ किया जा रहा है वह राष्ट्र के हित में किया जा रहा है ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : श्रीमान् मुझे तटकर आयोग की कुछ सिपारिशों के विषय में संदेह है। इंगलैंड में बनी हुई तथा अन्य देशों में बनी हुई वस्तुओं पर लगाये गये संरक्षण शुल्क में विभेद किया गया है जूट और कपास की गांठें बांधने की इंगलैंड में बनी हुई पहियों पर ३० प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है पर अन्य देशों की इन्हीं वस्तुओं पर ४० प्रतिशत शुल्क लिया जाता है । अन्य वस्तुओं में भी इस प्रकार का विभेद किया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि हम जर्मनी और अमेरिका से विज्ञान के उपकरण सस्ते में बुला सकते हैं पर इस शुल्क के कारण हमें उनको इंगलैंड बुलाना पड़ता है ।

४२ में से ३० उद्योगों का राजस्व-शुल्क, संरक्षण-शुल्क बना दिया गया है । ऐसा करना तब न्यायसंगत होता जब इस कार्य से उत्पादन बढ़ता तथा मूल्य कम होता । प्रत्येक उद्योग में उत्पादन-व्यय के अनुसार संरक्षण शुल्क लगाया गया है तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है । फलतः उपभोक्ताओं को ३०-४० प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है । संरक्षण शुल्क का लाभ उठाकर उत्पादक लोग उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं । तटकर आयोग का कर्त्तव्य है कि वह इस विषय की जांच करे कि सामान्य मूल्य स्तर और जीवन स्तर पर संरक्षण का क्या प्रभाव पड़ा है । मुझे मालूम नहीं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये क्या किया गया है ।

कांच के उद्योग में संरक्षण का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है । युद्ध काल में आयात के बन्द होने से इस उद्योग में उन्नति हुई थी पर अब यह उद्योग गिर रहा है । इसकी उत्पादन-क्षमता तो १२,००० टन है परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल ५००० टन होता है । कांच के उद्योग के लिये हमारे पास रेत और चूना तो है पर विक्षार भस्म (Soda ash) का पर्याप्त उत्पादन हम कम दामों में नहीं कर पाते । इंगलैंड और यूरोप में इसका प्रति टन उत्पादन व्यय-१२० रुपये है परन्तु हमारे देश में ३८० रुपये हैं । देश में इस की मांग १,७०,००० टन है परन्तु हम केवल ४४,००० टन उत्पन्न करते हैं, वह भी अच्छे गुण की नहीं होती । तटकर बोर्ड भी नहीं समझ पाया कि देश में कम दामों में इसका उत्पादन क्यों नहीं हो सकता । उसने सिपारिश की है कि सिंदरी में इसका उत्पादन कम मूल्यों में किया जाए । देशी और विदेशी उत्पादन-व्ययों में अन्तर होने का कारण यह है कि देशी उद्योग विदेशी उद्योगों के सहायक हैं । ये विदेशी उद्योग नहीं चाहते कि अन्य देशों में वह उद्योग फैले । हमारे देश के निर्माता (Manufacturers) इन विदेशी उद्योगों की वस्तुओं के वितरक भी हैं अतएव वे इन विदेशी उद्योगों से गुप्त समझौता कर लेते हैं । वे उनसे कम दामों में वस्तुएं खरीद कर देश में बेचकर बहुत लाभ उठाते हैं । अतएव वे देश में कम व्यय में वस्तुएं उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करते । इस तरह की पराधीनता

[श्री मेघनाद साहा]

अच्छी नहीं । हमारे पास पर्याप्त कच्चा माल तथा योग्य व्यक्ति हैं तथा हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं । अभी विदेशी कांच का पत्तन-मूल्य छः आने प्रति वर्ग फुट है । देशी कांच का मूल्य इससे चौगुना है । हमारे कारखानों की जितनी उत्पादन-क्षमता है उसके केवल एक-तिहाई भाग का उत्पादन हो रहा है । इसका कारण यह है कि हमारे उत्पादकों का स्वार्थ इसमें है कि वे यहां कम माल बनाएं तथा बाहर से सस्ते में खरीद कर अधिक लाभ उठायें । अतएव हमारी तटकर नीति से उत्पादन बढ़ने के स्थान में घट रहा है । हमारे पूंजीपति संरक्षण का उपयोग अपने वैयक्तिक लाभ के लिए कर रहे हैं ।

मांड के उद्योग को संरक्षण दिया गया है पर तटकर बोर्ड ने संरक्षण देने के कारण नहीं बतलाए हैं ।

स्थूल रासायनिक उद्योगों का विकास वैयक्तिक पूंजीपतियों पर छोड़ दिया गया है । ये उद्योग बड़े महत्व के होते हैं । यदि आज अमेरिका, इटली या जापान से गंधक आना बन्द हो जाए तो हमारी चीनी की आधी मिलें बन्द हो जायेंगी तथा रसायनों के कारखाने बन्द हो जाएंगे । हम गंधक बनाने की बात सन् १६४२ से कर रहे हैं । हमारे पास केवल पाइराईट (Pyrite) है । जर्मनी की तरह हम उससे गंधक बना सकते हैं । यहां के निर्माताओं ने कह दिया है कि वे सस्ते दामों में गंधक नहीं बना सकते । हमें उनके कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि ये लोग विदेशी उद्योगों के सहायक हैं । हमारे देश में कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालायें हैं । इनसे कहा जाना चाहिए कि ये भारतीय पायराईट से गंधक बनाने की विधि खोजें ।

देश में एल्यूमीनियम की मांग १५००० है क्योंकि उससे केवल बर्तन बनाए जाते हैं । पर इस धातु का सबसे बड़ा उपयोग विमान बनाने में होता है । तीन-चार साल पहिले विमान बनाने के एक जर्मन विशेषज्ञ ने हमें सलाह दी थी कि हम पहिले एल्यूमीनियम का कारखाना स्थापित करें अन्यथा हमें विमान के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा । यदि हम देश में विमान बनाने लगे तो एल्यूमीनियम की मांग बढ़कर ५०,००० टन हो जाएगी । अभी हम केवल ४००० टन का ही उत्पादन करते हैं । दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा उत्पादन-व्यय भी अधिक है । माना इसका कारण महंगी बिजली है परन्तु हम सस्ती बिजली का उत्पादन क्यों नहीं कर सकते ? इस बात की जांच करने के लिये तटकर आयोग के पास न पर्याप्त साधन ही थे न समय ही था । कारखाने के स्वामी स्वार्थवश सरकार को इन बातों से अनभिज्ञ रखना चाहते हैं । मेरा मत है कि जब तक हम एल्यूमीनियम और गंधक जैसे उद्योगों के विकास के लिए वैयक्तिक पूंजीपतियों पर निर्भर रहेंगे तब तक देश में किसी उद्योग का विकास न हो पाएगा । हमें इन २६ उद्योगों की बारीकी से जांच करनी चाहिए तथा इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में ही इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है अथवा संरक्षण देने से इनमें अदक्षता बढ़ जाएगी तथा पूंजीपति सरलता से पैसा पैदा करने लगेंगे । इन सब बातों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा ।

तटकर आयोग के बहुत से काम हैं । उनका एक काम यह है कि वे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षण देने के विषय में जांच करें । इस मामले में केवल उद्योगपतियों की बातें ही सुनी जाती हैं । विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों से भी सलाह ली जानी चाहिए । वे केवल वैज्ञानिक विषयों पर ही नहीं अपितु उत्पादन-व्यय के विषय में भी अच्छी सलाह दे सकते

हैं। केवल उद्योगपतियों पर ही निर्भर रहना भयास्पद बात है।

आयोग का काम यह भी है कि उत्पादन व्यय और मूल्य निश्चयन पर संरक्षण को जो प्रभाव पड़े उसकी वह जांच करे तथा रिपोर्ट करे। मूल्य निश्चयन का बहुत महत्व होता है। इसके द्वारा उद्योग सफल हो सकते हैं तथा विफल भी तथा पर्याप्त पैसा भी सरकार को प्राप्त हो सकता है। योजना आयोग ने कुछ उद्योगों की योजना बनाई है परन्तु शेष उद्योगों की वैयक्तिक पूंजीपतियों के लिये छोड़ दिया है। इन उद्योगों का वित्त प्रबन्धन भी पुराने ढंग का है। सकल बिक्रय कर (Turn-over Tax) से रूस ने अपनी योजनाओं को पूरा किया था। इस कर का योजना आयोग ने विचार ही नहीं किया। सकल बिक्रय कर का अर्थ यह है कि वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया जाए तथा लाभ देश के हित में लगाया जाए, वह वैयक्तिक पूंजीपतियों की जेबों में न जाए। मैंने कांच के उद्योग का उदाहरण दिया है। इस उद्योग के व्यवसायी संरक्षण के कारण बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे मत में कांच का मूल्य एक रुपया आठ आने प्रति वर्ग फुट निश्चित कर दिया जाए तथा सरकार सकल बिक्रय कर लेकर उद्योगों में लगा दे। मूल्य निश्चय करने के महत्वपूर्ण काम को करने के लिये तटकर आयोग के पास आवश्यक तन्त्र नहीं हैं।

मेरी समझ में संरक्षण का विषय बड़े महत्व का है। संरक्षण-नीति पर ही देश के उद्योगों का विकास निर्भर है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं वाद-विवाद के बीच में बोलना चाहता हूं। मैं उस भ्रम को मिटाना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों को संभवतया हो गया है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मेरे सहयोगी ने यह बात पूर्णरूप से स्पष्ट कर दी थी कि उन तीन उद्योगों को छोड़, जिन्हें संरक्षण देने की तटकर बोर्ड ने सिपारिश की है, शेष उद्योगों के संरक्षण को केवल बढ़ाया ही गया है क्योंकि उनके विषय में तटकर आयोग जांच नहीं कर पाया है। उन्हें संरक्षण दिया जाए अथवा नहीं इसका निश्चय नहीं हो पाया है। यदि उन्हें संरक्षण दिया जाए तो कितना दिया जाये ? घटाया जाये अथवा बढ़ाया जाए ? प्रस्तुत सिपारिश तो केवल प्रशासी सिपारिश है। मुझे इस बात का हर्ष है कि पिछले सदस्य ने तटकर आयोग की सेवाओं को मान्यता दी है।

[**श्री हरि विनायक पाठसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदन मुझे क्षमा करेगा यदि मैं श्री जी० एल० मेहता का ज़िक्र करूं जो तटकर आयोग के सभापति थे। वे अब देश में नहीं हैं। उन्होंने देश की पर्याप्त सेवा की है तथा तटकर जांच करने की उन परम्पराओं तथा प्रमापों को उन्होंने स्थापित किया है जिनका अनुसरण भविष्य में आयोग द्वारा किया जायेगा। देश के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे तटकर आयोग के पहिले सभापति हुए। हमें उनके उत्तराधिकारी की खोज करने में बड़ी कठिनाई हुई। मुझे हर्ष है कि इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद को स्वीकार करने के लिए मैं श्री भट्ट को मना सका यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी। श्री भट्ट ने उच्चकोटि की लोकसेवा की है तथा वे अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं।

४ म० प०

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या उन्हें उद्योगों के विषय में कुछ ज्ञान है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जितना हमारे माननीय मित्र को है उससे कुछ अधिक.....

श्री एस० एस० मोरे : पर क्या उन्हें इतना ज्ञान है कि तटकर आयोग के सभापति बन सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार हमारी है तथा हमारे अनुसार वे योग्य हैं। उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा।

इसके पश्चात् श्री एस० एस० मोरे ने कुछ प्रश्न पूछे। सभापति महोदय ने बाद में मंत्री जी से अपना भाषण जारी रखने के लिये कहा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सभापति जी का बड़ा कृतज्ञ हूं। मैं ने उस बात की इसलिये चर्चा की क्योंकि डा० लंका सुन्दरम् ने तटकर आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की संख्या पर जोर दिया था। माननीय सदस्यों को यह बात माननी चाहिये कि इस प्रकार के काम के लिये योग्य व्यक्तियों को खोजने म सरकार को कठिनाई पड़ती है। कोई उद्योगपति या निहित हित वाला सदस्य नहीं बन सकता। वह व्यक्ति बड़ा ईमानदार होना चाहिये तथा उसकी योग्यतायें उत्कृष्ट होनी चाहिये। मैं ने इस बात की चर्चा इसलिये की क्योंकि अब हम पांचवें सदस्य की नियुक्ति कर सके हैं। उपयुक्त व्यक्तियों को पाना कठिन होता है। व्यक्तियों को नियुक्त करने के बाद उन्हें कार्य के योग्य न पाने पर निकालना अच्छा नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि कोई भी व्यक्ति नियुक्त न किया जाये।

तटकर आयोग के काम के बारे में मेरा कहना यह है कि मुझे बम्बई जाने तथा तटकर आयोग के सदस्यों से बातें करने का अवसर मिला था। मैं ने उनके काम के बारे में बातें नहीं की क्योंकि वह बात मेरे क्षेत्र के परे है। मैं ने उनसे उन के कार्यक्रम, और कर्मचारियों की आवश्यकता तथा दी हुई अवधि म जितन उद्योगों की वे जांच करेंगे आदि विषयों के ऊपर मैं ने उन से बात की मैं ने उन से पूछा कि उन्हें कितने अतिरिक्त सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। 'मूल्य' के लिये अतिरिक्त तदर्थ सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं। इन सब बातों का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि उद्योगों के संरक्षण की अवधि वर्ष के बीच में व्यापगत न हो कर वर्ष के अन्त में हो तो अच्छा होगा। हम ने ३१ दिसम्बर ठीक तारीख समझी। हमने निश्चय किया कि संरक्षण मार्च या अप्रैल में समाप्त न होकर वर्ष के दिसम्बर मास तक रहे।

ऐसा करने का दूसरा उद्देश्य भी है। संसद् के कार्यक्रम को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार के विधान को आय व्ययक सत्र में प्रस्तुत करना सदैव सम्भव नहीं होता। उस समय अन्य कार्य को छोड़ इसे जल्दी में निबटाना पड़ता है। अतः मैं ने उचित समझा कि तटकर के विधानों पर शब्द सत्र में साल के अन्त में विचार किया जाये। जो काम तटकर आयोग के हाथों में था उसका हमने पुनर्विलोकन किया। उनके पास ५३ जांचें निलम्बित हैं। उनमें से २७ उद्योगों का संरक्षण इस साल के अन्त में या मार्च १९५३, में समाप्त होने वाला है। वे एक-दो बड़ी महत्वपूर्ण जांचों में लगे हुये हैं जिन्हें उनको शीघ्र पूरा करना है। अतएव जिन उद्योगों का संरक्षण दिसम्बर, १९५२ या मार्च, १९५३ में समाप्त होने वाला उनके विषय में प्रारम्भिक प्रतिवेदन देना उनके लिये असम्भव था। उनकी सहमति से हमने इन उद्योगों के संरक्षण को १९५३ के अन्त तक तदर्थ बढ़ाना उचित समझा। इससे उन्हें जांच करने के लिये एक साल मिल जायेगा। यह आयोग पर छोड़ दिया गया है कि वे किन विषयों की जांच करें। वे चाहें तो उन उद्योगों को ले सकते हैं जिनकी गहरी जांच करनी है अथवा उनको ले सकते हैं जिनकी गहरी जांच नहीं करनी है।

इस विधयक को प्रस्तुत करने का यही कारण है। यह कठिन लगता है पर वास्तव में सरल है। संरक्षण देने, पर्याप्त संरक्षण न देने तथा सरक्षण के उपयोग और दुरुपयोग की सरकार या आयोग द्वारा जांच न करने आदि की जो आलोचना की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं भी कई सालों तक सदन का सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि सदस्य वे अवसर चाहते हैं जब कि वे सरकार के कार्यों की भलीभांति जांच कर सकें। इसलिये मैं आलोचना का बुरा नहीं मानता हूं। जिस भावना से उन्हें व्यक्त किया गया है उसी भावना से मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। यदि सदस्य सोचते हैं कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो मैं यथाशक्य प्रस्तुत संसाधनों से तथा उपलब्ध समय में अपनी बुद्धि के अनुसार स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मैं ने ध्यान में रख लिया है। माननीय सदस्यों ने सामान्य रूप से जो कहा है उस के उत्तर में यदि मैं कुछ शब्द कहूं तो वे उसी भावना से उसे स्वीकार करें जिस भावना से मैं उन्हें कह रहा हूं।

मैं फिर से आयोग के संगठन को लेता हूं। माननीय सदस्य ने इसके बारे में जो बात कही है उससे में सहमत हूं तथा उन के सुझाव के लिये मैं कृतज्ञ हू। यदि सरकार किसी योग्य व्यक्ति के विषय में निश्चय कर लें तो पांचवें सदस्य का स्थान भरा जा सकता है। मैं ने तटकर आयोग के सभापति से कहा है कि वे मूल्य की जांच करने के लिये यथाशक्य तदर्थ सदस्यों का उपयोग करें। इससे लाभ यह होगा कि कुछ समय बाद हम कुछ योग्य व्यक्तियों की परख कर सकेंगे। यदि यह संपरीक्षा की जाये तो इससे हम लोगों की परीक्षा करने का अवसर मिलेगा और बाद म उन्हें स्थायी सदस्य बनाया ज सकता है। बहुत सम्भव है कि शीघ्र ही मुझे सदन से निवेदन करना पड़ेगा कि वह तटकर आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे।

सदन के विपक्ष में बैठे हुये विख्यात वैज्ञानिक ने वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। यदि वैज्ञानिक आयोग में आयें अथवा उसके तदर्थ सदस्य बन कर काम करें तो मैं उनका बड़ा आभार मानूंगा। परन्तु यह कहना गलत है कि तटकर आयोग वैज्ञानिकों की उपेक्षा करता है तथा पूणरूप से उद्योगपतियों पर निर्भर रहता है। ऐसी बात नहीं है।

श्री मेघनाद साहा : मैं ने यह नहीं कहा कि वे केवल वैज्ञानिकों को लें। मैं ने यह कहा था कि उद्योगपतियों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों और अन्य हितों के प्रतिनिधियों को भी वे लें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य का बड़ा कृतज्ञ हूं तथा इस बात से सहमत हूं कि मिश्रण होना चाहिये। अर्थशास्त्री, लोकसेवक और अन्य प्रकार के लोगों का मिश्रण होना चाहिये चाहे वे केवल ठीक और अशुद्ध ही में भेद क्यों न कर सकें। यह गुण बड़े महत्व का है। वैज्ञानिकों का भी महत्व है। वे यथाथता की दृष्टि से सदैव निर्णय न कर सकें पर अमूर्त दृष्टि से वे विचार कर सकते हैं। अतएव वे उपयोगी हैं। पर यह सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता कि सूचना तथा पथ प्रदशन के लिये किसी विशष प्रकार के लोगों पर आयोग निर्भर रहता है। वास्तव में वे परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) और उनके अंकों पर निभर रहते हैं। दूसरों का साक्ष्य लिया जाता है। केवल उद्योगपति ही नहीं उपभोक्ता तथा अन्य लोग भी जिनका किसी बात में स्वार्थ हो वे तटकर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आयोग के सामने साक्ष्य दे सकते हैं। तटकर आयोग उनके साक्ष्य का स्वागत करेगा।

विस्तार में जाने से पहिले मैं इम्पीरियल प्रिफरेन्स के बारे में कहना चाहता हूं। डा० लंका सुन्दरम ने मुझे मेरे वचन का स्मरण दिलाया। मैं ने अस्थायी कठिनाई को मिटाने के लिय वचन नहीं दिया था। जब मैं ने वह वचन दिया था तब मैं कुछ करना चाहता था। मैं १९३९ के भारत तथा ब्रिटेन के व्यापार के पूरे समझौते की जांच करवाना चाहता था। इसके अनुसार हम ने उसे अधिमान दिया है। इस अधिमान के लिये कोई दूसरा अच्छा शब्द न होने के कारण अब भी उसे इम्पीरियल प्रिफेरेन्स कहा जाता है। मैं ने यो ग्य व्यक्तियों द्वारा आरम्भिक आपरीक्षण करवाया है। मैं अभी उसके परिणाम को नहीं बता सकता पर मैं इतना कहूंगा कि वह बड़ा महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि उसमें आंकड़ों के बहुत फोटोस्टट दिये गये हैं। इन आंकड़ों के अर्थ के विषय में लोगों का मतभेद है। यह आपरीक्षण बतलाता है कि भावनात्मक आधारों पर इम्पीरियल प्रिफेरेन्स शब्द हटाना आवश्यक होगा पर इस समझौते से वास्तव में दोनों को लाभ है, एक पक्ष को ही नहीं, हमें इससे कुछ महत्वपूर्ण लाभ हो रहा है। सम्भव है कि यह केवल अस्थायी हो पर यह बहुत लाभदायक है।

डा० लंका सुन्दरम : पाकिस्तान ने सिर्फ ३० वस्तुओं में अधिमान दिया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: नकल करना उत्तम प्रकार की चापलसी होती है। मैं पाकिस्तान की चापलूसी नहीं करना चाहता। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उससे भिन्न है, समानता बहुत कम है। उसकी अर्थव्यवस्था सम्पूरक है। मैं मानता हूं कि यदि हम और पाकिस्तान सहयोग करें तो हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों की सम्पूरक बन जायेगी। जहां तक आपसी सम्बन्ध का प्रश्न है कृषि-अर्थव्यवस्था तथा निर्माण अथव्यवस्था एक दूसरे की सम्पूरक हो सकती हैं। जो बात पाकिस्तान करता है वह हमारे उपयुक्त नहीं है। डा० लंका सुन्दरम की डाक्टरेट व्यर्थ है यदि वे एक ऐसे देश की कार्यवाहियों पर अपना मत दें जिसकी प्रवृत्ति उनकी अपनी प्रवृत्ति से मिलती जुलती प्रतीत होती है। उनके विषय में उचित आधारों पर मत प्रकट करना चाहिये। उन्हें मझ पर विश्वास करना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम : आप इसे कब प्रकाशित कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: : मैं इसे प्रकाशित नहीं करूंगा। मैं और कोई ठोस चीज़ प्रकाशित करूंगा। यह तो आरम्भिक कार्य है। यह सरकार के लिये है। यह गोपनीय रखा जायगा। इस प्रारम्भिक जांच में भी दो तीन बातों पर मतभेद है। इस आपरीक्षण से थोड़ा लाभ अवश्य हुआ है। मैं इस से यह जान सका कि संरक्षण-शुल्क हितकारी हैं। इसलिये मैं उन्हें तब तक रखूंगा जब तक कि लाभ होता रहेगा। फिर भी इस कागज को या ऐसे ही पत्रों को डा० लंका सुन्दरम को अधिक समय तक बिना बताये मैं नहीं रह सकता।

डा० लंका सुन्दरम : क्या आप वचन देते हैं? क्या उसे हम में से कुछ लोग देख सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विभेद नहीं करना चाहता। मुझ संविधान का १४वां अनुच्छेद सदैव स्मरण रहता है। जब यह बताया जायगा तब इसे दोनों सदनों के सदस्य देख सकेंगे। मैं ने इसकी चर्चा यह

बतलाने के लिये की है कि हम उस बारे में कुछ कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री अरुण चन्द्र गुहा बहुत मेहनती ह । इस गुण का मैं बड़ा आदर करता हूं । वे यहां नहीं है पर उन्होंने किसी बात की चर्चा की थी जो उन्होंने लन्दन की रिपोर्ट में पढ़ी थी । वे सब रिपोर्ट गलत है । इम्पीरियल प्रिफेरेन्स को पक्का करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । जिन देशों ने जी० ए० टी० टी० पर हस्ताक्षर किये हैं उन को हम बहुत पक्षीय व्यापार सुविधायें देते रहेंगे । जी० ए० टी० टी० की उपयोगिता के विषय में मतभेद हो सकता है । हमारा विचार उसे समाप्त करने का नहीं है, जब तक कि वैसा करने से हमें वास्तव में लाभ न हो । माननीय सदस्यों को मालूम है कि दूसरे देशों से हमारी द्विपक्षीय संधियां हैं । हमें उनसे उन वस्तुओं के विषय में कुछ लाभ हुआ है जो हम उन्हें बेच सकते हैं ।

मैं श्री बंसल का आभार मानता हूं । परन्तु मेरी शिकायत यह है कि वे कभी खुश होते हैं तथा कभी रुष्ट हो जाते हैं । कल वे खुश थे । आज वे रुष्ट हैं । शायद यह उनकी प्रकृति है । मेरी समझ में जेकिल और हाईड (Jekyll and Hyde) के व्यक्तित्व का कुछ अंश नियमित रूप से प्रत्येक मानव में पाया जाता है । हमारी इच्छाओं की प्रतिक्रिया-स्वरूप वे प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि कभी कभी मैं सदन में प्रभाव डालता हूं । इस कारण ही वे मुझ से रुष्ट हो गये हैं । इनका जिस संस्था से सम्बन्ध है उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करता क्योंकि उस संस्था के लिये मुझे आदर है परन्तु मुझे वह प्रतीत होता है कि उसके सम्बन्ध का अनुचित प्रभाव उनके ऊपर इस समय पड़ रहा है । श्री बंसल ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं ने सोचा कि यदि बदले में भारतीय व्यापार मंडल के फेडेरेशन के प्रेसीडेण्ट को सुनता तो कोई भेद न पड़ता ।

जब विपक्ष के बहुत से वक्ता समर्थन करते हैं तब सुनने में बड़ा आनन्द आता है । कमी कभी कुछ बातों में हमें अद्भुत साथी मिल जाते हैं जिनके विचार मेरे जैसे ही होते हैं । अबाध व्यापार और संरक्षण के विषय में यह विचार है कि किसी भी वस्तु को सदा के लिये संरक्षण न दिया जाये । यह कोई नहीं कहता कि भविष्य में केवल अबाध व्यापार हो--जिसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता को अपना स्तर (यदि कोई हो) पाने दिया जाये । पर मैं इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि संरक्षण सदैव के लिये बना रहेगा । मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं । मेरी शिक्षा बढ़ रही है । सम्भव है कभी मैं वह स्तर पा लूं ।

उन्होंने विदेशी हितों के बारे में कुछ कहा । यदि कोई भारतीय टाईपराइटर बनाने की इच्छा प्रकट करे तो मेरे माननीय मित्र के सुझाव के अनुसार भारत सरकार को चाहिये कि वह किसी दूसरे को उस उद्योग में न आने दे क्योंकि वह घोषणा एक भारतीय ने की है । जिस मित्र के बारे में इन्होंने कहा है उसे मैं जानता हूं क्योंकि ४० सन्थाओं ने इस मामले की शिकायत की है । संसद् के तीस सदस्यों ने इसके बारे में मुझे लिखा है । इस व्यक्ति में जिन लोगों का स्वार्थ है तथा जिन्हें किसी अन्य उस व्यक्ति से शिकायत है, जिसने टाईपराइटर का उद्योग आरम्भ किया है, उनके अतिरिक्त मेरे पक्ष के कई सदस्यों ने भी मुझे लिखा है । यह उन मामलों में से है जिसे अनुचित रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है । यह बात टाईपराइटर का उद्योग आरम्भ करने वाले मित्र के लिये ठीक नहीं है न देश की अर्थव्यवस्था तथा शिकायत करने वाले के लिये ही । शिकायत

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

का कोई आधार होना चाहिये । मान लीजिये कि इन महोदय का विचार १२००० टाईप-राइटर बनाने का है पर हमारे अनुमान के अनुसार हमें २८-३० हजार टाईपराइटरों की आवश्यकता पड़तीहै । शेष टाईपराइटर-कहां से आयेंगे ? उन्हें विदेशों से बुलाना पड़ेगा । यदि उन्हें आयात नहीं करने दिया जाता और मैं उन्हें देश में ही बनाने की अनुमति किसी दूसरे को दे देता हूं तो इसमें गलती क्या है ? इस का कोई लेखा ही नहीं करता । इसी कारण डा० कृष्णस्वामी का रोकना मुझे महत्वपूर्ण लगा । अर्थशास्त्री की हैसियत से उन्होंने कुछ मूल बातें बतलाई जिन्हें हम बिलकुल विस्मृत नहीं कर सकते । यदि स्थानीय उत्पादन और मांग में अन्तर हो तो उसे कैसे पूरा किया जाये? उन्होंने बहुत ठीक प्रश्न किया था । उस अन्तर को मिटाने के लिये सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये, उसे बना रहने नहीं दिया जा सकता । एक उपाय तो यह है कि वस्तुयें आयात की जायें, पर श्री बंसल और उनके विचार वाले लोगों के भाग्य से विदेशी विनिमय का अभाव है । यद्यपि मैं पंगु उद्योगों को संरक्षण द्वारा सहायता करना नहीं चाहता फिर भी परोक्ष रूप से उन्हें संरक्षण मिल जाता है क्योंकि जब मैं आयात-आय व्ययक बनाता हूं तब मैं देखता हूं कि हमारे पास कितना पैसा है, हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है तथा कितनी वस्तुयें स्थानीय निर्माताओं से प्राप्त हो सकती हैं । इसके बाद मैं आयात की राशि का निश्चय करता हूं । कुछ सदस्यों ने कुछ वस्तुयें आयात करने का महत्व बतलाया है । मुझे उन बातों में विश्वास है । यदि हम ९९.९ प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने लगे तो भी हमें ३ या चार प्रतिशत वस्तुयें बाहर से बुलानी चाहियें जिससे कि हम प्रमाप बनायें रख सकें । चाहे जिस देश से ये वस्तुयें आयें, इसकी कोई चिन्ता नहीं है । माननीय सदस्यों की अपनी अपनी पसन्द हो सकती है परन्तु मेरे विचार में यदि कोई दूसरा हम से अच्छी वस्तु बनाता है और उस प्रकार की कुछ वस्तुयें यदि हमारे देश में आती हैं तो हमारे देश के लोग देशी वस्तु से असन्तुष्ट हो जायेंगे तथा भारतीय निर्माता से विदेशी वस्तु के प्रमाप की वस्तु देने के लिये कहेंगे । सामान्यतया इसी तरह से उद्योग बढ़ते हैं । जब मैं यह कहता हूं तो भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडल का फेडरेशन मुझ से रुष्ट होता है तथा मेरी आलोचना करता है । वे कहते हैं कि देशी उद्योगों और देशी वस्तुओं के होने पर हम वस्तुओं का आयात क्यों होने देते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि उपभोक्ताओं से भी हमें भर्त्सनायें मिलती हैं । यदि देशी रेज़र ब्लेडों के उद्योगों को संरक्षण देने के लिये मैं विदेशी ब्लेडों का आयात बन्द कर दूं तो उपभोक्ता विरोध करते हैं । यदि दो महीने के लिये साईकिलों का आयात बन्द कर दूं तो वे रुष्ट होते हैं । मुझे मालूम नहीं कि कौनसा मार्ग अपनाना चाहिये । यदि मैं सब को खुश करने लगूं तो मेरी दशा वैसी होगी जिसका चित्रण बूढ़े बाप, उसके लड़के और गधे वाली कहानी में हुआ है । मेरे विचार में सबकी अनसुनी कर मध्यम-मार्ग अपनाना ही अच्छा है । जब अर्थशास्त्री तथा उपभोक्ताओं और उद्योग-पतियों के प्रतिनिधि तरह तरह की मंत्रणा दें तब वैसा करना ही उचित है । किसी एक व्यक्ति को सुनने की अपेक्षा मुझे चाहिये कि समस्या सुलझाने की मैं अपनी विधि चुनूं । मुझे निश्चय है कि जब सब कोई शिकायत करते हैं तब मेरी बात ठीक होती है ।

विदेशी हितों के बारे में पिछले अवसरों पर आवश्यकता से अधिक कह चुका हूं ।

श्री तुलसी दास किलाचंद के समान सदस्य मुझे गलत न समझें जब मैं कहूं कि विदेशी हितों का मिश्रण भी होना चाहिये जो यह कह सकें कि उनके समुदाय के लोग ईमानदार नहीं हैं। उसका वह अर्थ नहीं है। यदि मेरे शब्दों का कोई भिन्न अर्थ लगा ले तो मैं असहाय हूं। यदि वह मेरे शब्दों का वह अर्थ करे जो वास्तव में मेरा अभिप्राय नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अंग्रेजों अथवा औरों से प्रेम नहीं है। मेरे विचार में अन्य बहुत से माननीय सदस्यों को भी उनसे प्रेम नहीं है। पर जब हमें अपने लोगों का भरोसा नहीं होता---मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हमें कभी कभी अपने लोगों पर विश्वास नहीं होता – तब हम विदेशियों को लेते हैं। सबको नहीं, केवल कुछ को ही जो यहां प्रमाप स्थिर करें। इससे हमें कोई हानि नहीं होती। जब तक वे हमें हानि नहीं पहुंचाते तथा अनुचित बातें नहीं करते तब तक मैं उन्हें रखने के पक्ष में हूं। यदि वे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को निभाने के लिये तैयार हैं तो मैं भी उनको राष्ट्रीय व्यवहार देना चाहता हूं। इसके विषय में इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसा करने पर यदि आप कहें कि मैं विदेशियों को प्रोत्साहन दे रहा हूं तो वह बात मेरी समझ में नहीं आयेगी। मैं वही बात करने का प्रयत्न कर रहा हूं जो देश हित में है। यदि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मान्य होगी तो आप अवश्य करिये। यदि आप विदेशी हितों की बात खड़ी करें और कहें कि भारत सरकार विदेशी हितों की पोषक है तो मेरी समझ में यह सारा विवाद केवल नारा लगाने के लिये होगा। उसका अधिक मूल्य नहीं है। माना कि अंग्रेजों के जमाने में कुछ विदेशी हित देश में स्थापित हो गए हैं तथा उनका इस देश में बड़ा हित है पर उनके साथ व्यवहार करने में बहुत सी कठिनाईयां हैं। हम मित्र राष्ट्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। कालान्तर में इन हितों का लोप हो जायगा। जब तक वे उपयोगी सिद्ध होंगे तब तक ही वे यहां टिक सकेंगे। यदि वे अनुपयोगी सिद्ध हुए तो वे न टिक सकेंगे, वे चले जाएंगे। इस के विषय अब और कुछ नहीं कहना है।

विशेष उद्योगों के बारे में मेरे सहयोगी उत्तर देंगे पर मैं इस समय विशेष उद्योगों की जांच के बारे में कहना चाहता हूं। यह तो तदर्थ प्रबन्ध है और हम केवल एक वर्ष के लिय संरक्षण बढ़ा रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री रामस्वामी ने कहा था कि उद्योगों को सुरक्षा होनी चाहिये। मैं भी यही चाहता हूं पर सुरक्षा देन के लिए मेरे पास साधन नहीं ह। तटकर आयोग इस स्थिति में नहीं है कि वह जांच करता जाए। यदि वे जांच नहीं कर सकते तो मैं एक साल से ज्यादा के लिए संरक्षण नहीं बढ़ा सकता। यह वैध नहीं है। एक साल से अधिक के लिए संरक्षण देना प्रशासी विवेचन से बाहर की बात है। इससे प्रासंगिक असुविधाएं हो सकती हैं। उन्ह सहना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।

सोडा ऐश (Soda ash) और कांच के उद्योग के बारे में भो कहा गया है। हमारे विख्यात वज्ञानिक मित्र ने इस पर कुछ कहा था। जो कुछ उन्होंने कहा उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। उनके कहने का ढंग हमसे भिन्न भले ही हो परन्तु उन्होंने जो कहा उसे अपने दिल से कहा अतएव हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भारी सोडा ऐश के विषय में हम असहाय हैं। हमें इसे विदेशों से प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार की सोडा ऐश का देश में उत्पादन नहीं होता। एक निगम जो मगदी सोडा ऐश के वितरण का नियंत्रण करता है वह इसे उत्पन्न नहीं करता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अपितु प्रकृति से लेता है । कांच के उद्योग के लिए भारी सोडा ऐश की आवश्यकता पड़ती है । बहुत समय के पश्चात् ही हम इसे बनाने में सफल होंगे पर मुझे शंका ही है कि हम उसे कम दामों में उत्पन्न कर सकेंगे ।

श्री मेघनाद साहा : १९४९ की तटकर आयोग की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि कांच उद्योग के लिए सोडा ऐश बहुत महत्व की वस्तु है तथा वह कम दामों में उत्पन्न की जा सकती है । उन्होंने सिपारिश की थी कि इसे बनाने के लिए सरकार सिंदरी के पास कारखाना खोले क्योंकि उसे उस कारखाने में सरलता से सस्ती दर पर बनाया जा सकता है । इस सिपारिश पर तीन साल से कोई कार्यवाही क्यों नही की गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मानता हूं कि वह बनाई जा सकती है परन्तु मुझे शंका ही है कि वह स्पर्धी मूल्यों पर बनाई जा सकती है क्योंकि आयात की गई सोडा ऐश सस्ती होती है । इस विषय में मेरे सामने कठिनाइयां हैं । उपभोक्ताओं की हट दूसरे प्रकार की है । सरकार को इस वस्तु को अबाध सामान्य अनुज्ञप्ति में सम्मिलित करना पड़ा था । बहुत सी राशि का आयात हो गया था । अबाध सामान्य अनुज्ञप्ति म सोडा ऐश रखने का फल यह होता है कि बहुत से लोग जिनका इस वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता है वे इसका व्यापार करने लगते ह तथा ५० लाख रुपये की वस्तु मंगाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेते हैं । एक सार्थ ने ५० लाख रुपये की सोडा ऐश और कास्टिक सोडा आयात करने की अनुज्ञप्ति ली थी । उसका ध्येय उनको जमा करके बाद में लाभ पर बेचने का था । उस सार्थ की पूंजी केवल १५,००० रुपये थी ।

श्री मेघनाद साहा : कांच की चादरें बनाने के उद्योग की उत्पादन क्षमता १२,००० टन है परन्तु अभी केवल ५,००० टन का उत्पादन होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि स्पर्धी मूल्यों पर सोडा ऐश प्राप्त हो तो उसकी बहुत सी राशि खप सकती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जितना सोडा ऐश लगता है उसके अनुमान के विषय में भेद हो सकता है । तटकर आयोग के अनुसार वह १,०७,००० टन है । कुछ लोग उसे १२०,००० टन बतलाते हैं । एक अनुमान के अनुसार वह १,४०,००० टन है । धोंबियों की मांग का हम कभी अंदाज नहीं लगा सके । उत्पादकों के अनुसार वह राशि केवल ८०,००० टन है । इन आंकड़ों में से कौन ठीक है यह कहना कठिन है । पर यह प्रतीत होता है कि सट्टा करने वालों ने ही सारी राशि मंगाई है । अनुज्ञप्ति मिलती ही तो ये ले लेते हैं तथा उसके लिए एक सौ रुपया खर्च कर देते ह । इस अर्ध वर्ष में हमने इसका आयात रोक दिया है । अभाग्यवश दो फैक्टरियां जिनमें सोडा-ऐश बनती थी वे बन्द हो गई हैं यद्यपि मने आश्वासन दिया था कि उसके आयात पर मैं नियंत्रण रखूंगा । उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ । संभव है कि वे अपनी फक्टरियां खोलें यह तो मेरी केवल एक मुश्किल है । प्रत्येक उद्योग में कभी न कभी इस प्रकार की कठिनाइयां उठती हैं ।

जो आलोचनाएं की गई हैं उनके ऊपर सामान्य रूप से मुझे यही कहना था । डा० साहा ने वैज्ञानिक उपकरणों की बात उठाई थी । उन्हें भी और मुझ भी उसका मूल कारण मालूम है । यदि कोई वास्तविक कठिनाई होगी तो वह दूर कर दी जायेगी । विस्तार में अन्य बातों का उत्तर मेरे माननीय

सहयोगी देंगे। आपने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं।

पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़ जिला—पूर्व) : संरक्षण उद्योगपतियों को दिया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ होता है। अतएव हमें देखना चाहिए कि वे संरक्षण का दुर्पयोग न करें। यह भय मिट जायेगा यदि इन्हें नियंत्रित करने का उचित प्रबन्ध हो। इस उद्देश्य से ही हमने तटकर आयोग की स्थापना की है।

तटकर आयोग अपना कार्य बड़ी दक्षता से कर रहा है। स्थाई आयोग को आवश्यकता बहुत दिनों से थी इस लिए गत वर्ष इसकी स्थापना की गई। इस आयोग के कार्य तटकर बोर्ड से अधिक हैं। संरक्षण देना उसे जारी रखना, शुल्क की दर में आवश्यक परिवर्तन करना तथा संरक्षण के दुर्पयोग करने वालों की जांच करना आदि तटकर आयोग के काम हैं। यह आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि इसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जाती है। सरकार को रिपोर्ट के पश्चात् तीन मास के अंदर संसद् के सामने इस आयोग की सिपारिशें प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। यदि सरकार सिपारिशों को स्वीकार नहीं करती तो उसे इसका कारण बतलाना पड़ता है।

विनिश्चय करने के पहिले हमें आयोग की सिपारिशों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत से उद्योगों की जांच अभी नहीं की जा सकी है अतएव सरकार को सुझाव दिया गया है कि इन मामलों में दिसम्बर १९५३ तक के लिए संरक्षण बढ़ा दिया जाए। युद्ध के पहिले १२ उद्योगों को संरक्षण मिलता था। अब ४२ उद्योगों को मिलता है। तटकर बोर्ड और आयोग ने कुल १३२ उद्योगों की जांच की है। उनका काम सन्तोषजनक रहा है।

सामुदायिक रेडियो सेटों के लिए हाई बैटरी की जरूरत पड़ती है। वैट बैटरीज़ को प्रति १०-१२ घंटे के पश्चात् चार्ज कराना पड़ता है तथा स्थानीय प्रबन्ध न होने के कारण इस कार्य के लिए ५०-६० मील जाना पड़ता है। अतएव ड्राई बैटरीज़ का महत्व बढ़ गया है। देश में अभी केवल ४ कंपनियां इसका उत्पादन करती हैं। अधिकांश उत्पादन नेशनल कार्बन कंपनी करती है। वह विदेशी कंपनी है। इस उद्योग को संरक्षण देने का लाभ इसी कंपनी को मिलता है। इस कंपनी ने तटकर बोर्ड को अपना हिसाब बतलाने से इन्कार किया था। यदि इसका व्यवहार ऐसा है तो इसे संरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। अन्य कंपनियों को अर्थसाहाय्य देने से ही दशा सुधरेगी।

ड्राई बैटरी का उद्योग देश में भली भांति सफल हो सकता है। इसका लगभग सारा कच्चा माल देश में ही पाया जाता है।

देश म २२ करोड़ सैल की मांग है। अभी हम केवल १८ करोड़ सैलों का उत्पादन करत हैं। विदेशी कंपनी कुछ सैलों का निर्यात भी करती है। यदि हम देशी छोटी कंपनियों को अर्थसाहाय्य ेंगे तो यह उद्योग देशी हो जायगा। इस उद्योग को १९४७ में संरक्षण दिया गया था। तब से इस उद्योग का विकास हुआ है। हाल ही में इसका उत्पादन घटने लगा है। यह ठीक बात नहीं है संभव है इसके कारण इस उद्योग में भी संरक्षण का दुर्पयोग आरंभ हो जाये।

मोटर बैटरी उद्योग की विस्तृत जांच की गई है। इसे दिसम्बर १९५५ तक के लिए संरक्षण दिया गया है। फोटोग्राफ के रसायनों के उद्योग को दिसम्बर १९५४ तक के लिये संरक्षण दिया गया है। संरक्षण देने के बाद मोटर बैटरी उद्योग में पर्याप्त प्रगति हुई है। उत्पादन बढ़ गया है। मूल्य

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

भी उचित हैं । इस उद्योग को और लंबी अवधि के लिए संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

देश में वेट बैटरी की मांग ३ लाख है । हम केवल २ १/२ लाख बैटरी उत्पन्न करते हैं । इस अन्तर को मिटाने के लिए कुछ बैटरियां विदेशों से आती हैं जो मंहगी होती हैं । यदि हम ने आयात और कम कर दिया तो उससे उपभोक्ताओं को हानि होगी । इस कारण मूल्य बढ़ जाने की भी सम्भावना है ।

फल परिक्षण उद्योग में कुछ बाधाएं हैं । यदि इसे अर्थसाहाय्य नहीं मिला तो इस उद्योग का विकास नहीं हो सकता । हमारे पास इस उद्योग का कच्चा माल है तथा चीनी भी है । परन्तु चीनी की कीमत अधिक होने से इस उद्योग को कठिनाई होती है ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : (मैसूर): श्रीमान् मैं संरक्षण में विश्वास करता हूं । एक कहावत है कि "शिशु की रक्षा करो, बालक का लालन पोषण करो तथा वयस्क को स्वतंत्र कर दो" । इस कहावत पर ही हमारी संरक्षण नीति आधारित होनी चाहिए । संरक्षण से ही देश का औद्योगीकरण संभव होता है । संरक्षण के अतिरिक्त आयात कम करने तथा उद्योगों का आर्थिक सहायता देना से भी उद्योगों का विकास होता है । जो संरक्षण दिया जाये वह विभेदीय संरक्षण हो । संरक्षण देते समय बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाये । संरक्षण की मात्रा तथा उसकी अवधि भी महत्वपूर्ण है । संरक्षण पक्का तथा प्रभावी होना चाहिए । उसमें त्रुटियां न होनी चाहिए । यद्यपि आज उद्योगों को संरक्षण दिया गया है फिर भी संरक्षित वस्तुओं की बहुत सी राशि बाहर से आयात की जाती है । संरक्षित वस्तुओं के मूल्य गिरने का यही प्रधान कारण है । बहुत सी संरक्षित वस्तुएँ चोरी से भी देश में लाई जाती हैं ।

श्री करमरकर : मैं बाधा नहीं देना चाहता पर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वस्तुएँ हैं ?

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : मैं वह बाद में बतलाऊंगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे । अब सदन की बैठक कल १०.४५ म. पू. तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार १४ नवम्बर १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।